

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)

निदेशक मण्डल

श्री केषव चंद्र, भा.प्र.से.	अध्यक्ष
सुश्री नंदिनी पालीवाल, भा.प्र.से.	प्रबंध निदेशक
श्री बिनय भूषण, भा.प्र.से.	निदेशक
श्री बी. एस. जगलान, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
डॉ. सत्येन्द्र सिंह दुरसावत, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
सुश्री वेदिता रेड्डी, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
सुश्री पल्लवी सरकार, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
श्री सी. अरविंद	कार्यकारी निदेशक
श्री सुरेन्द्र प्रहलादका	निदेशक

कम्पनी सचिव :	श्री बासुकी नाथ साह
मुख्य वित्तीय अधिकारी %	सीएमए पी. रघु राम
बैंकर्स :	इण्डियन बैंक, पोर्टब्लेयर भारतीय स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर केनरा बैंक, सचिवालय शाखा, पोर्टब्लेयर एक्सस बैंक, पोर्टब्लेयर
लेखा परीक्षक :	मेसर्स रोय घोस एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म पंजीकृत संख्या-320094E

पंजीकृत कार्यालय	विकास भवन पोस्टबॉक्स सं. 180 पोर्टब्लेयर - 744 101 दूरभाष: 03192-232098, 236242, 246028 फैक्स: 03192-232076, 232501 ई-मेल: aniidco@gmail.com वेबसाइट: http://aniidco.and.nic.in
------------------	--

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (सरकारी उपक्रम)

सदस्यों के लिए निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

निदेशकगण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 35वीं वार्षिक लेखा परीक्षा विवरण प्रस्तुत करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान इस कंपनी की कुल बिक्री ₹ 465.53 करोड़ रिकॉर्ड किया गया जबकि पिछले वर्ष की कुल बिक्री ₹ 343.12 करोड़ थी। कंपनी का कराधान से पहले लाभ ₹ 32.71 करोड़ से वृद्धि होकर ₹ 44.96 करोड़ हुई हैं।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2022-2023 के कार्य और वित्तीय परिणाम का विवरण इस प्रकार हैं।

(₹ लाख में)

मुख्य परिणाम	2022-23	2021-22
कुल बिक्री	46553.99	34312.65
वर्ष का लाभ (कर से पूर्व)	4496.87	3271.05
वर्ष का लाभ (कर से पश्चात)	3486.80	2393.16

विनियोजन

(₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
लाभांश	1046.04	715.21
आरक्षण में अंतरण	2440.76	1677.94

निगम द्वारा भुगतान की गई लाइसेंस शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा मूल्यवर्धित कर का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	2022-23	2021-22
लाइसेंस शुल्क	312.40	150.79
उत्पाद शुल्क	13858.81	11042.68
मूल्य वर्धित कर	2683.80	1934.19
कुल राशि	16855.01	13127.66

संचालन

1. आई.एम.एफ.एल. प्रभाग

आई.एम.एफ.एल. प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹.लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	26732.64	19146.60
अन्य आय	338.4	273.52
कुल आय	27071.04	19420.12
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	21237.28	15074.76
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	347.94	296.16
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	426.76	212.26
मूल्यहास	0.62	0.49
कुल व्यय	22012.60	15583.67
संचालन से लाभ/(हानि)	5058.44	3836.45

प्रभाग के कुल बिक्री तथा लाभ 194.20 करोड़ से बढ़कर 270.71 करोड़ तथा 38.36 से बढ़कर 50.58 करोड़ हुई है ।

(2). पेट्रोलियम प्रभाग

निगम द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में नौ आई.ओ.सी खुदरा दुकानें और चार उपभोक्ता दुकानें संचालित कर रहा है । निगम ने हाल ही में बाराटांग और कदमतला में दो नए पेट्रोल पंप खोले हैं। निगम बिल्लीग्राउंड, फरारगंज और कार निकोबार में तीन नए पी.ओ.एल आउटलेट खोलने की प्रक्रिया में है ।

पेट्रोलियम प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	16757.13	12377.31
अन्य आय	23.50	21.97
कुल राजस्व	16780.63	12399.28
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	16031.36	11780.36
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	310.36	298.16
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	186.74	118.65
मूल्यहास	39.48	30.12
कुल व्यय	16567.94	12227.29
संचालन से लाभ/(हानि)	212.69	171.99

इस प्रभाग ने समीक्षा वर्ष के दौरान 199.55 लाख लीटर पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री की जबकि पिछले वर्ष यह बिक्री 153.78 लाख लीटर की थी । बाराटांग और कदमतला में नए खुदरा आउटलेट खोलने के कारण कुल बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है ।

"

(3). पर्यटन प्रभाग

निगम के पर्यटन प्रभाग के क्रियाकलाप में होटल मेगापोड रिसॉर्ट, डॉलफिन रिसॉर्ट तथा हॉर्नबिल नेस्ट का संचालन शामिल हैं ।

पिछले दो वर्षों में होटल में पर्यटकों की ठहरने का प्रतिषत इस प्रकार है:

इकाई	2022-23	2021-22
मेगापोड रिसॉर्ट	49.24	32.04
डॉलफिन रिसॉर्ट	46.71	23.74
हॉर्नबिल नेस्ट	32.36	17.04

पर्यटन प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	1432.29	887.18
अन्य आय	12.15	10.68
कुल राजस्व	1444.44	897.86
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	61.11	45.72
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	361.14	473.16
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	1077.05	724.61
मूल्यहास	38.79	41.42
कुल व्यय	1538.09	1284.91
संचालन से लाभ/(हानि)	(93.65)	(387.05)

पिछले वर्ष की तुलना में प्रभाग की अधिभोग और लाभप्रदता में वृद्धि हुई है

(4). दुग्ध प्रभाग

निगम, द्वीपों में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है । प्रभाग के पिछले दो वर्षों के निष्पादन व क्रियाकलाप निम्नलिखित है:

दुग्ध प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	1251.33	1113.40
अन्य आय	0.47	0.00
कुल राजस्व	1251.80	1113.40
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	988.40	847.09
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	85.30	101.32
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	115.25	164.98
मूल्यहास	20.03	20.06
कुल व्यय	1208.98	1133.45
संचालन से लाभ/(हानि)	42.82	(20.05)

नए उत्पाद की शुरुआत और विभिन्न द्वीपों में ट्रेड पैक दूध की आपूर्ति के कारण पिछले वर्ष के 20.05 लाख के परिचालन घाटे की तुलना में प्रभाग ने प्रतिवेदित वर्ष के दौरान रु. 42.82 लाख का परिचालन लाभ कमाया है ।

(5). ऋण तथा वित्तीय प्रभाग

निगम को भारत सरकार द्वारा एक वित्तीय संस्थान के रूप में नामित किया गया है ।। ऋण तथा वित्तीय प्रभाग ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तकनीकी तथा आर्थिक रूप से संभावित परियोजनाओं के स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया है । औद्योगिक क्रियाकलापों के अवसर सीमित तथा वाणिज्य बैंकों से आसानी से ऋण उपलब्धता के कारण वष इस प्रभाग का कार्य क्षेत्र कम है । इस कारण वष बोर्ड ने निर्णय ली है कि इस ऋण व्ययसाय को वर्ष 2022-23 से समाप्त किया जाए। परंतु निगम द्वारा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को किराये पर वाहन उपलब्ध कराना जारी रखेगा ।

ऋण एवं वित्त का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	22.98	80.72
अन्य आय	0.31	9.07
कुल राजस्व	23.29	89.79
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	0.69	0.03
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	15.22	27.11
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	9.35	11.09
मूल्यहास	6.02	11.73
कुल व्यय	31.28	49.96
संचालन से लाभ/(हानि)	(7.99)	39.83

(6). परियोजना प्रभाग

परियोजना प्रभाग की आय में पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि के पट्टे से प्राप्त पट्टा किराया और निगम द्वारा शुरु की गई परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक शुल्क शामिल है ।

परियोजना प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	334.81	364.60
अन्य आय	42.15	283.19
कुल राजस्व	376.96	647.79
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	0	0.00
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	91.43	0.00
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	19.38	9.85
मूल्यहास	0.45	57.83
कुल व्यय	111.26	67.68
संचालन से लाभ/(हानि)	265.70	580.11

(7). निगमित कार्यालय

निगमित कार्यालय नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है और निगम के सभी प्रभागों की निगरानी करता है। सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को निगमित कार्यालय की आय के रूप में दिखाया जाता है। निगमित व्यय को उनके कुल बिक्री के आधार पर परिचालन प्रभाग के बीच वितरित किया जा रहा है।

निगमित कार्यालय का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)*	22.81	24.08
अन्य आय	619.01	514.37
कुल राजस्व	641.82	538.45
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	26.85	1.74
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	1067.84	1064.94
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	396.94	291.11
मूल्यहास	49.26	38.82
कुल व्यय	1540.88	1396.61
संचालन से लाभ/(हानि)	(899.07)	(858.16)

(*षीत भण्डार से आय)

भविष्य की संभावित क्रियाकलाप

पर्यटन/बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं का विकास

द्वीप विकास एजेंसी (आई डी ए) के निर्णयों के अनुसार निगम को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारियों (पी पी पी) के आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। गेट निकोबार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निगम को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा परियोजना प्रस्तावक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। निगम द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति इसे प्रकार है :

- **लॉन्ग आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में फोर आइलैंड इको टूरिज्म रिसॉर्ट**

लॉन्ग आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में पीपीपी पर इको टूरिज्म रिसॉर्ट के विकास के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है और मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेस को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सलाहकार व्यवहार्यता रिपोर्ट और बोली दस्तावेज तैयार करेगा और रियायतग्राही के चयन की पूरी प्रक्रिया अगले एक साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।

- **मेगापोड रिसॉर्ट की आउटसोर्सिंग**

मेगापोड रिसॉर्ट के उन्नयन के लिए एक अग्रणी होटल श्रृंखला को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है। मेसर्स डेलॉइट टौचे तोहमात्सू इंडिया एलएलपी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सलाहकार चार महीने के भीतर व्यवहार्यता रिपोर्ट और बोली दस्तावेज तैयार करेगा और निजी भागीदार के चयन की पूरी प्रक्रिया अगले एक साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।

- **पैकेज IV द्वीप समूह/11 स्थलों का समग्र विकास**

अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप से परे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर और मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान में पैकेज IV द्वीपों/11 स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। परियोजना स्थल में डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, नॉर्थ पैसेज आइलैंड, रंगाचांग, नॉर्थ बे आदि शामिल हैं। व्यवहार्यता के आधार पर परियोजनाओं का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

- **राधानगर तटीय स्थल, स्वराज द्वीप और हेरिटेज टूरिज्म सर्किट का विकास – चाथम, वाइपर और एनएससीबी द्वीप**

पर्यटन विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी (पीपीपी) के आधार पर पर्यावरण पर्यटन के विकास के लिए स्वराज द्वीप में राधानगर के समुद्री तट के किनारे 18 हैक्टेयर भूमि की पहचान की है।

इस परियोजना में एम आई सी ई सुविधाओं, जल क्रीड़ा केन्द्र, बाहरी मनोरंजन गतिविधियों के साथ मनोरंजन और खाद्य केन्द्र, शॉपिंग क्षेत्र आदि के साथ साथ 5 सितारा पर्यावरण अनुकूल रिसॉर्ट का विकास शामिल होगा। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन चाथम, वाइपर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप को जोड़ने वाला एक विरासत पर्यटन सर्किट विकसित करने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित विरासत पर्यटन सर्किट का प्राथमिक उद्देश्य चाथम, वाइपर द्वीप और एनएससीबी द्वीप के समृद्ध ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करना है। परियोजनाओं की विकास योजना की तैयारी के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाना है।

- **ग्रेट निकोबार का समग्र विकास**

नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार के समग्र विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी), ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना शामिल है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनिडको को परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया है। नीति आयोग ने मेसर्स आईसीओएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी नियुक्त किया है। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। निगम ने मेसर्स एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है। टाउनशिप परियोजना के लिए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने के लिए लिमिटेड, कोलकाता, पोर्ट ट्रस्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) पोर्ट और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए डी पी आर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

बोर्ड की बैठक

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निदेशकमण्डल की चार बैठकें दिनांक 22 अप्रैल, 2022, 4 जुलाई, 2022, 23 सितम्बर, 2022 तथा 21 दिसम्बर, 2022 को आयोजित की गई जिसकी सूचना तथा बैठक की कार्यवृत्त में यथोचित रिकॉर्ड किया गया।

वार्षिक विवरण का सांराष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के उप-खंड 3 के अंतर्गत कंपनी की वार्षिक विवरण का सांराष इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक I** में संलग्न किया गया है।

निगमित सामाजिक दायित्व

निगम द्वारा अपने अर्जित लाभांश में से सामाजिक कार्यों के लिए योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, अनिडको ने पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद् के सफाई कर्मचारियों/मजदूरों के टीकाकरण, निकोबार जिला स्वास्थ्य सोसायटी के लिए 02 एम्बुलेंस तथा हर घर तिरंगा अभियान के लिए कुल रु 77.74 लाख खर्च किया गया ।

कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और वर्ष के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर कंपनी द्वारा की गई पहल इस रिपोर्ट के अनुबंध II में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम 2014 में निर्धारित प्रारूप में दी गई है तथा यह विवरण कंपनी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संबंधित पार्टी से लेन-देन

कंपनी अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पार्टी से लेन-देन, करार नहीं की है।

कंपनी द्वारा ऋण एवं निवेश

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा न ही किसी प्रकार का निवेश, ऋण, अग्रिम दिया गया और न ही किसी अन्य संस्था के पक्ष में गारंटी अथवा प्रतिभू प्रदान की गई ।

सहायक कंपनी

दिनांक 31.03.2023 तक कंपनी के अधीनस्थ एक सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(6) के अंतर्गत कोई भी सहायक कंपनी नहीं है। सहायक कंपनियों के व्यवसाय के प्रकृति में किसी भी प्रकार का मुख्य बदलाव नहीं पाया गया । अधिनियम की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए कंपनी के सहायकों की वित्तीय विवरणों के मुख्य विशेषताओं को शामिल करते हुए कंपनी के वित्तीय विवरण की फार्म संख्या ए.ओ.सी-1 में संलग्न किया गया है।

अधिनियम की धारा 136 में दर्शाए गए प्रावधान का अनुसरण करते हुए कंपनी के वित्तीय विवरणों, समेकित वित्तीय विवरण सहित संबंधित दस्तावेजों को सभी सदस्यों को भेजा जाएगा तथा इसे वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

निर्देशकगणों की उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के उपबंधों के अनुसार निर्देशकगण निम्नलिखित पुष्टि करते हैं :

आपके निर्देशक मण्डल यह पुष्टि करते हैं कि :-

- वार्षिक लेखा की तैयारी में सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू मानक लेखा विधि का पालन किया गया है ।
- वे ऐसे लेखा विधि पद्धति का चुनाव व उनका तर्क संगति से प्रयोग किए हैं जो निर्णय एवं अनुमान लगाने पर संतुलित तथा ठीक हैं, ताकि हम वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों को सत्य तथा सही रूप में प्रस्तुत कर सकें और इस अवधि में कंपनी के लाभ तथा हानि को भी दर्शा सकें ।

- कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं कमियों से बचने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्डों के देखरेख तथा रखरखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई: तथा
- उन्होंने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया हैं ।
- कंपनी ने सुसंगत पद्धतियों का चयन की है जिससे कि उपयुक्त सभी विधि में दर्शाए गए प्रावधानों की स्वीकृति सुनिश्चित किया जा सके तथा यह पद्धतियां योग्यपूर्ण व पर्याप्त हो ।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

इस वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षक द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य राय का स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य राय का स्पष्टीकरण अनुबंध III में संलग्न है ।

गुणवत्ता में वृद्धि

आपके निगम के प्रबंधन द्वारा निगम के उत्पादों की गुणवत्ता और दिए जा रहे सेवाओं में सुधार लाने की दिशा में हर संभव प्रयत्न किया जाएगा । सभी कर्मचारियों और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकीय अधिकारियों कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं ।

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक मेसर्स रॉय घोष एण्ड एसोसिएट, सनदी लेखाकार, जो आपके कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक है, आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक रूप में नियुक्त किया गया हैं ।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उनकी पर्याप्तता

अनिडको द्वारा इन द्वीप समूह में पर्यटन, मदिरा, पेट्रोल, इस्पात, हवाई टिकट सेवाएं, ऋण तथा वित्त सहित सार्वजनिक-निजी साझेदारी के साथ पर्यटन परियोजनाओं का विकास जैसे क्रियाकलापों के साथ बहु आयामी व्यवसाय आरंभ किया हैं ।

पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति को लागू किया गया हैं । तदनुसार, कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मेसर्स डी. गरोडिया, सनदी लेखाकार, पोर्टब्लेयर को नियुक्त किया जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा की हैं तथा मेसर्स डी. गारोदिया एण्ड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी नियुक्त किया गया है ।

मानव संसाधन

निगम की सफलता का श्रेय लोगों को जाता हैं और पूर्ण विष्वास है कि केवल कर्मचारी ही एक संगठन का कर्णधार होता है और इस दिशा में मुख्यभूमि से विशेषज्ञों को बुलाकर उनके अंदर छिपे प्रतिभाओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा हैं ।

इस संगठन के कार्य निष्पादन, निगम के प्रति विष्वास उत्पन्न करने तथा कार्य को अंजाम देने की स्वतंत्रता जैसी माहौल पैदा करने पर हम विशेष बल दे रहे हैं । हमें विष्वास है कि ये सभी प्रयास अनिडको परिवार, जिनके कर्मचारियों की संख्या 255 के लगभग है, को मदद करेगी और इस स्थान के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी । निगम के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से निगम ने एक्स.एल.आर.आई संस्था, जमशेदपुर के परामर्श द्वारा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन आधार पर प्रोत्साहन योजना तैयार किया गया है ।

आवधिक जमा की स्वीकृति

समीक्षा वर्ष के दौरान निगम ने न ही जनता के किसी आवधिक जमा को स्वीकार की अथवा न ही नवीकरण किया है ।

निर्देशक मण्डल में फेरबदल

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निम्नलिखित निर्देशकों में फेरबदल किया गया :—

1. श्री बी.एस. जगलान, श्री सत्येन्द्र सिंह दुरासवात, भा. प्र.से. तथा श्रीमती पल्लवी सरकार, भा.प्र.से. को कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा श्री सुनील आंचीपका, भा.प्र.से. तथा यश चौधरी, भा.प्र.से. निगम के कार्यकारी निर्देशक पद से कार्यमुक्त हुए ।
2. श्री बिनय भुषण, भा.प्र.से. को श्री हरि कल्लीकट, भा.प्र.से. के स्थान पर निगम के निर्देशक पर नियुक्त किया गया ।
3. श्री एस.के. झा, भा.प्र.से. निगम के निर्देशक पद से कार्यमुक्त हुए ।

बोर्ड ने श्री एस.के.झा, भा.प्र.से., श्री सुनील आंचीपका, भा.प्र.से., श्री यश चौधरी, भा.प्र.से. तथा श्री हरि कल्लीकट, भा.प्र.से. द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए सेवाओं के लिए आभार व्यक्त की हैं ।

ऊर्जा संरक्षण

यह कम्पनी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से जुड़ा है और दूध प्रसंस्करण तथा पैकिंग को छोड़कर किसी भी क्रियाकलापों में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती । अतः कंपनी के उत्पादों के लिए ऊर्जा की खपत बहुत ही कम है । फिर भी कंपनी ने इसके लिए उचित प्रबंध किए हैं और ऊर्जा संरक्षण के प्रति सजग हैं ।

प्रौद्योगिकी सविलयन

आपके निगम किसी भी विदेशी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है । सभी तकनीकों का विकास यहीं पर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं वृद्धि के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

विदेशी मुद्रा विनियम

वर्ष 2022-2023 के दौरान अर्जित तथा निर्गम विदेशी मुद्रा

अर्जित : वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा — षून्य

निर्गम: वर्ष के दौरान — षून्य

जोखिम प्रबंधन

कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले सभी भौतिक जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है और उन्हें नियमित आधा पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति जोखिम सहनशीलता निर्धारित करने के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों की देखरेख करती है और प्रबंधन के माप और स्थापित स्तरों पर समग्र जोखिम सहनशीलता की तुलना की समीक्षा करती है। व्यवसायों और कार्यों द्वारा पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को नियमित आधा पर कम करने वाली कार्रवाईयों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से विचार किया जाता है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस रिपोर्ट की तारीख तक वित्तीय वर्ष के अंत के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

आभारोक्ति

समीक्षा वर्ष के दौरान आपके निदेशकगण सभी व्यवसाय सहयोगियों, ग्राहकों, बैंकर्स, षेयरधारकों, लेखा परीक्षकों और कम्पनी से जुड़े लोगों का खुले दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं।

आपके निदेशकगण गृह मंत्रालय, निगमित मामले से संबंधित मंत्रालय और सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को भी धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण विशेषकर माननीय उपराज्यपाल महोदय और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को भी उनके द्वारा पूरे वर्ष दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पोर्टब्लेयर

Sd/-

Sd/-

दिनांक: 30/08/2023

(निदेशक)

DIN : 03463195

(प्रबंध निदेशक)

DIN : 09779872

फार्म न. एम जी टी - 9
वार्षिक लाभ का सारांश
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा नियम 12(1) के अनुपालन अनुसार)
(प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014)

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण :

- I) सी आई एन:- **U74999AN19985GC000028**
 II) पंजीकरण दिनांक:- **28.06.1988**
 III) कंपनी का नाम:- **अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड**
 IV) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी :- **सरकारी कंपनी**
 V) पंजीकृत कार्यालय तथा संपर्क विवरण का पता: **विकास भवन, पोर्टब्लेयर, डाक पेटी संख्या 180**
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह - 744101
दूरभाष संख्या: 03192-246028
 VI) क्या कंपनी सूचीबद्ध है: **नहीं**
 VII) नाम: पंजीयक तथा स्थानांतरण अभिकर्ता का नाम, पता तथा संपर्क विवरण, यदि कोई, -
उपयुक्त नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यवसाय क्रियाकलाप :

कंपनी के कुल बिक्री का 10 प्रतिशत अथवा अधिक अंशदान देने वाले सभी व्यवसाय क्रियाकलापों को दर्शाया जाएगा ।

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पादों/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल बिक्री का प्रतिशत
1.	सामग्रियों तथा निर्मित वस्तुओं का व्यापार	46308, 47300, 10501 आदि	100

III. सहायक, सहयोगी कंपनी का विवरण :

क्रम संख्या	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	सहायक व सहयोगी कंपनी	षेयर का प्रतिशत	उपर्युक्त धारा
1.	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (ए एफ एल)	UO5001AN1991SG C000035	सहायक	100	2(87)

IV. षेयर रखने की विधि :

भारत का राष्ट्रपति : 85 प्रतिषत
उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह : 15 प्रतिषत

V. निदेशको का षेयर तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में षेयर (01.04.2022)	वर्ष के दौरान जोड़ा गया षेयर		
	निदेशक का नाम	षेयर की संख्या	कंपनी का कुल षेयर प्रतिषत	षेयर की संख्या	कंपनी के कुल षेयरों का प्रतिषत
1.	श्री संतोष डी वैद्यया	1	0	1	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2023)	0	0	0	0
2.	सुश्री नंदनी पल्लीवाल	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2023)	1	0	1	0
3.	श्री सुनील कुमार सिंह	1	0	1	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2023)	0	0	1	0
4.	श्री हरि कल्लीक्कट	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2023)	1	0	1	0

VI. ऋणग्रस्सता :

कंपनी के ऋणग्रस्सता में षमिल बकाया ब्याज/बीमाकिंक परंतु भुगतान के लिए देय नहीं : षून्य

VII. निदेशकों का पारिश्रमिक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

- क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशको तथा/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक: षून्य
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक: षून्य
ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यू टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक: षून्य

VIII. जुर्माना/दंड : शून्य

निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी के निगमित समाजिक जिम्मेदारी की संक्षिप्त रूपरेखा सहित चलाए जाने वाले परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम व निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित परियोजना व कार्यक्रमों के वेबलिंग के संदर्भ में:

अनिडको का निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित नीति कंपनी के वेबसाइट में दर्शाया गया है । कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के अंतर्गत दर्शाए गए नियमों के तहत यह गतिविधियां प्रारंभ किया जाएगा। निगमित समाजिक दायित्व से जुड़े परियोजना/कार्यक्रम अथवा क्रियाकलाप केवल अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ही संचालित किया जाएगा । निगम द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत शुद्ध लाभ के न्यूनतम 2 प्रतिशत तथा अधिकतम 3 प्रतिशत की दर से निगमित समाजिक दायित्व से जुड़े कार्यों पर खर्च किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, सी.एस.आर. गतिविधियां पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत संस्था अथवा कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी अथवा सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत अथवा पिछले तीन वर्षों से अनुरूप कार्यक्रम व परियोजनाएं संचालित कंपनी/संस्था/स्वायत्त निकाय/सरकारी विभाग द्वारा आरंभ किया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने निगमित समाजिक दायित्व के अंतर्गत क्रियाकलापों में स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा आदि से जुड़े कार्यों में किए गए ।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित समिति का गठन तीन निदेशकों को शामिल कर किया है। दिनांक 31.03.2023 तक समिति के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:

- i) प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष
- ii) श्रीमती वेदिता रेड्डी, भा.प्र.से. .
- iii) श्री सी. अरविंद, दानिक्स

3. निगमित सामाजिक दायित्व प्रयोजन के लिए गणना की गई कंपनी के पिछले तीन वर्षों का औसतन शुद्ध लाभ
₹ 3507.47 लाख

4. सी.एस.आर. पर निर्धारित खर्च (उपरोक्त मद संख्या 3 राशि का 2 प्रतिशत)
₹ 70.15 लाख

5. वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित समाजिक दायित्व पर खर्च किए गए राशि का विवरण:

क). वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान खर्च की जानी वाली राशि का विवरण:
₹ 77.74 लाख

ख). बिना खर्च की गई राशि: शून्य

ग). वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण: विवरण संलग्न है।

6. यदि कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत व उसके किसी भाग को खर्च करने में नाकाम रही तो कंपनी द्वारा अपने बोर्ड के रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने का कारण बताना होगा ।

उपयुक्त नहीं

7. सी.एस.आर. समिति का दायित्व एवं नीति के क्रियान्वयन तथा निगरानी कंपनी के सी.एस.आर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।

हम घोषणा करते हैं कि सी.एस.आर. समिति का दायित्व एवं नीति के क्रियान्वयन तथा निगरानी कंपनी के सी.एस.आर उद्देश्यों तथा नीति के अनुसार है ।

(नंदिनी पालीवाल, भा.प्र.से.)

अध्यक्ष

निगमित समाजिक दायित्व समिति

DIN : 09779872

पोर्टब्लेयर

दिनांक: 30 / 08 / 2023

5(ग) : प्रतिवेदित वर्ष 2022-23 के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण :

क्र. स.	सी.एस.आर परियोजना अथवा पहचान की गई क्रियाकलाप का विवरण	परियोजना को षमिल की गई खंड	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा ज़िला का नाम दर्शाए जिसमें परियोजना को चलाया गया	खर्च गई राशि (बजट) अथवा कार्यक्रमानुसार (₹)	परियोजना पर खर्च की गई राशि उप षीर्ष : (1) सीधा व्यय (2) ऊपरी खर्च (₹)	रिपोर्टिंग कार्यकाल तक संचित खर्च (₹)	खर्च की राशि: सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा
1.	पोर्टब्लेयर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों/ मजदूरों को न्यूमोकोकल संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण	स्वास्थ्य प्रचार	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	44,47,000 /-	44,47,000 /-	44,47,000 /-	प्रत्यक्ष रुप से
2.	निकोबार ज़िला स्वास्थ्य सोसायटी को निकोबार जिलें में आम जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया।	स्वास्थ्य प्रचार	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	28,26,587 /-	28,26,587 /-	28,26,587 /-	प्रत्यक्ष रुप से
3.	हर घर तिरंगा अभियान के लिए फंड प्रदान किया गया	शिक्षा का प्रचार	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5,00,000 /-	5,00,000 /-	5,00,000 /-	प्रत्यक्ष रुप से
	कुल			77,73,587 /-	77,73,587 /-	77,73,587 /-	

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर उल्लेखित योग्य राय पर स्पष्टीकरण

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई और 31 दिसंबर को समाप्त अवधि तक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और चौथी तिमाही की रिपोर्ट को आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है । निगम की सभी परिचालन इकाईयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई है ।
2. निगम को क्रेडिट विक्रय के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से भुगतान प्राप्त हो रहा है । विभागों द्वारा किए गए भुगतान का ब्योरा समय पर नहीं दिया जाता है। निगम ने पुष्टिकरण के लिए पत्र भी भेजा है लेकिन कुछ ही विभागों ने जवाब दिया है । सरस्पेंस खाता समाधान विभाग एवं प्रभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।
3. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को आने वाले वर्षों में कार्य पूरा होने के बाद समायोजित किया जाएगा ।
4. उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, एपीडब्ल्यूडी से अग्रिम के समायोजन के बाद अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) की वापसी के लिए अनुरोध किया जाएगा ।
5. वेबकॉन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी का नवीनतम वित्तीय विवरण प्राप्त किया जा रहा है, उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा ।

लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट

सेवा में,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के सदस्यगण

1. योग्य राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ('कंपनी') का संलग्न तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि तथा नकदी प्रवाह विवरण, जो इसके साथ संलग्न है, का लेखा परीक्षा कर लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार, हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त लेखा में उल्लेखित लाभांश तथा नकदी प्रवाह विवरण पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अनुरूपता का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं जो आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है।

योग्य राय के लिए आधार

आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा हमें चौथी तिमाही की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं मिली है।

रु. 54,61,757/- सस्पेंस खाते में दिखाई दे रहा है जो अज्ञात पार्टियों से प्राप्त राशि प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य राशि रु.54,61,757/- के अनुरूप नहीं है।

पूँजीगत कार्य प्रगति पर है जिसका मूल्य रु. 74,34,855/- जो पिछले वित्तीय वर्ष से बिना किसी प्रगति के पड़े हुए है।

कंपनी ने कुछ निर्माण कार्यों के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग को रु 44,00,627/- अग्रिम राशि प्रदान की है परंतु उक्त कार्य पूरा होने के बाद अंडमान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। जिस कारणवश वसूली योग्य राजस्व की हानि हुई है।

कंपनी ने वर्ष 2012 में वेबकॉन लिमिटेड के 30000 इक्विटी शेयरों पर रु 6.0 लाख निवेश की थी तथा उक्त कंपनी का वित्तीय विवरण पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उपलब्ध नहीं था और किसी भी मूल्यांकनकर्ता द्वारा उक्त शेयरों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसलिए हम उन शेयरों के निवेश के मूल्य पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2.0 हमने अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदंड नियमों में यह अपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आष्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियावयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में त्रुटि न हो। लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राशि एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में त्रुटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल है।

हमारे द्वारा दिए गए टिप्पणी/राय इस प्रकार है:

1. नोट संख्या 11 का हवाला लें: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम: निगम के पास गैर-चालू प्रतिभू जमा प्राप्य राशि रु.24.22 लाख है, जो प्रतिभू जमा राशि में परिभाषित लेखांकन मानदण्ड 30 (वित्तीय घटकों: मान्यता एवं गणना) के अंतर्गत अंकित है जिसे क्षतिग्रस्त लागत पर हानि के आधार पर गणना की जानी है। परंतु कंपनी ने आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारणवश क्षतिग्रस्त वित्तीय घटकों के बारे में पुष्टि नहीं की गई।
2. नोट संख्या 17 देखें: सिविल कार्य के खाते के अग्रिमों पर दर्शाए गए शेष राशि में पूंजीकरण अथवा पूंजीगत कार्यों के लंबे समय तक की बुकिंग के समायोजन, मूल्य का मूल्यांकन तथा कार्य प्रारंभ से संबंधित प्रमाणपत्र की प्राप्ति आदि शामिल है जिसके तहत रु.59.67 लाख दर्शाया गया। पूंजीगत कार्य पर होनी वाली परिणामी प्रभाव, स्थिर परिसम्पत्तियां, मूल्यहास और परिषोधन तथा वर्ष के लिए हानि, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं हो सकता है।
3. निगम के ऋण तथा वित्त प्रभाग की आय, संपत्ति वर्गीकरण लेखा पुस्तिका में ऋणदाताओं के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। इसके बजाय उक्त रजिस्टर पर समेकित आधार पर लेखा को दर्शाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों में दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार प्राप्त समय अंतराल में लेन-देन की समीक्षा नहीं हुई।
4. वर्तमान पद्धति के अनुसार जमा राशि, अग्रिम, व्यापार प्राप्य तथा व्यापार देय राशि का पुष्टिकरण पर्याप्त नहीं है। इससे जुड़े अधिक मामलों पर पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं है। अतः वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव व लाभ की गणना नहीं किया जा सका।
5. नोट संख्या 4(क): पिछले वर्षों के दौरान कंपनी ने उद्योग निदेशालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से संपार्श्विक प्रतिभू के बदले में औद्योगिक ऋण पर गारंटी प्रदान करने पर राशि प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त निधि से प्राप्त आय पर ब्याज से टी.डी.एस. की कटौती कर निधि में जमा कर दिया गया है। अतः ब्याज से अर्जित आय में से टी.डी.एस की राशि रु. 13,801/- तक को निधि में जमा नहीं की गई और इसे कंपनी द्वारा रख लिया गया। पिछले वर्ष के दौरान भी कंपनी द्वारा समान नीति को अपनाया गया तथा इसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।
6. नोट 4(ख): अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से समय समय पर प्राप्त अन्य सहायता अनुदानों के शेष राशि रु. 135.63 लाख को समायोजित नहीं किया गया तथा लंबित कार्योंतर मंजूरी के कारणवश इसे तुलन पत्र पर दर्शाया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस तथ्य का खुलासा किया गया।
7. संस्पेस लेखा (ऋण) के अंतर्गत पहचान नहीं की पार्टियों से कंपनी के खाते में रु 54,61,757/- दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप इसे व्यापार प्राप्य रु. 54,61,757/- का समाधान नहीं किया गया।
8. कंपनी के लेखा खाते पर वित्तीय वर्ष के दौरान डब्ल्यू.डी.वी. शीत भण्डार/हैवलॉक तथा डिग्लीपुर में स्थित बर्फ संयंत्र पर क्रमशः रु 44,31,203/- तथा रु. 47,21,333/- दर्शाया गया। दोनों ही शीत भण्डार लंबे से संचालित नहीं हैं। इन संयंत्रों में व्याप्त परिसम्पत्तियों के हानि का विश्लेषण संबंधित अभियंता द्वारा किया गया तथा जारी रिपोर्ट के आधार पर डिग्लीपुर तथा स्वराज द्वीप में स्थित शीत भण्डार/बर्फ संयंत्र लेखा पर हानि का समायोजन नहीं किया जा सका।
9. नोट संख्या 13(ख) का हवाला लें: कंपनी ने अपने सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को लंबे समय पूर्व ऋण प्रदान की थी जिसके लिए वर्ष 2002-03 में षट प्रतिषत अषोध्य एवं संदेहात्मक ऋण का प्रावधान रखा गया। लेकिन वर्ष के दौरान सहायक कंपनी ने अपने लाभ तथा हानि लेखा में ब्याज के व्यय पर रु 7.25 करोड चार्ज की हैं। हालांकि कंपनी ने इसे नॉन परफॉरमिंग संपत्ति होने के कारण अर्जित ब्याज को आय के रूप में आंका नहीं गया।

3. वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में निहित लेखा मानदंड के प्रावधान तथा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वक्तव्यों के तैयारी के लिए जिम्मेदार है। कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्टनुसार भारत में लेखा सिद्धांतों के स्वीकृत लेखापरीक्षा पर जारी मानदंड कंपनी की वित्तीय विवरणों की स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के नकदी प्रवाह पर विचार व्यक्त करना हमारे उत्तरदायित्व में शामिल है। इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम उचित आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियाव्ययन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण तथा अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रख-रखाव एवं कार्यान्वयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण शामिल न हो तथा लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति एवं वित्तीय विवरणों में ऋटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

4. लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने यह लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है। हमने अधिनियम में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदण्ड नियमों में यह अपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियाव्ययन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋटि न हो।

- लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राशि एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फ़ैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में ऋटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।
- इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल है जिसे अनुलग्नक 'ग' में दर्शाया गया है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखा अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया।
- वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षक को दिए गए साक्ष्यों के आधार किया गया। प्राप्त लेखा प्रमाण के आधार पर इससे संबंधित अनिश्चिताओं तथा इनकी उपयुक्तता का निर्धारण की जाती है। यदि लेखा में किसी प्रकार अनिश्चिता प्रकाश में आने पर इनका खुलासा वित्तीय विवरण किया जाता है।
- लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति शामिल है।
- कंपनी के गतिविधियों के बारे में पर्याप्त एवं उचित लेखा साक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है जिससे कि कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त कर सके।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए प्राप्त साक्ष्य लेखा परीक्षा पर राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है और उचित है।

अन्य मामलें

हम निम्नलिखित मामलों पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं :-

- अंडमान लोक निर्माण विभाग को आबंटित सिविल कार्यों के मूल्य का उचित आंकलन अग्रिम देने से पहले नहीं किया गया है।
- उच्च मूल्य के सस्पेंस खाते के कारण, देनदारों से अग्रिम का वास्तविक मूल्य वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है।

1. अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के तहत आपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं:

- (i) हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी सूचना तथा स्पष्टीकरणों प्राप्त किया गया, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।
- (ii) हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित लेखा के उचित पुस्तकों का प्रयोग किया है, जहाँ तक उन पुस्तकों को देखने से प्रतीत होता है।
- (iii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण व्याप्त पुस्तकों के करार में हैं।
- (iv) हमारे राय के अनुसार वित्तीय विवरणों में, अधिनियम के खण्ड 133 में निर्दिष्ट (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित)) किए गए लेखांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।
- (v) उपर्युक्त दर्शाए गए योग्य राय के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- (vi) भारत सरकार के निगमित मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.06.2015 जारी अधिसूचना जीएसआर 463(इ) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 164 की उप धारा (2) में दर्शाए गए प्रावधान कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारणवश उपर्युक्त नहीं है।
- (vii) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्ता एवं प्रभावपूर्णता के संबंध में कंपनी द्वारा अनुलग्नक "ग" में अलग से दर्शाया गया है।
- (viii) हमारे राय में और जहां तक हमें जानकारी तथा हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों से संबंधित विषयों के तहत लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जानी वाली मामलें हैं:
 - (i) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या: 27 (i)(क) तथा (ख) तथा 27(v) में दर्शाए गए पूर्ण विवरण के तहत कंपनी ने अपने विलंबित विवादों तथा इससे संबंधित वित्तीय स्थिति को प्रकट किया है।

- (ii) कंपनी ने उपयुक्त विधि एवं लेखा मानदण्ड के अंतर्गत आपेक्षित, दीर्घकालिक अनुबंधों पर हानि के लिए प्रावधान रखा गया है ।
- (iii) अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिवेदित वर्ष के दौरान कंपनी के पास शिक्षा निवेशक तथा संरक्षण कोष में राशि के स्थानांतरण से संबंधित मामलें नहीं थी ।
- (iv) प्रबंधन ने खुलासा किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों पर नोट्स के अलावा, कंपनी ने किसी व्यक्ति या इकाई जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्त) शामिल हैं, से न ही किसी प्रकार फंड प्राप्त की है और न ही किसी प्रकार का उधार प्राप्त की और न ही किसी प्रकार का निवेश किया गया है ।
2. कंपनी के आदेश (लेखा परीक्षक के रिपोर्ट), 2020 में आपेक्षित अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 दर्शाए गए विवरण को अनुलग्नक (क) दर्शाया है ।
3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार हमने विवरण अनुलग्नक 'ख' में व्यक्त की है ।

कृते राय घोष एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकृत संख्या: 320094E

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023

(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJB6128

लेखा परीक्षक के निष्पक्ष रिपोर्ट का संलग्नक (क)

हमारे जाँच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

- (i). (क). यह कम्पनी अचल परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण, जिसमें अचल परिसम्पत्तियों की संख्या तथा इसकी स्थिति के विवरणों का उचित रिकॉर्ड एवं रखरखाव करती हैं।
- (ख). जैसा हमें स्पष्टीकरण दी गई है, प्रबंधन द्वारा उचित समय अंतराल पर अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष जाँच करती हैं जो हमारे विचार से कंपनी के आकार तथा उनके परिसम्पत्तियों के संबंध में तर्क संगत है।
- (ग). सभी अचल परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व का अधिकार (बिक्री विलेख तथा लाइसेंस/अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विनियम, 1966 के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी आबंटन आदेश प्रमाणपत्र) कंपनी के नाम पर पंजीकृत है।
- (घ). कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ). हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 का 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।
- (ii) (क) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन किया गया और ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसी कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
- (ख) रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा नहीं है। कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थान से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- (iii). कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित/असुरक्षित ऋण नहीं दिया गया है इसलिए उपखण्ड 3 (iii) (क), 3(iii) (बी) आदेश के 3 (iii) लागू नहीं है।
- (iv). कंपनी ने किसी भी प्रकार की ऋण अथवा गारंटी प्रदान नहीं की है और न ही किसी प्रकार की गारंटी तथा प्रतिभु दिया है जो कंपनी अधिनियम 2013 में विनिर्दिष्ट खण्ड 185 तथा 186 में शामिल है।
- (v). कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 तथा कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम 2014 (संशोधित) के अंतर्गत कंपनी ने किसी भी प्रकार का जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- (vi). हमारे जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के खण्ड 148 के उप खण्ड (1) के तहत कंपनी के उत्पादों के लागत रिकॉर्ड की रखरखाव पर कोई निर्दिष्ट नहीं दी है।
- (vii). (क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार यह कम्पनी वैधानिक बकायों की अविवादित राशि जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धक कर, उप कर, जीएसटी, सेस तथा अन्य उपर्युक्त देय को सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारी को नियमित रूप से जमा कर रही हैं।
- (ख) प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत तक निम्नलिखित वैधानिक बकाया देय विवादित है :

प्राधिकारी का नाम	देय का प्रकृति	राशि	अवधि	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है ।
भविष्य निधि	भविष्य निधि	22,60,043	2005-09	भविष्य निधि न्यायालय, कोलकता
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	1,30,72,327	2007-08	आयकर आयुक्त (अपील)– XI कंपनी कं पक्ष में आदेश जारी किया गया परंतु डी सी आई टी के समक्ष विलंबित है ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	89,58,073	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)– XI कंपनी कं पक्ष में आदेश जारी किया गया परंतु डी सी आई टी के समक्ष विलंबित है ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	2,08,92,808	2010-11	आय कर आयुक्त (अपील) – ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	9,56,860	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)– XI कंपनी कं पक्ष में आदेश जारी किया गया परंतु डी सी आई टी के समक्ष विलंबित है ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	20,77,920	2013-14	आय कर आयुक्त (अपील) – ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	1,02,14,860	2014-15	आय कर आयुक्त (अपील) – ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	3,25,704	2015-16	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	9,89,632	2016-17	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	2,25,80,280	2017-18	आय कर आयुक्त (अपील) – ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	5,23,460	2018-19	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	4,98,96,300	2019-20	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	18,35,318	2020-21	आय कर आयुक्त (अपील) – ।
टीडीएस/टीटीएस रिटर्न	आय कर	75,540	2009-20	—

- (viii). हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खाते की कितबों में कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो ।
- (ix). हमारे राय में तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंक अथवा डिबेन्चर के देय के पुनःभुगतान में किसी प्रकार की चूक नहीं की है ।
- (x). कंपनी द्वारा प्रारंभिक लोक प्रस्ताव अथा अतिरिक्त लोक प्रस्ताव के रूप में किसी प्रकार की राशि को दर्शाया नहीं गया है । हमारे राय में तथा दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रतिवेदित वर्ष के दौरान किसी प्रकार का आवधिक ऋण नहीं ली है ।
- (xi). (क) निष्पादित ऑडिट प्रक्रियों और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि यूनिट द्वारा या यूनिट पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है ।
- (ख) वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के साथ कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है, जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 में निहित है ।
- (ग) कंपनी को वर्ष के दौरान विसिल-ब्लोअर शिकायतों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश की रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।
- (xiii) संबंधित पार्टियों से लेन-देन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 में निहित प्रावधान का कंपनी ने उपयुक्त होने पर अनुसरण किया है । संबंधित पार्टियों से लेन-देन को स्वीकृत लेखा मानदंड के अनुसार वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है ।
- (xiv) कंपनी ने सभी इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए अपने आकार और व्यवसायिक गतिविधियों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया । लेकिन आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की सभी गतिविधियों को कवर नहीं कर रही है ।
- (xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान इकाई पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है ।
- (xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई ए के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय निगम के तहत कोई पंजीकरण नहीं है ।
- (xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvii) के प्रावधान इकाई पर लागू नहीं होते हैं ।
- (xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान इकाई पर लागू नहीं होते हैं ।
- (xix) वित्तीय अनुपात और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और साक्ष्य के आधार पर धारणाओं का समर्थन करते हैं । हमारे ध्यान में कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का तुलन पत्र में दर्शाए गए देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है । तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होगा । हालांकि हम यह व्यक्त करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट लेखा परीक्षा की अवधि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा ।
- (xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर परियोजनाओं पर या चालू परियोजनाओं के अलावा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 135 में बताया गया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xx) (क) और (xx) (बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है ।
- (xxi) आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (XXi) के तहत रिपोर्टिंग इस कंपनी के लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है ।

कृते रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
फर्म पंजीकृत संख्या: 320094E

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023

Sd/-
(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJB6128

आंतरिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट (संलग्नक 'ख')

(अन्य विधि एवं विनियामक आपेक्षित के संबंध में जारी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ का हवाला लें)

2

क्र.सं.	मामलें	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के सभी प्रक्रिया करने की पद्धति है। यदि हां, तो विवरण दें।	सभी लेखांकन लेनदेन सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जा रहे हैं। यह कार्य टैली सोल्योषन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आई टी साफ्टवेयर पैकेज के माध्यम से की जा रही है। इसलिए लेनदेन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण नहीं की जा सकती है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के मामलों में छूट दी गई है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	प्रतिवेदित वर्ष के दौरान किसी भी ऋण को पुनर्गठित नहीं किया गया।
3.	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को उसकी अवधि और स्थिति के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। ?	इस प्रकार के मामलों प्रकाश में नहीं आया है।

कृते रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
फर्म पंजीकृत संख्या: 320094E

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023

Sd/-
(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJB6128

आंतरिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट (संलग्नक 'ग')

हमने दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित कंपनी के उसी तारीख को समाप्त वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कर लिया है।

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का यह दायित्व है कि वे भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण का रख-रखाव करें। इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम कंपनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधान के आधार पर उचित आष्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार करते तथा उनका क्रियाव्ययन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण तथा अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा समयानुसार वित्तीय संबंधित सूचना की तैयारी आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कि हमारी लेखा परीक्षा में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने यह लेखा परीक्षा में कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 143(10) में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार भारत के सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है जिसमें यह अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों के रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण पर उचित तर्कसंगत आष्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर उनको क्रियान्वित करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में त्रुटि न हो।

अस्वीकरण में दर्शाए गए मामलों पर हम कंपनी के वित्तीय विवरणों में आंतरिक लेखा नियंत्रण पद्धति पर पर्याप्त सुसंगत लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखा पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ थे।

योग्य राय

हमारे जाँच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :

- नोट संख्या 11 का हवाला लें: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम: निगम के पास गैर-चालू प्रतिभू जमा प्राप्य राशि रु.24.22 लाख है जो प्रतिभू जमा राशि में परिभाषित लेखांकन मानदण्ड 30 (वित्तीय घटकों: मान्यता एवं गणना) के अंतर्गत अंकित है जिसे क्षतिग्रस्त लागत पर हानि के आधार पर गणना की गई है। परंतु कंपनी ने आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारणवश क्षतिग्रस्त वित्तीय घटकों के बारे में पुष्टि नहीं की गई।
- प्रतिवेदित वर्ष के दौरान बिना पहचान किए गए पार्टियों से राशि रु. 54,61,757/- को संस्पेस लेखा (क्रेडिट) में दर्शाया गया परंतु इसकी पहचान नहीं की गई। परिणामस्वरूप प्राप्य राशि रु. 54,61,757/- का समाधान नहीं किया जा सका।
- कंपनी के व्यवसाय एवं प्रकृति के तुलना में आंतरिक लेखा परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा हमें चौथी तिमाही का आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
- कंपनी ने कुछ निर्माण कार्यों के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग को रु 44,00,627/- अग्रिम राशि प्रदान की है परंतु उक्त कार्य पूरा होने के बाद अंडमान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। जिस कारणवश वसूली योग्य राजस्व की हानि हुई है।

- कंपनी ने वर्ष 2012 के दौरान वेबकॉन लिमिटेड के 30,000 इक्विटी शेयरों की खरीद कर रु. 6.0 लाख निवेश किया गया तथा उक्त विवरण पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उपलब्ध नहीं था और किसी भी मूल्यांकनकर्ता द्वारा उक्त शेयरों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसलिए हम उन शेयरों के निवेश के मूल्य पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित होने पर संभवतः कंपनी में अनुचित प्रबंधन, गलत विवरण तथा धोखाधड़ी के मामलों प्रकाश में आते हैं, जिसका पता नहीं लग पाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा में भविष्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने पर, शर्तों के परिवर्तन होने पर यह अपर्याप्त व संकट व आपत्तिपूर्ण प्रतीत होता है तथा इससे कार्यप्रणाली अथवा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

हमारे राय के अनुसार कंपनी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के आंतरिक वित्तीय विवरण पर दर्शाए गए मार्गदर्शन नोट के आधार पर हमने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर टिप्पणी व्यक्त की है जो हमारे दृष्टिकोण से पर्याप्त व उचित है। हमने उपर्युक्त प्रकटीकरण पर विचार लेखा परीक्षा के प्रयोग के लिए प्रयोग किए गए प्रकृति, समय तथा लेखा परीक्षण तक निर्धारित थी। इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्रायः

एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया सामान्य तौर पर लेखा सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिससे कि हमें वित्तीय विवरणों पर उचित आश्वासन प्रदान कर सकें। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित नीतियां व कार्यप्रणाली शामिल हैं :-

- (1) कंपनी के परिसम्पत्तियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड, रख-रखाव, उनसे संबंधित लेन-देन तथा निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर आश्वासन प्रदान करना।
- (2) भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय लेन-देन पर उचित आश्वासन देना।
- (3) वित्तीय विवरण पर समय समय पर प्रभावित होने वाले आप्राधिकृत अधिकरण अथवा संरक्षण, प्रयोग अथवा कंपनी के परिसम्पत्तियों को निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर उचित आश्वासन प्रस्तुत करना।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय विवरण के सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित होने पर संभवतः कंपनी में अनुचित प्रबंधन, गलत विवरण तथा धोखाधड़ी के मामलों प्रकाश में आते हैं, जिसका पता नहीं लग पाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा में भविष्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने पर, शर्तों के परिवर्तन होने पर यह अपर्याप्त व संकट व आपत्तिपूर्ण प्रतीत होता है तथा इससे कार्यप्रणाली अथवा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कृते रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकृत संख्या: 320094F

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023

Sd/-
(सी ए मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 0527072
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJB6128

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वित्तीय विवरण की तैयारी करना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अपने व्यवसायिक निकाय 'इस्ट्र्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 143(10) में निहित नियमानुसार जिम्मेदार है। इस बात का उल्लेख उनके दिनांक 31.08.2023 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई है।

मैं, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की ओर से दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम, पोर्टब्लेयर की लेखा विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) के साथ पठित धारा 129(4) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना निष्पक्ष रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधा पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा के बेहत समझ के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क.1 : आरक्षित एवं अधिषेध (नोट 3) : रु. 222.57 करोड़

अल्पावधि प्रावधान (नोट 8) : 137.96 करोड़

अल्पावधि प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 30 अगस्त 2023 को आयोजित 163वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा घोषित प्रस्तावित लाभांश के लिए 10.46 करोड़ का प्रावधान शामिल है और परिणामी समायोजन आरक्षित और अधिषेध से किया गया था।

लेखांकन मानक के 4 के मद संख्या 14 के अनुसार लेखापरीक्षा सही नहीं हैं जिसमें कहा गया है कि 'यदि कोई उद्यम तुलन पत्र के तिथि के बाद शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा करता है, तो उद्यम को उन लाभांश के तुलन पत्र की तारीख पर देनदारियों के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो, ऐसे लाभांश का खुलासा नोट में किया जाना चाहिए'।

अतः गलत लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्रावधानों को अधिक बताया गया और आरक्षित तथा अधिषेध को रु. 10.46 करोड़ से कम बताया गया। खातों पर टिप्पणियाँ इस हद तक कम हैं कि प्रस्तावित लाभांश के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया जैसा कि लेखांकन मानदण्ड 4 द्वारा अपेक्षित है।

ख. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

ख.1 लेखा परीक्षकों ने समेकित वित्तीय विवरणों पर निष्पक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत 'नकदी प्रवाह' पैराग्राफ पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है।

ख.2 "मामलों पर जॉर" पैराग्राफ के तहत, प्राथमिकता दिए गए मामले के संबंध में लेखापरीक्षक की राय को संशोधित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा मानक संख्या 706 (संशोधित) के अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

ख.3 पैरा 1.2 तथा 2(ix) में दी गई योग्यताएँ दोहराया गया है ।

ख.4. समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक के रिपोर्ट के अंतर्गत 'अन्य कानूनी और वैधानिक आवश्यकता' के तहत पैरा संख्या 'जी' के रिपोर्ट में 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' के संबंध में 'अनुलग्नक-ग' के रूप में अनुबंध का उल्लेख किया गया है जबकि यह अनुलग्नक 'क' में दिया गया है ।

ग. अन्य टिप्पणियाँ

ग.1 : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 158 के तहत आवश्यक होने के बावजूद हस्ताक्षरकर्ता निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) वित्तीय विवरण पर उल्लिखित नहीं है ।

ग.2: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक होने के बावजूद निगमित समाजिक दायित्व पर व्यय के संबंध में खुलासा नहीं किया गया है ।

ग.3: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित होने के बावजूद प्रगति और व्यापार प्राप्य में पूंजीगत कार्य के लिए अनुसूची नहीं दी गई है ।

ग.4: समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के तहत 'समेकन के आधार' का खुलासा नहीं किया गया है ।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से

Sd/-

(दीबोलिना ठाकुर)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

सेन्ट्रल: कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 05.12.2023

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)
31 मार्च 2023 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
इक्विटी तथा देय			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	2	1,097.01	1,097.01
आरक्षित एवं अधिशेष	3	22,257.50	19,816.76
गैर-मौजूदा देय			
अन्य दीर्घ अवधि प्रावधान	4	177.70	199.70
दीर्घ अवधि प्रावधान	5	972.34	1,154.66
चालू देय			
व्यापार देय	6	3,070.68	3,664.66
अन्य चालू देय	7	2,053.22	1,715.25
अल्पावधि प्रावधान	8	13,790.48	12,370.20
कुल		43,418.93	40,018.23
परिसम्पत्तियाँ			
गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्ति			
—वास्तविक	9	2,124.69	1,925.50
—अवास्तविक		3.48	5.03
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		76.45	59.67
गर-चालू निवेश	10	6.00	6.00
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम	11	50.32	140.30
अस्थगित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	12	265.36	311.85
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
ऋण एवं वित्त प्रभाग से आवधिक ऋण	13	25.24	38.08
चालू परिसम्पत्ति			
सम्पत्ति सूची	14	8,623.65	8,836.26
व्यापार प्राप्य	15	959.01	930.97
नकद तथा बैंक शेष	16	16,688.58	14,271.58
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम	17	14,590.11	13,488.51
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	18	6.04	4.48
कुल		43,418.93	40,018.23

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 320094E

(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31 / 08 / 2023
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJB6128

Sd/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
सी. अरविंद
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

Sd/-
नंदिनी पालीवाल
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि वित्तीय विवरण पर नोट

	नोट संख्या	वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)	वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)
आय			
परिचालन से राजस्व	19	46,553.99	34,312.64
अन्य राजस्व	20	1,035.98	1,112.80
कुल राजस्व		47,589.97	35,425.44
व्यय			
उपभोक्त सामग्रियों की खपत	21	996.51	884.77
व्यापार के लिए स्टॉक की खरीद	22	37,115.97	28,189.48
तैयार माल की सूची परिवर्तन, कार्य प्रगति, व्यापार स्टॉक	23	227.74	(1,014.62)
कर्मचारियों के लाभ के लिए व्यय	24	2,279.46	2,296.52
मूल्यहास तथा ऋणमुक्ति पर व्यय	9	154.64	202.53
संचालन एवं अन्य व्यय	25	2,318.78	1,595.72
कुल व्यय		43,093.11	32,154.40
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,496.86	3,271.04
असाधारण सामग्रियां – वापस लेने का प्रावधान		154.38	1.61
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,651.24	3,272.65
घटाए: चालू कर का प्रावधान	1,117.95	884.06	741.75
घटाए: किए गए आस्थगित कर का प्रावधान	46.50	-	-
जोड़े: अस्थगित कर निपटाए जाने का प्रावधान	-	4.55	30.77
विनियोजन के लिए उपलब्ध प्रावधान		3,486.79	2,393.14
प्रति शेयर का लाभ: मूल तथा मिश्रित	26	317.85	218.15

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियां

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

The figures shown in the notes are ₹ in lakhs.

कृते मेसर्स रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 320094E

(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJB6128

Sd/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
सी. अरविंद
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

Sd/-
नंदिनी पालीवाल
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड**

(सरकारी उपक्रम)

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2023 (₹)
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर से पहले शुद्ध लाभ तथा आसाधारण वस्तुएं	4,496.86	3,271.04
<u>समायोजन के लिए:</u>		
मूल्यहास	154.64	202.53
वित्तीय लागत	-	-
अचल सम्पत्ति पर व्याज	(619.16)	(511.78)
अशोध्य तथा संदहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	93.93	64.79
अचल सम्पत्ति के बिक्री (शुद्ध) पर हानि	-	-
बट्टे पर डाला गया आशोध्य ऋण	-	-
रिटर्न बेक का प्रावधान	154.38	1.61
पट्टे के किराया का आय	(334.81)	(412.88)
प्रचालन लाभ तथा कार्यपूजी में परिवर्तन	3,945.84	2,615.31
<u>समायोजन के लिए:</u>		
संपत्ति में कमी/(वृद्धि)	212.61	(1,017.50)
प्राप्य व्यापार में कमी/(वृद्धि)	(121.97)	139.42
बिमाकिक व्याज में कमी/(वृद्धि)	14.86	(48.10)
चालू ऋण तथा अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(1,101.60)	(1,272.83)
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	315.96	(25.65)
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	(593.97)	133.53
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(16.42)	97.99
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	302.33	195.15
ऋण तथा वित्त प्रभाग से आवधिक ऋण में कमी/(वृद्धि)	12.84	(3.00)
कर का भुगतान	-	-
संचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	2,970.47	824.43
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)		
पट्टे के किराया का आय	334.81	412.88
दीर्घकालीन अवधि प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	(182.32)	109.45
दीर्घ-अवधि ऋण तथा अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	89.98	117.17
अचल परिसम्पत्ति में जोड़ना (शुद्ध)	(354.89)	(292.76)
पूँजीगत कार्यों की प्रगति में परिवर्तन	-	-
सावधिक जमा पर व्याज	619.16	511.78
लाभ और हानि के समायोजन के पश्चात अचल संपत्ति की बिक्री	2.68	2.39
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)	492.63	860.90

ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
प्रस्तावित लाभान्श	(1,046.04)	(715.21)
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	-	0.11
प्रस्तावित लाभान्श पर कर	-	(119.02)
वित्त लागत	-	-
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद (ग)	(1,046.04)	(715.21)
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	2,417.06	970.12
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	14,271.58	13,301.44
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	16,688.58	14,271.57
	2,417.06	970.12
31-03-2023 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण से संबंधित नोट		
1. उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत जैसा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखा मानक 3 में निर्धारित किया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।		
2. कोष्ट के अंदर दर्शाया गया अंक नकद लागत को दर्शाता है।		
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां पर आवश्यक हुआ, पुनः संगठित / पुनःव्यस्थित किया गया है जिससे कि चालू वर्ष के वर्गीकरण में समरूपता लाया जा सके।		
4. नकद तथा नकद तुल्य में शामिल है:		
	राशि	राशि
अनुसूचित बैंको में शेष	2,336.06	2,750.16
अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	14,160.04	10,469.66
गैर अनुसूचित बैंको में शेष	136.46	49.46
हाथ में चैक	-	-
हाथ में उपलब्ध नकद	56.02	32.16
कुल	16,688.58	13,301.44
5. अल्पावधि जमा के अंतर्गत इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर शाखा में क्रेडिट गारंटी निधि में ₹.27.31 लाख शामिल है। (पिछले वर्ष 26.07 लाख)		
यह नकद प्रवाह विवरण समसंख्यक दिनांक पर जारी रिपोर्ट पर आधारित है।		
यह नकद प्रवाह विवरण समसंख्यक दिनांक पर जारी रिपोर्ट पर आधारित है।		

कृते मेसर्स रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 320094E

(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJB6128

Sd/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
सी. अरविंद
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

Sd/-
नंदिनी पालीवाल
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

नोट 1: महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा व्याख्यात्मक सूचना का सांराष

1. पृष्ठभूमि तथा संचालन की प्रकृति:

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) व्यापार, पर्यटन, उद्योगिक वित्त तथा दूध उत्पादन तथा दूध उत्पादों से जुड़ा है।

2. लेखा के आधार:

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन संभूति तथा अनिवार्य लेखा मानकों के आधार पर देश की सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाए गए लेखा नीतियों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण में सभी तथ्यों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 133 के अंतर्गत (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 (संशोधित) मानक नियम से जुड़े सभी संबंधित प्रावधान तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की घोषणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को बिमाकिंक आधार तैयार किया गया तथा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंपनी द्वारा नियमित रूप से लेखा नीतियों का प्रयोग किया गया।

अधिनियम के अनुसूची III के अनुसार कंपनी के सामान्य संचालन प्रणाली के तहत सभी परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वर्गीकृत किया गया है। कार्य प्रकृति के आधार पर कंपनी द्वारा परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर चालू प्रयोजन में संचालित 12 माह तक प्राप्त किया जाता है।

3. आंकलन का प्रयोग

आंकलन के लिए आंकलन से पूर्व किए जाने वाले आंकलन से संबंधित पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है जो वित्तीय वर्ष के संभावित परिसम्पत्ति तथा देयता के राशि तथा कारोबार वर्ष के दौरान संभावित राजस्व तथा व्यय की संभावित राशि को प्रभावित कर सकें। यद्यपि, यह आंकलन प्रबंधन के चालू गतिविधियों के आधार पर होता है जिस कारण वास्तविक आंकलन में अंतर होता है। वास्तविक परिणाम तथा आंकलन के बीच विभिन्नता, कार्यान्वित होने की अवधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

4. अचल सम्पत्ति:

सभी अचल सम्पत्तियों का मूल्यहास तथा क्षति से हुई हानि, यदि हो तो, उसे घटाकर लागत पर आंका जाता है। परिसंपत्तियों की लागत में संपत्ति की खरीद मूल्य सहित इसे प्रचालन योग्य करने तक को लागत पर आंका जाता है। पट्टे पर दिए गए भूमि को लागत के अनुसार आंका जाता है। उसके पश्चात् व्यय, यदि कुछ होने पर, संबंधित परिसम्पत्ति के खाता मूल्य पर जोड़ा है।

5. प्रत्यक्ष परिसम्पत्ति:

प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में कम्प्यूटर साफ्टवेयर सहित तीन वर्षों के ऋण अवधि को लागत पर आंका जाता है।

6. मूल्यहास/ऋणपरिषोधन :

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II के अधीन निर्धारित दर के आधार पर अचल सम्पत्तियों पर वास्तविक लागत पर मूल्यहास दिया गया है। परिसम्पत्तियों को भट्टे पर डालने का मूल्य दिनांक 01 अप्रैल 2014 से पहले तक प्राप्त किया जाता है तथा इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के अनुसार निर्धारित प्रयोग को मूल्यहास में आंका जाता है। अचल परिसम्पत्तियों में वृद्धि के मामलों में मूल्यहास उसके वृद्धि के तारीख से यथानुपात दर पर की जाती है। बिक्री किए गए अचल परिसम्पत्तियों के मामलों में मूल्यहास उसके बिक्री की तारीख से पूर्व तारीख तक यथानुपात दी गई है। परिसम्पत्ति, जिनका वास्तविक लागत रु. 5000/- से कम होने पर मूल्यहास शत प्रतिशत के रूप में आंका जाता है।

7. परिसम्पत्तियों का हानिकरण:

लेखा मानक 28 के अनुसार सम्पत्ति के वहन राशि को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक तथा बाहरी कारक के आधार पर परिसम्पत्ति को क्षतिपूर्ण माना जाता है, जब उसे ले जाने की

लागत वसूली योग्य से अधिक हो । वसूली योग्य राशि परिसम्पत्तियों के शुद्ध विक्रय कीमत तथा प्रयोग की जानी वाली मूल्य से अधिक है। मूल्य का निर्धारण अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह से वर्तमान मूल्य को घटाकर किया जाता है। संपत्ति के हानि निर्धारण के लिए संपत्ति को खण्ड में विभाजित किया जाता है जिससे कि यह नकदी प्रवाह पर अलग से पहचाना जा सके।

8. निर्माण के दौरान व्यय:

नए इकाई तथा वर्तमान इकाईयों का विस्तार करने पर, संस्थापन के तिथि से खर्च की गई सभी पूर्व संचालित व्यय को पूंजी में परिणत कर उसे यथानुपात आधार पर अचल सम्पत्तियों में की लागत में शामिल किया गया है।

9. निवेश:

दीर्घ अवधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है । अस्थायी प्रकृति निवेशों को छोड़कर प्रत्येक दीर्घ अवधि निवेश की मूल्य में कमी को अस्वीकार करने के लिए प्रावधान रखा गया ।

10. सम्पत्ति सूची:

कच्चा माल तथा भण्डार, जिसके मूल्य को परम्परागत लागत में आंका गया है, को छोड़कर सम्पत्ति सूची के मूल्यों को परम्परागत लागत के क्रम में आंका गया है तथा शुद्ध वसूली योग्य कीमत पर आंका गया । परम्परागत लागत में खरीद लागत तथा अन्य कोई लागत, जो इस सम्पत्ति को इसके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में खर्च किया गया, का जोड़ शामिल हैं।

सामान्यतः विक्रय कीमत ही शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है जिसमें विक्रय के लिए अनुमानित खर्च को घटाया जाता है।

11. राजस्व स्वीकृति:

क). समानों की बिक्री

वस्तुओं के बिक्री की मान्यता वस्तु की जोखिम तथा स्वामित्व खरीददारों तक पहुंचने के पश्चात् आंका जाता है । मेगापोड रिसॉर्ट, दूध तथा दूध उत्पादों को छोड़कर बिक्री को सामान्यतः व्यापार में शुद्ध छूट के आधार पर दर्ज किया जाता है।

ख. सेवाओं से राजस्व

सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता जब कभी दिए गए सेवा के आधार पर निर्धारण किया गया है।

ग. संभूति आधार पर ब्याज तथा कमीशन का निर्धारण किया गया है।

निवेश से लाभांश, भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित होने के आधार पर मान्यता दिया गया है।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार इस्पात एवं आई एम एफ एल उत्पादों के विक्रय कीमत का निर्धारण किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री भारतीय तेल निगम द्वारा निर्धारित विक्रय कीमत के आधार पर होता है जबकि दूध के मामले, व अन्य वस्तुओं व सेवाओं को विक्रय कीमत का निर्धारण कंपनी द्वारा की जाती है।

12. विदेशी मुद्रा का कारोबार:

i प्रारंभिक स्वीकृति:

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा के आधार पर किया गया है, विदेशी मुद्रा की राशि तथा लेन-देन के समय मुद्रा की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार रिकॉर्ड किया गया अथवा कारोबार के समय उनके अनुमानित वास्तविक दर पर रिकॉर्ड किया गया ।

ii परिवर्तन :

विनिमय में अंतर

तुलन पत्र पर दर्शाए गए विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति तथा देयता को अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर तथा वहां से विनिमय हानि/लाभ के आधार पर अचल परिसम्पत्ति पर समायोजित किया गया है अथवा मामले के अनुसार लाभ तथा हानि लेखा पर चार्ज किया गया ।

13. कर्मचारियों के लाभ:

- (क). भविष्य निधि का निर्धारण अंशदान योजना के अंतर्गत किया गया है तथा वर्ष के दौरान किए गए अंशदान को वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा में चार्ज किया गया है ।
- (ख). डिपॉजिट लिंक बीमा क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में अंशदान के रूप में मान्यता दी गई है।
- (ग). कर्मचारियों को वर्ष के अंत में देय अप्रयोज्य अवकाश मूल्य को वास्तविक आधार पर छुट्टी भुनाने का प्रावधान दिया गया है ।
- (घ). यह कम्पनी उपदान निधि में अंशदान करती है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक सामूहिक उपदान पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया । वर्ष 2016-17 से भारतीय जीवन निगम को वास्तविक आधार पर भुगतान की जाती है ।
- (ङ). “कर्मचारियों को कार्य निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन” कंपनी के कार्य निष्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत दिया गया ।
- (ढ). कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी से संबंधित देय संबंधित परिवार के आश्रित सदस्यों एवं उनके वेतनमान के अनुसार, बिना व्यतीत किए गए छुट्टी यात्रा रियायत लाभ के आधार पर वर्ष के अंत तक बिमाकिक आधार पर प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है ।

14. सरकारी अनुदान तथा छूट:

अनुदान तथा छूट की प्राप्ति के लिए पर्याप्त आश्वासन तथा दिए गए शर्तों के अनुपालन पर ही सरकार द्वारा अनुदान एवं छूट की स्वीकृति दी जाती है।

जब अनुदान अथवा छूट, व्यय से संबंधित वस्तुएं पर होने पर, उसकी क्षतिपूर्ति, संबंधित व्यय पर कटौती कर दर्शाया जाता है। यद्यपि अनुदान अथवा छूट सम्पत्ति से संबंधित होने पर इसका मूल्य सम्पत्ति लाने में हुए खर्च से घटाया जाता है।

15. कर

कर में प्रचलित कर तथा आस्थगित कर शामिल है । प्रचलित कर वह राशि है जो आयकर अधिरियम 1961 द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रचलित कर का निर्धारण अनुमानित कर योग्य आय पर कर की दर तथा विधि के आधार पर किया जाता है।

कर योग्य राशि तथा प्रतिवेदित वर्ष के आय के अंतर को मूल्यांकन करते हुए आस्थगित कर का निर्धारण किया जाता है तथा उसके पश्चात् कर की दर तथा कर से संबंधित विधि प्रयोग करते हुए कर की गणना को तुलन पत्र पर दर्शाया जाता है।

16. बिक्री कर/मूल्य योजित कर

भुगतान की गई विक्रय कर को लाभ तथा हानि लेखा पर दर्शाया गया है ।

17. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय का खुलासा करने में कोई त्रुटि या चूक को चालू वर्ष में सुधारा/समायोजित किया गया तथा ‘षुद्ध प्रभाव लाभ एवं हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

18. आकस्मिक देयता तथा आकस्मिक परिसम्पत्ति पर प्रावधान:

पूर्व वित्तीय परिणाम के फलस्वरूप वर्तमान में इन पर होने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए संभावित खर्च का प्रावधान रखा गया है तथा इनसे संबंधित आंकलन भी किया जा सकता है । प्रत्येक तुलनपत्र तिथि में इन प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान में सही आंकलन का पता लगने के लिए इसे समायोजित किया गया है । यदि संभावित दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होने पर इस प्रावधान को प्रतिवर्तित किया जाता है । आकस्मिक देयता के लिए संभावित दायित्व अथवा वर्तमान में इन दायित्वों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर आंकने का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय विवरण में आकस्मिक परिसम्पत्तियों आंका नहीं गया है । परंतु आकस्मिक परिसम्पत्तियों को निरंतर निर्धारित किया जाता है तथा अंतःप्रवाही सुनिश्चित होने पर इन सम्पत्तियों तथा संबंधित आय को परिवर्तन हुए कार्यकाल के दौरान दर्शाया जाता है ।

19. लाभांश तथा उसके कर:

निदेशकों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक लाभांश का प्रावधान लेखा में रखा जाता है, बशर्ते कि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो। लाभांश वितरण कर अलग से दर्शाए जाने का प्रावधान रखा गया है।

20. प्रति शेयर का अर्जन :

मुख्य रूप में प्रति शेयर की गणना, अवधि के शुद्ध लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के शुद्ध-भार औसतन से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। वर्ष के दौरान मिश्रित अर्जित प्रति शेयर की गणना वर्ष के दौरान शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि शेयरधारकों की संख्या के आधार पर कर सभी मिश्रित इक्विटी शेयरों में समायोजित किया जाता है।

21. नकद प्रवाह विवरण:

नकद प्रवाह के प्रतिवेदन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसमें कर से पूर्व लाभांश का समायोजन बिना नकद प्रवाह प्रकृति के लेन-देन की साथ किया जाता है। कंपनी के नियमित रूप से राजस्व सृजन, वित्तीय तथा निवेश से संबंधित कार्यकलापों को अलग-अलग किया जाता है। तुलन पत्र पर नकद तथा नकद तुल्य राशि बैंक में नकद/चेक तथा अल्पावधि निवेश सहित 12 माह व उससे कम मूल्य के मूल परिपक्वता भी शामिल है।

22. ए.एस.17 के अनुसार खण्डीय रिपोर्टिंग नीति:

(i) खण्ड की पहचान:

मूलभूत खण्ड

व्यवसायिक खण्ड

कंपनी का व्यवसाय उनके उत्पादों के प्रकृति के अनुसार सुव्यवस्थित एवं प्रबंधन किया जाता है। प्रत्येक खण्ड अपने अपने उत्पादों के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है।

द्वितीय खण्ड

भौगोलिक खण्ड

कंपनी के लिए भौगोलिक खण्ड उपयुक्त नहीं हैं

(ii) सामान्य लागत का आबंटन

सामान्य बांटने योग्य लागत को प्रत्येक प्रभाग के तुलनात्मक अंशदान के अनुसार कुल लागत को आबंटित किया जाता है।

(iii) बिना आबंटित मदें:

निगमित तथा अन्य व्यवसायिक खण्ड में सामान्य निगमित आय तथा व्यय संबंधित सामग्रियों को शामिल किया जाता है जिसे किसी अन्य व्यवसायिक खण्ड में आबंटित नहीं किया गया हो।

23. पूर्ण करना: पिछले वर्ष की गणना:

पिछले वर्ष की गणना को आवश्यकतानुसार पुनःवर्गीकृत एवं पुनःसुव्यवस्थित किया गया है जिससे कि चालू वित्तीय वर्ष में उससे तुलना कर सके।

24. पूर्ण करना:

वित्तीय विवरण में दिए रूपयों के अंकों को पूरा कर नजदीकी ₹.1/- में बदल दिया है। जहाँ पर आवश्यक हुआ मात्रात्मक अंकों को नजदीकी इकाई में परिणत कर लिया गया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)	वर्ष क अंत में 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या: 2			
शेयर पूंजी			
प्राधिकृत			
100 के 50,00,000 इक्विटी शेयर		5,000.00	5,000.00
कुल जारी, सदस्यता तथा भुगतान की गई राशि			
₹100 का ₹10,97,006 शेयर (पिछले वर्ष 10,97,006)			
जिसमें से 17,546 शेयर नकद राशि बिना जारी किया गया		1,097.01	1,097.01
कुल		1,097.01	1,097.01
नोट सं. 2(क) इक्विटी शेयरों का समाधान की संख्या तथा वर्ष के शुरुआत एवं			
समीक्षाधीन वर्ष के अंत में बकाया			
वर्ष के प्रारंभ में शेष		1,097.01	1,097.01
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर		-	-
वर्ष के दौरान वापस लिए गए शेयर		-	-
वर्ष के अंत में शेष		1,097.01	1,097.01
नोट सं. 2 (ख) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारकों का विवरण			
क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति	85	933,348
2	उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	15	163,656
पिछले वर्ष के लिए शेयर धारकों का विवरण समान है।			
नोट सं. (ग) प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दूध पावडर की राशि ₹17,546 के बदले में बोर्ड ने अपने कार्यसूची संख्या 23.09 के तहत दिनांक 22.01.1993 को द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के पक्ष में ₹100 की दर से 17,54,664 इक्विटी शेयर जारी किया गया।			
नोट संख्या: 3			
आरक्षण तथा अधिशेष			
सामान्य आरक्षण			
वर्ष के प्रारंभ में		19,816.75	18,138.81
जोड़े: अधिशेष से स्थानांतरण		2,440.76	1,677.94
वर्ष/ अवधि के अंत में		22,257.51	19,816.75
ख) लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष			
वर्ष के प्रारंभ में		0.00	0.01
जोड़े: वर्ष/अवधि के लिए लाभ		3,486.79	2,393.14
घटाए: विनियोग			
प्रस्तावित लाभांश (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत की दर से) नोट 28 (iv) के संदर्भ में।		1,046.04	715.21
लाभांश पर कर		-	-
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरण		2,440.76	1,677.94
वर्ष/अवधि के अंत में		(0.01)	(0.01)
		22,257.50	19,816.76

(₹ लाख में)

विवरण		वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)	वर्ष क अंत में 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या – 4 अन्य दीर्घअवधि देय			
क्रेडिट गारंटी कोष	4(क)		
प्रारंभिक शेष		26.07	
जोड़े: वर्ष के दौरान सृजित आय		-	
वर्ष के दौरान जोड़े		1.24	
कुल निधि		27.31	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग		-	
अंशमान तथा निकोबार प्रशासन से सहायता			26.07
अनुदान	4(ख)	173.63	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति		-	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग		23.24	
कुल		150.39	173.63
		177.70	199.70
<p>नोट 4 (क): क्रेडिट गारंटी निधि: पिछले वर्षों में कंपनी को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से कंपनी को औद्योगिक ऋण के खिलाफ संपात्तिक सुरक्षा के बदले में गारंटी प्रदान करने के लिए दिया गया जिसकी अग्रेनित शेष ₹26.07 लाख थी । । उपर्युक्त निवेश से सृजित आय पर ब्याज को कर की कटौती करने के पश्चात् निधि में जमा किया गया तथा योजना के शर्तों तहत उपयोग किए गए किसी भी राशि को कोष से कटौती की गई। इस तरह कोष के खिलाफ दायित्व की गारंटी दिनांक 31.03.2023 तक ₹ 27.31 / – लाख है। ।</p> <p>नाट 4 (ख): सक्षम प्राधिकारी के कार्योत्तर अनुमोदन के लंबित होने के कारण असमायोजित शेष (रु. 135.63 लाख), वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु.190.00 लाख प्राप्त हुआ जिसमें से दिनांक 31.03.2023 तक 175.24 लाख खर्च किए जा चुके हैं।</p>			
वर्ष	विवरण	प्रयोजन	राशि लाख में
1994-95	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 21.03.1995 को जारी आदेश संख्या 467 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 65.63
1995-96	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 29.03.1996 को जारी आदेश संख्या 837 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 70.00
2016-17	आदेश संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा पशुचिकित्सा निदेशालय से प्राप्त	दूध एकत्रीकरण के विस्तार के लिए	₹14.76
प्रशासन से प्राप्त कुल सहायता अनुदान			₹150.39
नोट संख्या:5 दीर्घअवधि प्रावधान			
छुट्टी भुनाने का प्रावधान		832.04	1,012.02
उपदान का प्रावधान		83.15	83.88
छुट्टी यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी के लिए प्रावधान		57.10	58.67
मानक परिसम्पत्ति के विरुद्ध प्रावधान		0.05	0.09
कुल		972.34	1,154.66
नोट संख्या 6 व्यापार देय			
1)सक्षम, लघु तथा मध्यम उद्यमों से बकाया देय (6क)		-	-
2) अन्य व्यापार देय		3,070.68	3,664.66
कुल		3,070.68	3,664.66
<p>नोट संख्या 6 (क): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कंपनी द्वारा सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की पहचान किया गया । कंपनी के पास उपलब्ध सूचना तथा प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर तथा वर्ष के अंत में देय शून्य थी । (पिछले वर्ष –शून्य)</p>			

विवरण		दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या 7 <u>अन्य चालू देयता</u>			
<i>अग्रिम के रूप में प्राप्त आय</i>			
<i>अन्य देय</i>			
<i>जमा देय</i>			
<i>अन्य</i>			
उपभोक्ताओं से अग्रिम	121.35	121.35	121.35
उपायुक्त को दी जाने वाले मदिरा लाइसेंस शुल्क	19.71	9.11	43.48
व्यय के लिए बकाया देय	365.50		
आपूर्तिदाताओं से प्राप्त बकाया राशि/प्रतिभूति जमा	74.58		
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के शेरों पर प्रतिक्रय ब्याज	5.39		
कर देय	45.30		
सूक्ष्म ऋण योजना	0.04		
अन्य	49.90	560.42	314.69
मत्स्य निदेशक को जमा देय	7 (ख)	10.00	10.00
फुटकर ऋणदाताओं से अग्रिम		1,352.34	1,225.73
शुल्क एवं कर		-	-
कुल		2,053.22	1,715.25
नोट 7(क): कंपनी द्वारा उद्योग निदेशालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ब्याज मुक्त कम्पोजिट ऋण योजना क्रियान्वित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत ऋणदाताओं से वसुली की गई राशि को वापस उद्योग निदेशालय को दिया जाना है।			
नोट 7 (ख): कंपनी ने वर्ष 1989-90 से 1996-97 के दौरान मत्स्य निदेशक से निधि प्राप्त की। जिसमें से रु. 10 लाख उपयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त राशि अब स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर के चालू खाते में रखा गया है।			
नोट - 8 <u>अल्पावधि प्रावधान</u>			
कार्य निष्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए प्रावधान		223.82	222.73
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान		-	32.00
छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान		34.23	30.29
एल टी सी/ ए एफ सी पी का प्रावधान		20.09	20.43
जी एस टी से संबंधित लिक्विडिटी डेमेज के लिए प्रावधान		-	-
<i>अन्य</i>			
कर के लिए प्रावधान			
- निर्धारण वर्ष 2008-09	341.61		
- निर्धारण वर्ष 2009-10	359.40		
- निर्धारण वर्ष 2010-11	315.95		
- निर्धारण वर्ष 2011-12	376.38		
- निर्धारण वर्ष 2013-14	563.59		
- निर्धारण वर्ष 2014-15	726.28		
- निर्धारण वर्ष 2015-16	705.60		
- निर्धारण वर्ष 2016-17	1140.51		
- निर्धारण वर्ष 2017-18	1477.61		
- निर्धारण वर्ष 2018-19	921.21		
- निर्धारण वर्ष 2019-20	1584.30		
- निर्धारण वर्ष 2020-21	1210.10		
- निर्धारण वर्ष 2021-22	741.75		
- निर्धारण वर्ष 2022-23	884.06		
- निर्धारण वर्ष 2022-23	1,117.95	12,466.30	11,348.34
प्रस्तावित लाभान्श (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत	28(iv)	1,046.04	715.21
स्टॉक पर हानि का प्रावधान		-	1.20
कुल		12,370.21	11,291.00
नोट 8(क): भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या 15 में विनिर्दिष्ट के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत/ वार्षिक निःशुल्क शी पैसेज का बीमाकिक मूल्यांकन किया गया।			
नोट 8(ख): लेखा खाते के आधार पर आयकर पर टी डी एस का प्रावधान : 92.83 लाख			

**अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड**
(सरकारी उपक्रम)

नोट : 9

(` लाख में)

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
		दिनांक 01.04.2022 तक मूल लागत	वर्ष के दौरान समाप्तित	वर्ष के दौरान समायोजन	दिनांक 31.03.2023 तक	दिनांक 01.04.22 संशोधित मूल्यहास	प्रदान किया गया	समायोजित व स्थानांतरित	दिनांक तक 31.03.2023	दिनांक तक 31.03.2023	दिनांक तक 31.03.2022
क.	वास्तविक परिसम्पत्ति	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भूमि	61.48		2.00	59.48	-			-	59.48	61.48
2	भवन	2,063.21	285.19		2,348.40	645.07	75.96		721.03	1,627.37	1,418.13
3	कछाल, कर्मोटा तथा तरेसा में पी.ओ.एल टैंक	0.00			0.00	-			-	0.00	0.00
4	संयंत्र और मशीनरी	670.53	6.87		677.40	410.97	35.53		446.50	230.90	259.56
5	फर्नीचर तथा फिक्चर	226.39	8.74		235.13	174.67	12.55		187.22	47.91	51.72
6	वाहन	807.64	26.52	0.68	833.48	732.04	8.85		740.89	92.59	75.60
7	कार्यालय सामग्री	20.13	-		20.13	16.06	0.48		16.54	3.59	4.06
8	विद्युतीकरण संस्थापन तथा उपकरण	128.91	5.13	-	134.04	95.83	5.12		100.95	33.09	33.06
9	कम्प्यूटर	175.53	21.08		196.61	153.61	13.24		166.85	29.76	21.92
10	क्राकरी	19.92			19.92	19.92			19.92	-	-
11	लेनिन	21.25			21.25	21.25			21.25	0.00	-
	कुल वास्तविक परिसम्पत्तियाँ	4,194.99	353.53	2.68	4,545.84	2,269.42	151.73	-	2,421.15	2,124.69	1,925.50
ख	अस्पष्ट परिसम्पत्तियाँ										
	साफ्टवेयर	40.71	1.36	-	42.07	35.69	2.91	-	38.59	3.48	5.03
					-					-	
ग	सूचीगत कार्य प्रगति पर	59.67	16.79	-	76.45		-	-		76.45	59.67
	कुल परिसम्पत्ति (क+ख+ग)	4,295.37	371.68	2.68	4,664.36	2,305.11	154.64	-	2,459.74	2,204.62	1,990.20
	पिछले वर्ष	4,004.99	292.76	2.39	4,295.36	2,102.60	202.53	-	2,305.13	1,990.24	1,902.40

नोट 9(i) वर्ष 1991-92 के दौरान कंपनी ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दुग्ध संयंत्र, भवन, संयंत्र, मशीन एवं अन्य परिसम्पत्तियों के साथ निशुल्क रूप में प्राप्त की थी। इन परिसम्पत्तियों को लेखा पर दर्शाए गए अचल परिसम्पत्तियों पर शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2012 को जारी आदेश सं. 2135 के तहत वर्ष के दौरान डिग्लीपुर से पोर्टब्लेयर के बीच सहायता अनुदान द्वारा दूध श्रृंखला स्थापित किए जाने हेतु परिसम्पत्तियों की खरीद की गई। परिसम्पत्तियों को भारतीय लेखाकन संस्थान द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ए.एस. 12 में दर्शाया गया है।

नोट 9(ii) निगम ने कछाल, कर्मोटा तथा तरेसा में रु. 552.10 लाख की लागत से पेट्रोल पम्प का निर्माण किया है। यह परिसम्पत्तियों की लागत भारतीय तेल निगम से 10 वर्षों तक वसूला जाएगा, जो दिनांक 01.04.2014 प्रारंभ हुआ है। अतः पूरे परिसम्पत्तियों को सामान्य मूल्य रु.1 में तथा शेष राशि को प्राप्ति योग्य राशि के अंतर्गत "दीर्घकालिन ऋण एवं अगिम" शीर्ष पर रु. 2190.लाख (संवर्धन नोट सं.11) तथा "चालू ऋण एवं अगिम" रु. 82.98 लाख (संवर्धन सं. 17) दर्शाया गया है। इन परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास शामिल नहीं किया गया है।

नोट 9 (iii): पर्यटन परियोजना के विकास के लिए पट्टे पर 60 वर्षों की अवधि तक तीन स्थानों की भूमि की राशि रु. 9.16 लाख पर लिया गया पट्टे पर लिए गए इन स्थानों की भूमि का विकरण नोट 17(क) पर दर्शाया गया है।

नोट 9(iv): कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में 2 बार किया जाता है।

नोट (v): निगम के पास 54.03 हेक्टेयर भूमि का मूल्य शून्य दर्शाया गया है।

नोट (vi): अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से पट्टे के आधार पर कुछ परिसम्पत्तियों निर्मासित शर्तों के आधार पर प्राप्त की गई।

को हॉनबिल नेट : मासिक पट्टे का क्रियाया रु. 0.20 लाख सहित कर पश्चात 20 प्रतिशत लामांश। पट्टा दिनांक 07.09.2029 तक प्रभावी रहेगा।

ख) जल क्रीडा उपकरण: कर के बाद लाभ का आबंटन 20 प्रतिशत। यह पट्टा दिनांक 31.05.2031 तक प्रभावी रहेगा।

ग) डोलफिन रिसोर्ट: पट्टे का मासिक क्रियाया रु. 2.25 लाख सहित कर के पश्चात लामांश का 30 का आबंटन 30 प्रतिशत। पट्टा दिनांक 12.10.2024 तक प्रभावी रहेगा।

नोट 9 (vi): पूंजीगत कार्य प्रगति हेतु मंगलापोड के विस्तार के लिए रु. 74.35 लाख आबंटित की गई जिसका उपयोग बाद में मंगलापोड का पट्टे पद देने के लिए निशुक्त लेनदेन सलाहका द्वारा किया गया।

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट सं. 10: गैर चालू निवेश		
(1) इस कंपनी के पास अंडमान मत्स्य लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) प्रति रु.10 का 9,67,000 शेयर है (रु.10 का 33,000 इक्विटी शेयर स्थानांतरण के लिए लंबित है)	69.65	
घटाए: अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर निवेश पर हानि का प्रावधान	69.65	-
(2) लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड में रु. 10 का 4,00,000 इक्विटी शेयर है जिसे पूर्णतः लागत पर सम्मिलित किया गया । 400000 इक्विटी शेयर पूर्ण लागत पर भुगतान	40.00	
घटाए: लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर पर निवेश पर हानि का प्रावधान	40.00	-
वेबकॉन कन्सल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में रु. 10 की प्रति शेयर सहित प्रति रु.10 की प्रीमियम शेयर के 30000 इक्विटी शेयर	6.00	6.00
कुल	6.00	6.00
<p>नोट 10 (i): इस कंपनी के पास अण्डमान मत्स्य लिमिटेड, पोर्टब्लेयर में प्रति रु.10 दर का 10,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर है। जिसमें से रु.10/- 33,000 इक्विटी शेयर एम.पी.इ.डी.ए से प्राप्त हुआ है जो स्थानांतरण के लिए विवादित एवं विचाराधीन है। एम.पी.इ.डी.ए ने विचाराधीन इक्विटी शेयर योजना के तहत 15 प्रतिशत का दावा किया है जो कंपनी द्वारा विवादित है तथापि कंपनी ने बोर्ड के 13वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवधिक ऋण की दर से ब्याज का भुगतान करने पर सहमति जताई है जिस पर दिनांक 10.06.2001 तक ब्याज के रूप में कुल राशि रु.5.39 लाख है । (सकल राशि रु. 8.69 लाख) इस पर चालू वर्ष में एक प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स अंडमान मत्स्य लिमिटेड एक हानिप्रद कंपनी है अतः निवेश के लिए पूर्ण राशि रखने का प्रावधान रखा गया है।</p> <p>नोट 10(ii): कंपनी ने वर्ष 1992 के दौरान लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड के इक्विटी शेयर में प्रति रु.10 के दर से 4,00,000 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर खरीद कर रु. 40,00,000 निवेश किया है । परंतु वर्ष 1992 में कंपनी की स्थापना के पश्चात् अब तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है तथा यह कंपनी वित्तीय संस्थानों का बहुत कर्जदार है तथा ऐसे निवेश से अब तक कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः इस प्रकार के निवेश पर शत प्रतिशत राशि रखने का प्रावधान रखा गया है तथा नोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।</p>		
नोट 11: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		
<u>सुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
कर्मचारियों को कम्प्यूटर अग्रिम	3.66	6.50
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम	0.54	2.57
<u>असुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
प्रतिभूति जमा	24.22	46.30
सरकारी एजेंसियों को अन्य अग्रिम		
भारतीय तेल निगम	21.90	84.93
<u>असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया</u>		
कर्मचारियों के अग्रिम	1.31	
घटाए: प्रावधान	1.31	-
जमा प्राप्य (असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया)	5.88	
घटाए: प्रावधान	5.88	-
कुल	50.32	140.30
नोट: 12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)		
क. आस्थगित कर ऋण	-	-
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	11.24	10.55
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	451.66	480.48
कुल	462.90	491.03
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	146.10	135.06
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	51.44	44.12
कुल	197.54	179.18
शुद्ध आस्थगित कर ऋण (परिसम्पत्तियां)	265.36	311.85
आस्थगित कर की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा मानक संख्या 22 के अनुसार किया गया है।		

(₹ लाख में)

नोट 13: ऋण एवं वित्त प्रभाग द्वारा आवधिक ऋण (सुरक्षित)		दिनांक 31.03.2023 (₹)	थदनांक 31.03.2022 (₹)
(क) आवधिक ऋण (विचार किया गया सामग्री)	18.64	25.24	38.08
आवधिक ऋण (संदेहास्पद)	12.75		
घटाए: उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	6.15		
ख) संबंधित पार्टी को ऋण			
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ऋण (संदेहास्पद)	132.00	-	-
घटाए: प्रावधान किया गया	132.00		
कुल		25.24	38.08
नोट: (क): कंपनी का ऋण तथा वित्त प्रभाग द्वारा अपने सामान्य योजना के तहत उपलब्ध अधिशेष निधि से आवधिक ऋण प्रदान करता है। इसका अग्रणीत सकल प्रारंभिक शेष ₹ 175.26 लाख है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल ₹ 4.60 लाख की मंजूरी दी गई थी। (पिछले वर्ष ₹ 10.72 थी। तथापि, कंपनी ने ब्याज सहित ₹ 20.03 लाख की वसुली की। (पिछले वर्ष ₹ 24.47 लाख)। वर्ष के दौरान मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹ 0.03759 (पिछले वर्ष 0.00083 लाख) तथा उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए 96 लाख राशि प्रावधान में रखा गया था। (पिछले वर्ष 1.61 लाख)। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रभाग को बंद कर दिया गया। नोट: 13 (ख): कंपनी ने पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ₹ 132 लाख आवधिक ऋण को मंजूरी दी थी जिस लेखा के संबंधित पार्टी को ऋण खाते में दर्शाया गया है। कंपनी वर्ष 2002-03 तक जारी आवधिक ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में रिकॉर्ड किया है तथा पूर्ण राशि के लिए प्रावधान भी तैयार की है। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02.07.12 को जारी परिपत्र ब्याज की गणना व प्रदान नहीं की गई है। परंतु सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर ब्याज दर ₹ 7.25 करोड़ की गई (पिछले वर्ष 7.19 करोड़)।			
नोट संख्या 14: संपत्ति सूची			
<u>कच्चा सामग्री</u>			
कच्चे दूध	105.81	323.61	303.02
होटल में खाद्य सामग्रियों का स्टॉक	217.80		
<u>अंतिम सामग्री</u>			
निर्मित दूध	16.12	22.35	6.30
पनीर	0.03		
दही	0.51		
खोआ	-		
स्कीम दूध	-		
बटर दूध	-		
गाय दूध	5.69		
मीठा लस्सी	-		
<u>स्टॉक इन ट्रेड</u>			
पेट्रोलियम उत्पाद	515.46	8,218.69	8,462.48
जोड़े: पारगमन भण्डार	4.04		
इस्पात	-		
जोड़े: पारगमन भण्डार			
आई.एम.एफ.एल. उत्पाद	6,473.32		
जोड़े: पारगमन भण्डार	1,225.45		
स्मारिका, मानचित्र तथा बायोमेट्रिक यंत्र	0.42		
<u>भण्डार तथा कलपुर्जे - दुग्ध संयंत्र</u>		59.00	64.46
कुल		8,623.65	8,836.26
नोट: संपत्ति सूची के मूल्यों का निर्धारण परम्परागत लागत तथा शुद्ध आंकलन मूल्य के तहत किया गया।			
नोट: 15 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)			
विचारयुक्त सामग्री			
(1) भुगतान की तिथि से छः माह अधिक	606.53	959.01	930.97
(2) भुगतान की तिथि से छः माह के भीतर	352.48		
संदेहास्पद			
(1) भुगतान की तिथि से छः माह अधिक	241.99	-	-
(2) भुगतान की तिथि से छः माह के भीतर	-		
घटाए: अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	241.99	-	-
कुल		959.01	930.97

	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या: 16 नकद तथा नकद समतुल्य		
<u>अनुसूचित बैंकों के खाता शेष</u>		
<u>(क) चालू लेखा</u>		
इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर	189.06	210.42
इंडियन बैंक, चैन्नई	4.27	2.14
भारतीय स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर	235.62	533.32
एच.डी.एफ.सी बैंक, पोर्टब्लेयर	95.41	224.09
केनरा बैंक, सचिवालय	63.35	66.58
केनरा बैंक, शहीद द्वीप पी ओ एल	77.14	88.74
केनरा बैंक, कैम्पबेज बे	271.29	33.49
भारतीय स्टेट बैंक, हटबे	0.02	40.36
भारतीय स्टेट बैंक, रंगत	12.83	0.84
भारतीय स्टेट बैंक, मायाबंदर	0.11	0.10
भारतीय स्टेट बैंक, डिग्लीपुर	174.97	120.43
भारतीय स्टेट बैंक, स्वराज द्वीप	101.44	10.95
भारतीय स्टेट बैंक, आर के पुर, लिटिल अण्डमान	0.05	0.04
भारतीय स्टेट बैंक, कर्माटा	18.19	1.55
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल./जंगलीघाट)	1.28	8.47
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल./मोहनपुरा)	0.99	4.54
भारतीय स्टेट बैंक, (हैडो)	2.64	16.24
भारतीय स्टेट बैंक, दिलानीपुर	2.18	4.27
भारतीय स्टेट बैंक, बाराटांग	27.48	-
भारतीय स्टेट बैंक, कदमतला	21.38	-
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल./सेल्फ सर्विस यूनिट)	6.93	50.54
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	32.82	455.81
एक्सेस बैंक	996.61	851.11
	2,336.06	2,724.03
<u>गैर-अनुसूचित बैंकों पर खाता शेष</u>		
<u>चालू खाता</u>		
अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	136.46	81.94
	136.46	81.94
<u>हाथ में चेक</u>		
<u>हाथ में नकद</u>		
प्रधान कार्यालय में	0.29	0.54
हाथ में डाक टिकट	0.01	0.02
पारगमन के लिए डिमांड ड्राफ्ट	55.72	27.32
दुकान में नकद	56.02	27.88
	2,528.54	2,833.85
ख. अन्य बैंकों में शेष राशि		
12 माह तक के लिए		
पंजाब नेशनल बैंक	700.00	
केनरा बैंक	1,500.00	4,206.00
इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर	85.46	419.93
यूनियन बैंक आफ इंडिया	816.01	1,304.00
बैंक आफ बरोदा	900.00	-
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1,700.00	-
इंडियन ओवर सी बैंक	-	3,346.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोर्टब्लेयर	4,081.26	-
यूको बैंक	800.00	
बैंक आफ इंडिया	417.77	398.00
आई सी आई सी आई बैंक	1,832.30	241.95
एचडीएफसी बैंक	120.25	
एक्सेस बैंक	1,000.00	1,300.00
जोड: उन पर ब्याज अर्जित	206.99	221.85
	14,160.04	11,437.73
कुल नकद तथा नकद समतुल्य	16,688.58	14,271.58

नोट 16 (क) : इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर शाखा में क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्राप्त अल्पावधि जमा रु 27.31 लाख शामिल है (पिछले वर्ष 26.07 लाख)

(₹ लाख में)

		दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट 17: अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम			
<u>सुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री</u>			
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम		1.67	1.31
कर्मचारियों का कम्प्यूटर अग्रिम		2.65	0.76
कर्मचारियों को वाहन से जुड़े अग्रिम		110.78	380.02
सिविल कार्य के लिए अग्रिम		37.18	22.61
भारतीय तेल निगम से प्राप्त दावा		1.96	15.61
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम		380.24	267.08
नीति आयोग परियोजना		82.98	82.98
भारतीय तेल निगम (केपीटल फैक्ट्रिंग)	17 (i)	0.00	1.00
पूर्वदत्त व्यय		0.84	57.25
आइ जी एस टी		46.27	65.63
सी जी एस टी/ यू टी जी एस टी		1.67	1.31
आयकर को अग्रिम भुगतान (टी डी एस सहित)			
—निर्धारण वर्ष 2008—09	341.61		
—निर्धारण वर्ष 2009—10	385.73		
—निर्धारण वर्ष 2010—11	414.26		
—निर्धारण वर्ष 2011—12	470.82		
—निर्धारण वर्ष 2012—13	10.03		
—निर्धारण वर्ष 2013—14	591.39		
—निर्धारण वर्ष 2014—15	777.53		
—निर्धारण वर्ष 2015—16	727.38		
—निर्धारण वर्ष 2016—17	954.72		
—निर्धारण वर्ष 2017—18	1,506.86		
—निर्धारण वर्ष 2018—19	1,114.71		
—निर्धारण वर्ष 2019—20	1,506.58		
—निर्धारण वर्ष 2020—21	1,289.54		
—निर्धारण वर्ष 2021—22	747.89		
—निर्धारण वर्ष 2022—23	984.57		
—निर्धारण वर्ष 2023—24	1,294.50	13,118.12	11,793.17
लाभांश कर का अग्रिम भुगतान	83.98		
जोड़: वर्ष के दौरान	0.00	83.98	83.98
सरकार एवं अन्य के साथ जमा/अग्रिम		0.01	1.65
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम		723.30	713.38
अन्य अग्रिम		0.13	2.08
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</u>			
<u>(असुरक्षित, विचारयुक्त अन्यथा दर्शाया गया है)</u>			
वसूली की जानी वाली नकदी घाटा	10.18		
घटाए: प्रावधान	10.18	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	4.34		
घटाए: अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	4.34	0.00	0.00
सरकार तथा अन्य के साथ जमा/अग्रिम	4.19		
घटाए: प्रावधान	4.19	0.00	0.00
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम	5.19		
घटाए: अग्रिम के हानि के लिए प्रावधान	5.19	0.00	0.00
पट्टे पर प्राप्त योग्य किराया (नोट 17 क)	107.99	0.00	0.00
घटाए: पट्टे के किराए के लिए प्रावधान	107.99	0.00	0.00
जमा भविष्य निधि (नोट 17 ख)	43.90		
घटाए: प्रावधान	43.90	0.00	0.00

संबंधित पार्टी का ऋण तथा अग्रिम (नोट 17 ग)			
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को आसुरक्षित ऋण	33.00		
जोड़: वर्ष 2002-03 तक ब्याज देय	8.23		
घटाए: प्रावधान	41.23	0.00	0.00
अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड से प्राप्य	15.74		
घटाए: प्रावधान	15.74	0.00	0.00
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ब्याजमुक्त आसुरक्षित ऋण	165.00		
घटाए: वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	0.00		
घटाए: प्रावधान	165.00	0.00	0.00
कुल		14,590.11	13,488.51

नोट 17 (क): कंपनी द्वारा अपने तीन वाणिज्यिक भूमि को पर्यटन परियोजनाएं चलाए जाने के लिए पट्टे पर दिया गया। हैवलॉक स्थित भूमि को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को 60 वर्षों के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से ₹ 2.25 करोड़ प्रति वर्ष किराए के आधार पर पट्टे पर दी गई। लॉग आइलैण्ड तथा नील द्वीप स्थित अन्य दो भूमि मेसर्स लाग आइलैण्ड नेचर होटल एण्ड रिसॉर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स सोमा अण्डमान रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया। परंतु शर्तों के चूक करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

नोट 17 (ख): कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 19 52 की धारा 7 ए के अंतर्गत सहायक निधि कोष आयुक्त, पोर्टब्लेयर ने वर्ष 2001-2004 के कार्यकाल से ₹ 21.30 लाख संलग्न की तथा उपर्युक्त आयुक्त ने यह राशि ले ली थी। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, पोर्टब्लेयर में उपर्युक्त राशि की वसूली के कलए याचिका दायर की थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.2.2013 का जारी आदेश के तहत कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने राशि की पुनःनिर्धारण के लिए निर्देश दी है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, पोर्टब्लेयर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी एक अन्य आदेश के तहत वर्ष 2005-2009 की अवधि तक के लिए रु. 22.60 संलग्न की तथा उपायुक्त ने यह राशि ले ले थी। कंपनी ने इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अपील न्यायालय, नई दिल्ली में एक याचिका दायर की है।

नोट 17 (ग): कंपनी के शत प्रतिशत सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के पक्ष में पिछले अवधि के दौरान ब्याजमुक्त आसुरक्षित ऋण की मंजूरी दी गई थी, जिसका अग्रिम शेष रु. 165 लाख थी एवं इसके लिए कंपनी ने शत प्रतिशत प्रावधान भी रखा है।

नोट 18: अन्य चालू परिसम्पत्तियां			
आपूर्तिदाताओं को अग्रिम (असुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री)		6.04	4.48
<i>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</i>			
(i) आयकर प्राधिकार से देय राशि 07-08	1.54		
घटाए: प्रावधान	1.54	0.00	0.00
कुल		6.04	4.48

नोट 19: संचालन से राजस्व

विवरण	सकल बिक्री			
	दिनांक 31.03.2023 (₹)	%	दिनांक 31.03.2022 (₹)	%
उत्पाद की बिक्री (क)				
i) निर्मित सामग्री				
दूध	1,094.33		1,005.32	
दही	104.36		98.08	
अन्य दुग्ध उत्पादों	53.06		9.93	
	1,251.75	0.03	1,113.33	0.03
ii) व्यापारिक सामग्री				
आई.एम.एफ.एल	26,732.23		19,146.07	
पी.ओ.एल	16,757.11		12,377.77	
लोहा एवं इस्पात	-		314.31	
सब्जी				
अन्य				
	43,489.34	0.93	31,838.15	0.94
उप कुल (क)	44,741.09		32,951.48	

(₹ लाख में)

सेवा (ख)				
पर्यटन	1,426.96		881.04	
<u>अन्य</u>				
एयर टिकट से कमीशन	-		0.51	
आवधिक ऋण पर ब्याज	3.51		4.64	
पट्टे पर दिए भूमि पर ब्याज	3.51		359.96	
पट्टे के आधार पर क्वारी का किराया	334.81		52.92	
पट्टे के आधार पर जल क्रीड़ा का किराया	-		22.68	
बर्फ संयंत्र/शीत भण्डार	17.41		27.47	
किराया प्रभार/ कार किराया	19.45		11.94	
अन्य आय	10.76		4.64	
उप कुल (ख)	1,812.90	0.04	1,361.16	0.04
सकल कुल घ (क+ख)	46,553.99	1.00	34,312.64	1.00
<p>नोट (क) यापारिक सामग्रियों और बिक्री/सेवा की खरीद के लिए दिए जाने वाले आवश्यक विवरण प्रत्येक व्यवसाय के प्रकृति एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यतः व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री की खरीद के कुल मूल्य 10 प्रतिशत मुख्य शीर्ष के निर्धारण के लिए स्वीकार्य सीमा के रूप में माना जाता है। किसी भी अन्य मदों पर विचार वित्तीय विवरण पर प्रस्तुत निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है।</p> <p>नोट (ख) बर्फ संयंत्र / शीत भण्डार की बिक्री में बर्फ ब्लॉक के विक्रय भी सम्मिलित है।</p> <p>नोट (ग) निगम ने वर्ष 2022-23 से लोहा एवं इस्पात प्रभाग बंद कर दिया है।</p>				
		दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)	
नोट 20: अन्य आय				
<i>i) पद्ध ब्याज से आय</i>				
सावधि जमा पर ब्याज		619.16	511.78	
पूंजी निवेश पर ब्याज		17.22	12.07	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर ब्याज		0.61	0.62	
<i>ii) पद्धपट्टे से आय</i>				
पट्टे के किराये पर ब्याज तथा जुर्माना		-	292.26	
<i>iii) पद्ध अन्य</i>				
प्रशासनिक शुल्क		42.15	-	
परिसंपत्तियों के बिक्री पर लाभ		2.32	2.09	
छूट की प्राप्ति		0.26	0.44	
कमी/अन्य वसूली रु				
आई एम एफ एल, लोहा एवं इस्पात तथा पीओएल	308.59			
नकदी क्षति	22.72			
परिवहन प्रभार	12.45			
कर्मचारियों के खान-पान पर खर्च	9.12	352.88	-	
रद्द किया गया प्रभार		1.38	3.05	
कुल		1,035.98	1,112.80	
<p>नोट (क): ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर निगम के पक्ष में न्यायालय से आदेश प्राप्त हुई है जिसके तहत निगम को पट्टे के किराया सहित जुर्माना रु 51.33 लाख प्राप्त होनी है। परंतु उक्त फर्म ने अपीलीय प्राधिकारी समक्ष याचिका दायर की है जो लंबित है।</p> <p>नोट (ख) निगम ने प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च की गई वास्तविक लागत पर प्रशासनिक शुल्क के रूप में समान रूप से 20 प्रतिशत शुल्क लिया और निगम द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त लागत की वास्तविक प्रतिपूर्ति की गई।</p>				
नोट 21: उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत				
कच्चे दूध तथा संपूर्ण दूध पाउडर		938.84	844.06	
खान-पान प्रभाग के लिए प्रावधान		57.67	40.71	
कुल		996.51	884.77	

		दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट 22: स्टॉक की खरीद			
आई एम एफ एल		4,482.95	2,831.96
जोड़े सामग्रियों की पारगमन लागत		1,225.45	2,062.68
पेट्रोलियम उत्पाद		16,139.26	11,558.07
जोड़े: सामग्रियों की पारगमन लागत		4.04	3.55
परिवहन भाड़ा		1,093.05	539.75
लाइसेंस शुल्क		312.41	150.79
आयात अनुमति शुल्क/उत्पाद शुल्क		13,858.81	11,042.68
कुल		37,115.97	28,189.48
नोट 23: निर्मित माल में परिवर्तन/कार्य प्रगति पर तथा विक्रय स्टॉक			
सम्पत्ति सूची (समाप्ति पर)			
निर्मित सामग्री	22.35		
विक्रय स्टॉक	8,218.69	8,241.04	8,468.78
सम्पत्ति सूची (प्रारंभ में)			
निर्मित सामग्री	6.30		
विक्रय स्टॉक	8,462.48	8,468.78	7,454.16
कुल		(227.74)	(1,014.62)
नोट 24: कर्मचारियों के लाभ पर व्यय			
वेतन		1,818.33	1,774.29
भविष्य निधि, पेंशन कोष तथा छुट्टी के वेतन	24(क)	155.94	169.15
उपदान		72.16	35.64
बोनस		204.40	153.00
प्रशिक्षण पर व्यय		0.07	0.07
कर्मचारियों के कल्याण पर		0.89	0.89
कर्मचारियों के आवास पर किराया		3.00	2.75
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	24(ख)	24.67	15.01
छुट्टी भुनाने का प्रावधान	24(ग)	-	145.67
कुल		2,279.46	2,296.52
नोट 24(क): उपदान			
बीमाकिक धारणा			
विवरण		2022-23	2021-22
मोर्टालिटी दर		LIC (2006-08) अंतिम	LIC (2006-08) अंतिम
निकासी दर		1% to 3% आयु पर निर्भर	1% to 3% आयु पर निर्भर
छूट की दर		7.25% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि		5.75%	6%
नोट 24(ख): छुट्टी यात्रा रियायत देयता (ए.एस.15 के अनुसार)			
छुट्टी यात्रा रियायत देयता			
विवरण		2022-23	2021-22
कर्मचारियों की संख्या		238	248
बीमाकिक धारणा			
छूट की दर		7.20% P.A.	6.70% P.A.
मुद्रास्फीति की दर		6.00% P.A.	6.00% P.A.
मोर्टालिटी		IALM (2006-08)	IALM (2006-08)
बीमाकिक देयता		अंतिम	अंतिम
		₹ 77.19 lakh	₹ 81.82 lakh

कंपनी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को बीमाकिक मूल्यांकन तैयार कर इसके आधार पर प्रावधान रखा गया है। वर्ष के प्रारंभ में संचित प्रावधान रु. 79.10 लाख थी। इस प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान रु.26.58 लाख राशि का प्रयोग किया गया तथा रु. 24.67 लाख के लिए प्रावधान तैयार की गई। वर्ष के अंत में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अंतशेष रु. 77.19 लाख है।

	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट 24(ग): छुट्टी यात्रा रियात देयता छुट्टी यात्रा रियायत देयता विवरण कर्मचारियों की संख्या कुल मासिक वेतन कुल नकदी योग्य छुट्टी सामान्य सेवानिवृत्त आयु	2021-22 235 ₹115.81 लाख 39704 60 वर्ष	2020-21 248 ₹110.61 लाख 49669 60 वर्ष
बीमाकिक धारणा छूट की दर वेतन में वृद्धि का दर निकासी दर मोरटालिटी	6.9% P.A. 10.00% P.A. 2.00% P.A. IALM 2006-08 अंतिम	6.7% P.A. 10.00% P.A. 2.00% P.A. IALM 2006-08 अंतिम
अवकाश का बीमाकिक छूट मूल्य	₹ 866.27 लाख	₹ 932.59 लाख
कंपनी द्वारा बीमाकिक मूल्यांकन किया गया है और ऐसे बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है। वर्ष की शुरुआत में संचित प्रावधान रु.1042.31 लाख थी। उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान 18.03 लाख की राशि का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष 35.95 लाख)। वर्ष के दौरान प्रावधान 158.01 लाख की है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 866.27 लाख आका गया।		
नोट 25: संचालन एवं अन्य व्यय नोट 25(क): संचालन, बिक्री तथा वितरण पर खर्च भण्डार एवं कलपूर्जों का उपभोग ऊर्जा एवं ईंधन विद्युत ईंधन प्रभार किराया कार्यालय का किराया किराया <u>मरम्मत एवं रख-रखाव</u> — कम्प्यूटर की मरम्मत एवं रखरखाव — वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव — भवन की मरम्मत एवं रखरखाव — फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव — मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव सरकारी लेखा परीक्षा पर व्यय बीमा कीमत एवं कर जल प्रभार भण्डार दुलाई पर व्यय कक्ष के किराये पर व्यापारिक छूट स्वच्छता बागवानी पर व्यय घाट पर व्यय पर्यटन उद्योग में किराये के वाहन पर खर्च क्रॉकरी प्रभार वर्दी एवं पोशक ओउट सोर्सिंग जनशक्ति व्यवसाय को बढ़ावा / अतिथि सत्कार बैंक प्रभार पहरा व निगरानी	303.61 99.32 144.32 1.60 198.15 19.86 13.14 271.67 0.30 51.67 0.75 24.98 59.63 12.84 11.80 55.06 24.78 9.50 0.07 20.60 1.63 0.02 419.68 1.51 27.48 85.58	187.29 71.89 99.35 1.25 155.30 16.71 6.75 145.30 1.56 42.23 0.88 10.90 27.02 15.92 6.35 20.93 17.10 0.09 0.22 32.60 0.37 1.78 393.60 0.33 16.51 74.12

निगमित समाजिक दायित्व पर खर्च	77.74	46.59
हिन्दी सप्ताह पर खर्च	0.09	0.06
पंजीकरण व सदस्यता शुल्क	0.21	0.26
विविध	0.31	0.81
जीएसटी क्रेडिट	207.32	9.51
जलपान पर व्यय	3.69	3.54
कुल	2,148.91	1,407.12
नोट 25(ख): प्रशासनिक खर्च		
निदेशको के बैठक से संबंधित शुल्क	0.16	0.07
छपाई व लेखन सामग्रियां	17.59	19.09
डाक व टेलीग्राम	1.25	0.70
टेलीफोन/टैलेक्स/फेक्स	24.44	23.10
पुस्तक एवं पत्रिकाएं	0.48	2.54
निविदा प्रकाशित करने पर व्यय	9.21	1.82
व्यवसायिक प्रभार	6.50	12.19
यात्रा पर व्यय	24.61	30.85
	84.24	90.32
नोट 25(ग): अन्य व्यय		
प्रावधान		
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	0.16	0.07
सी एस आर के लिए प्रावधान	17.59	19.09
मानक संपत्ति पर आकस्मिक व्यय का प्रावधान	1.25	0.70
	24.44	23.10
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक(सेवा कर सहित)		
— वैधानिक लेखा परीक्षा के लिए	2.00	
— कर से संबंधित लेखा परीक्षा	0.50	
— अन्य सेवाएं	0.30	2.80
— आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय	0.73	1.65
ग का कुल	97.46	69.24
नोट 25(घ): पूर्व अवधि समायोजन		
— परिवहन प्रभार	-	2.12
— सहायता अनुदान	(13.98)	-
— बिक्री	-	(0.72)
— फिरी होल्ड भूमि	2.00	-
— भवन का किराया	0.15	26.20
कुल	(11.83)	29.04
कुल संचालन तथा अन्य व्यय (क+ख+ग+घ)	2,318.78	1,595.72
नोट: 26 अर्जित प्रति शेयर		
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध राशि	3,487	2,393
इक्विटी शेयरों की औसतन संख्या	11	11
मूल तथा मिश्रित अर्जित प्रति इक्विटी शेयर	318	218
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	100	100

नोट 27 (क) आकस्मिक देयता

(क) निम्नलिखित मामला आयकर विभाग के साथ विचाराधीन है जिस पर कंपनी अपील दायर की है।

निर्धारण वर्ष	आदेश तिथि	दावा की गई राशि (₹)	अपील संख्या / तिथि	सहमत राशि (₹)	आकस्मिक देयता (₹)	फोरम जहां विवाद लंबित है
2013-14	13/01/2016	₹ 5,87,03,998/-	1008 दिनांक 15/05/2018	₹ 5,61,34,246/-	₹ 20,77,920/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2013-14	25/09/2021	₹ 62527167/-	128386891050 दिनांक 05/02/2022	₹ 5,61,34,246/-	₹ 6,25,21,170/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2014-15	31/12/2019	₹ 82312147/-	30/01/2020	₹ 7,21,41,403/-	₹ 1,02,14,860/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2017-18	31/03/2023	₹ 17,08,84,248/-	132796820020523	₹ 14,77,61,184/-	₹ 2,25,80,280/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2009-10 तथा 2019-20	टी डी एस / टी सी एस रिटर्न	₹ 75540/-	टी डी एस / टी सी एस तिमाही रिटर्न परिशोधन	---	₹ 75,540/-	डी सी (आई टी) फेसलेस
2020-21	19/09/2022	₹ 12,29,29,510/-	12851824028 0423	₹ 12,10,94,196/-	₹ 18,35,318/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
कुल					₹ 9,93,05,088/-	

(ख) दिनांक 31.03.2023 तक न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

केस संख्या	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है।	वादी तथा प्रतिवादी	वित्तीय निहितार्थ संपत्ति / (देय)
धन वाद संख्या 66 / 2010	सिविल न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय	अनिडको बनाम श्री संजय आनंद, पूर्व कनिष्ठ सहायक	₹ 9,24,406/-
अपील संख्या 15(15)	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम अनिडको	₹ 22,60,043/-
औद्योगिक विवाद संख्या 059 / 2020	श्रमिक न्यायालय	श्री जी.पी.मणि तथा अन्य बनाम महाप्रबंधक अनिडको	आकलन नहीं किया गया
2284 / 2019	सर्वोच्च न्यायालय	अनिडको बनाम एलआईएनएचआरपीएल उच्चतम न्यायालय ने एलआईएनएचआरपीएल की याचिका को खारिज की	₹ 5,47,46,091/-
डब्ल्यू पी संख्या 267	उच्चतम न्यायालय	महाप्रबंधक, अनिडको बनाम वाई जॉन	आकलन नहीं किया गया
एफएमएटी संख्या 07 / 2023	उच्चतम न्यायालय, पोर्टब्लेयर	मेसर्स हेवन ऑन ओसियन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य बनाम अनिडको	₹ 1,32,62,256/-
ओ एस 09, 2018	जिला न्यायालय, पोर्टब्लेयर	महाप्रबंधक, अनिडको (परियोजना) बनाम मेर्स ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड.	₹ 51,33,379/-
डब्ल्यू पी संत्र 91 / 2020	उच्चतम न्यायालय, पोर्टब्लेयर	सुश्री सारुन निषा बनाम अनिडको	आकलन नहीं किया गया

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने मैसर्स अण्डमान मत्स्य उद्योग लिमिटेड को गहरे पानी में मछली पकड़ने, निर्यात योग्य उत्पादों तथा बहुमूल्य समुद्री उत्पादों में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उक्त कंपनी को सहायता के रूप में ₹ 3,30,000/- की राशि प्रति घंटे ₹10 की दर से 33,000 इक्विटी घंटे इन शर्तों पर निवेश किया गया था कि यदि कंपनी उक्त प्रयोजन में असफल होने पर कंपनी प्राधिकरण द्वारा निवेश किए गए सभी घंटों को वापस ले लेगा। इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्राधिकरण ने घंटे वापस करने की मांग की जैसा उक्त प्राधिकरण से कंपनी ने वादा किया गया था। उक्त प्राधिकरण ने 15 मई, 1992 से 18 प्रतिशत (प्रति वर्ष) की दर से ब्याज सहित ₹. 3,30,000 को पुनः अदा करने की मांग करते हुए कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। अरनाकुलम के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की छानबीन करने और दो पक्षों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक विवाचक नियुक्त किया है। मैसर्स अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में यह कंपनी हस्तान्तरण औपचारिकता को बकाया रखते हुए दिनांक 19.8.2004 को ₹3,30,000 का उक्त घंटे वापस किया और अण्डमान फिजरीष लिमिटेड में आगे निवेश के रूप में इस कंपनी द्वारा इस राशि को दर्शाया गया है। कंपनी ने उक्त राशि के लिए चालू देय में ₹5.38 लाख ब्याज का प्रावधान रखा है।

नोट 27 (ii) पूंजी प्रतिबद्धता:

पूंजी लेखा में निष्पादित किए जाने वाले घेब ठेके की अनुमानित राशि : ₹ 110.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 380.01 लाख) तथा पूंजीगत कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि ₹ 76.45 लाख थी। (पिछले वर्ष: ₹ 59.66 लाख) थी।

नोट 27 (iii) कंपनी द्वारा जारी गारंटी:

कंपनी ने हमारे क्रेडिट और वित्त प्रभाग द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में ₹ 11-47 लाख की क्रेडिट गारंटी दी है जो क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा सुरक्षित है।

नोट 27 (iv) लाभांश:

वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.05.2016 को जारी ज्ञापन संख्या 5/2/2016-पॉलिसी में निहित मार्गदर्शन के अनुसार लाभ प्रद सार्वजनिक उपक्रम इक्विटी अथवा लाभ के पश्चात् कर का कम से कम 30 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की जो प्रावधान के अनुसार है।

नोट 27 (v) अग्रिम कर

₹ 12466-30 लाख की असमायोजित राशि को “अल्पकालिक ऋण और अग्रिम” के तहत रु. 13118-12 लाख के “आयकर के अग्रिम भुगतान” के मुकाबले “अल्पकालिक प्रावधान” के तहत “आयकर के लिए प्रावधान” के रूप में दिखाया गया है। निर्धारण वर्ष 2020-21 तक का मूल्यांकन धारा 143 के तहत समाप्त हो गया है, हालांकि निगम इसे “अग्रिम आयकर” के विरुद्ध समायोजित करने में असमर्थ है क्योंकि निगम ने राशि पर विवाद किया और अपील/परिषोधन के लिए गया है।

नोट 27 (vi) सहायक कंपनी:

दिनांक 19.08.2004 से अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है तथा धारा 129 (3) के तहत संबंधित विवरण एवं दिनांक 31.3.2023 को समाप्त लेखा परीक्षा संलग्न किया गया है।

पिछले वर्षों में अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड को मंजुरी दी गई आवधिक ऋण ₹1.32 लाख को ऋण एवं वित्त प्रभाग के ‘संबंधित पार्टी’ के ऋण शीर्ष पर दर्शाया गया है। उक्त राशि सहित वर्ष 2002-03 तक के ब्याज को पूर्ण रूप से अपोध्य ऋण के रूप रखने का प्रावधान रखा गया है। तब से ब्याज की गणना व प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण की मंजुरी शून्य थी तथा दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया घेब ₹1.65 लाख थी (पिछले वर्ष ₹1.65 लाख)। कंपनी ने पिछले वर्षों में असुरक्षित ऋण ₹33.00 लाख पर ब्याज प्रदान किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2002-03 तक संचित ब्याज ₹8.23 लाख थी। असुरक्षित ऋण पर ब्याज का प्रावधान षट् प्रतिशत रखा गया।

नोट 27 (vii) वित्तीय संस्थानों के उपर्युक्त आवश्यक प्रकटीकरण (वित्त एवं ऋण प्रभाग):

क. षुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां	: ₹ 1,51,30,379/-	(पिछले वर्ष ₹ 15378318/-)
a.ख. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम	: ₹1,63,39,232/-	(पिछले वर्ष ₹ 17526904/-)
ग. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम का षुद्ध एनपीए प्रतिषत	: 92.60%	(पिछले वर्ष 87.74%)
घ. निर्धारित वर्गीकृत वर्ग के परिसंपत्ति के अंतर्गत षुद्ध राशि		
i. उपमानक	: ₹.61,1706/-	(पिछले वर्ष ₹ 902824/-)
ii. संदेहपूर्ण	: ₹ 13,18,673 /-	(पिछले वर्ष ₹ 1275494/-)
iii. परिसंपत्तियों की हानि	: 1,32,00,000/-	(पिछले वर्ष ₹ 1,32,00,000)
ड वर्ष के दौरान एनपीए पर रखे गए राशि का प्रावधान:	₹1,71,14,733/-	(पिछले वर्ष ₹1,70,18,853/-)

नोट 27 (viii): लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक में निम्नलिखित षमिल है:

(क) लेखा परीक्षक के रूप में: लेखा परीक्षा षुल्क:	₹. 2,36,000/- (पिछले वर्ष ₹ 2,36,000/-)
(ख) कर से संबंधित मामलें: लेखा परीक्षा कर षुल्क:	₹. 59,000/- (पिछले वर्ष ₹.59,000/-)
(ग) कंपनी संबंधित विधि मामले:	₹. षून्य (पिछले वर्ष: षून्य)
(घ) प्रबंधन सेवाएं	₹. षून्य (पिछले वर्ष: षून्य)
(ड) लेखा परीक्षक षुल्क	₹. षून्य (पिछले वर्ष षून्य)
(च) अन्य सेवाएं	₹. 35400/- (पिछले वर्ष:₹. 35400/-)
(झ) व्यय की प्रतिपूर्ति	₹. षून्य (पिछले वर्ष षून्य)
कुल	₹.3,30,400/- (पिछले वर्ष ₹. 3,30,400/-)

नोट 27 (ix): प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक(बैठक षुल्क)	: षून्य
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक (बैठक षुल्क)	: षून्य
ग. वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक के परिवहन पर किए गए व्यय ₹. 30338/-(पिछले वर्ष षून्य) निगम के प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान षून्य/- थी । (पिछले वर्ष: षून्य/-)	

नोट 27 (x): ए.एस. -18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**क). संबंधित पार्टी तथा उनके संबंध:**

- सहायक (प्रत्यक्ष रूप): अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड
- साथी सहायक: 'षून्य
- सहयोगी: 'षून्य
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: कंपनी अधिनियम, 2014 की नियम 8 (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक) में प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक के संबंध में किसी प्रकार का निर्दिष्ट नहीं दिया गया है । इसलिए निगम के लिए उपर्युक्त नहीं है ।

ख. दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

	सहायक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंध
ब्रांड इक्विटी अंशदान	षून्य	षून्य
अचल परिसम्पत्ति की खरीद	षून्य	षून्य
ऋण तथा अग्रिम का पुनः भुगतान	षून्य	षून्य
राजस्व आय	षून्य	षून्य
राजस्व व्यय	षून्य	षून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	षून्य	षून्य
प्रदान की गई गारंटी	षून्य	षून्य
पारिश्रमिक	षून्य	षून्य

ग. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (सहायक कंपनी)	
	2022-23	2021-22
व्यापार प्राप्ति, बिना बिल के राजस्व, ऋण तथा अग्रिम, अन्य परिसम्पत्ति (षुद्ध)	शून्य	शून्य
व्यापार देय, अग्रिम के रूप में प्राप्त आय, उपभोक्ताओं से अग्रिम, अन्य देयता	शून्य	शून्य
गारंटी	शून्य	शून्य
डिबेंचर में निवेश/म्यूचल फंड/ बांड	शून्य	शून्य

घ. संबंधित पार्टी के साथ सामग्रियों की लेन देन का प्रकटीकरण

किराये पर आय	शून्य	शून्य
अन्य आय	शून्य	शून्य
सामग्रियों, सेवाएं तथा सुविधाओं की खरीद (प्रतिपूर्ति सहित)	शून्य	शून्य
किराए पर व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
निपटाये गए संदेहात्मक ऋण	शून्य	शून्य
निपटाये गए अग्रिम	शून्य	शून्य
इक्विटी 'षेयर पर भुगतान की गई लाभांश	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 129(3) के अनुसार मेसर्स अण्मान मत्स्यकी लिमिटेड का तुलनपत्र संलग्न है (अनुलग्नक "क")

नोट 27 (xi): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के साथ व्यवसाय

सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के अंतर्गत किसी प्रकार का लेन-देन होने पर उसे सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के परिपेक्ष्य में लाया गया तथा 45 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर दिया गया है।

नोट 27 (xii): खण्डीय रिपोर्टिंग

प्रभागवार खण्डीय रिपोर्ट अनुलग्नक – ख में दर्शाया गया है ।

**अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)
(सरकारी उपक्रम)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की खण्ड 129 के उप खण्ड (3) में दर्शाए गए प्रावधान (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 में सहायक कंपनियों के संबंध में दिए गए निर्धारित फार्म ए ओ सी-1) का अनुसरण करते हुए विवरण

भाग "क": सहयोगी कंपनियां

1. क्रम सं.	:	1
2. सहायक कंपनी का नाम	:	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड
3. सहायक कंपनी के प्रतिवेदन अवधि यदि नियंत्रक कंपनी के प्रतिवेदन तिथि से अलग होने पर :		प्रतिवेदन अवधि समान है ।
4. वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि में समीक्षाधीन मुद्रा तथा विनिमय दर (यदि विदेशी सहायक होने पर)		उपर्युक्त नहीं
5. षेयर पूंजी	:	₹ 1,00,00,000
6. आरक्षित एवं अधिषेध	:	(₹56,05,35,228.62)
7. कुल परिसम्पत्तियां	:	₹ 27,29,204.82
8. कुल देयता	:	₹ 55,30,79,155.44
9. निवेश	:	षून्य
10. कुल बिक्री	:	षून्य
11. कर से पहले लाभ	:	(₹ 7,21,50,673.00)
12. कर के लिए प्रावधान	:	षून्य
13. कर के बाद लाभ	:	(₹ 7,27,38,755.00)
14. प्रस्तावित लाभांश	:	₹ षून्य
15. षेयरधारकों का प्रतिषत	:	100%

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

(कंपनी सचिव)

(निर्देशक)

(प्रबंध निर्देशक))

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम (अनिडको)
अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए खंडीय लाभ तथा हानि विवरण (प्रभागवार)

लेखा का शीर्ष	आई एम एक एल	पी.ओ.एल	पर्यटन	दूध	ऋण एवं वित्त	परियोजनाएं	निगमित कार्यालय	कुल
आय								
बिक्री	26,732.64	16,757.13	1,432.29	1,251.33	22.98	334.81	22.81	46,553.99
अन्य आय	338.40	23.50	12.15	0.47	0.31	42.15	619.01	1,035.99
कुल आय	27,071.04	16,780.63	1,444.44	1,251.80	23.29	376.96	641.81	47,589.98
व्यय								
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	21,237.28	16,031.36	61.11	988.40	0.69	-	26.85	38,345.68
सकल लाभ	5,833.76	749.27	1,383.33	263.41	22.60	376.96	614.96	9,244.29
प्रशासनिक खर्च	107.80	145.86	571.44	46.84	8.61	18.65	297.07	1,196.27
प्रचालन, विक्रय तथा वितरण	318.96	40.88	505.61	68.41	0.74	0.73	99.87	1,035.19
कर्मचारियों को प्रारिश्मिक	347.94	310.36	361.14	85.30	15.22	91.43	1,067.84	2,279.23
मूल्यह्रास	0.62	39.48	38.79	20.03	6.02	0.45	49.26	154.64
कुल व्यय	22,012.60	16,567.94	1,538.09	1,208.97	31.28	111.26	1,540.88	43,011.02
निगमित खर्च से पहले लाभ	5,058.44	212.69	(93.65)	42.83	(7.99)	265.70	-	5,478.03
पिछले वर्ष	3,836.45	171.99	(387.05)	(20.04)	39.82		-	3,642.93
घटाएं: कॉरपोरेट ओवरहेड	885.25	554.91	47.43	41.44	0.76	11.09	-	1,540.88
समायोजन से पश्चात लाभ	4,173.19	(342.22)	(141.08)	1.40	(8.75)	254.62	-	3,937.15
पिछले वर्ष	3,056.60	(332.15)	(423.19)	(65.39)	36.53		-	2,261.17
जोड़े: अचल जमा पर ब्याज तथा अन्य आय								641.81
भट्टे से संबंधित परिसम्पत्तियों पर हानि								82.09
से संबंधित समायोजन								
कर से पहले लाभ								4,496.87

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कंपनी सचिव

निदेशक

प्रबंध निदेशक

रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट

सेवा में,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के सदस्यगण

1. योग्य राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड का लेखा परीक्षा किया है जिसमें समेकित तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ तथा हानि तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, जो इसके साथ संलग्न है, का लेखा परीक्षा कर लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार, हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 में आपेक्षित सूचना के अनुरूप है अधिनियम की धारा 133 में लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है।

योग्य राय के लिए आधार

आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा हमें चौथी तिमाही की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं मिली है।

रु. 54,61,757/- सस्पेंस खाते में दिखाई दे रहा है जो अज्ञात पार्टियों से प्राप्त राशि प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य राशि रु.54,61,757/- के अनुरूप नहीं है।

पूँजीगत कार्य प्रगति पर है जिसका मूल्य रु. 74,34,855/- जो पिछले वित्तीय वर्ष से बिना किसी प्रगति के पड़े हुए है।

कंपनी ने कुछ निर्माण कार्यों के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग को रु 44,00,627/- अग्रिम राशि प्रदान की है परंतु उक्त कार्य पूरा होने के बाद अंडमान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। जिस कारणवश वसूली योग्य राजस्व की हानि हुई है।

कंपनी ने वर्ष 2012 में वेबकॉन लिमिटेड के 30000 इक्विटी शेयरों पर रु 6.0 लाख निवेश की थी तथा उक्त कंपनी का वित्तीय विवरण पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उपलब्ध नहीं था और किसी भी मूल्यांकनकर्ता द्वारा उक्त शेयरों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसलिए हम उन शेयरों के निवेश के मूल्य पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2.0 हमने अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदण्ड नियमों में यह आपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आष्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियांवयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में त्रुटि न हो। लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राशि एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फौसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में त्रुटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल है।

हमारे द्वारा दिए गए टिप्पणी/राय इस प्रकार है:

1. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सहायक कंपनी के अधिकांश शेयरों को होल्डिंग कंपनी द्वारा 22 अप्रैल, 1996 को अधिग्रहण कर लिया गया है और शेष 19 अगस्त 2004 को हासिल कर दिया गया है। हालांकि अधिग्रहण के प्रयोजनों के लिए नियंत्रण की लागत उस तिथि तक होल्डिंग कंपनी द्वारा गणना नहीं की गई है। इसके बजाय होल्डिंग कंपनी ने 1 अप्रैल 2013 को उपलब्ध तारीख के आधार पर ऐसे अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली परिवर्तन का आकलन की है। इसलिए ऐसे अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली वास्तविक आंकलन हस्तांतरण की तारीख पर नहीं की गई है। कंपनी की लाभप्रदता और मामलों की स्थिति के मूल्यांकन में ऐसे समय अंतराल के प्रभाव को मापना संभव नहीं है। अनुमानित आकलन की हानि, यदि कोई हो, को मापा नहीं गया है और लाभप्रदता पर किसी भी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।
2. सहायक कंपनी की लेखांकन नीति मूल्यहास लेखांकन में होल्डिंग कंपनी से भिन्न होती है क्योंकि सहायक कंपनी द्वारा डब्ल्यू डी अवी पद्धति का पालन किया जाता है और होल्डिंग कंपनी द्वारा स्ट्रेट लाइन पद्धति का पालन किया जाता है। लेखांकन मानक 21 के पैरा 20 और 21 के अनुसार, समेकित वित्तीय खाते तैयार करते समय विभिन्न लेखांकन नीतियों के कारण मूल्यहास में उचित समयोजन नहीं किया गया है। क्रमशः 1.92 लाख मूल्यहास के कारण शुद्ध प्रभाव के अंतर्गत आंका गया है।
3. नोट संख्या 11 का हवाला लें: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम: निगम के पास गैर-चालू प्रतिभू जमा प्राप्य राशि रु.24.22 लाख है, जो प्रतिभू जमा राशि में परिभाषित लेखांकन मानदण्ड 30 (वित्तीय घटकों: मान्यता एवं गणना) के अंतर्गत अंकित है जिसे क्षतिग्रस्त लागत पर हानि के आधार पर गणना की जानी है। परंतु कंपनी ने आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारणवश क्षतिग्रस्त वित्तीय घटकों के बारे में पुष्टि नहीं की गई।
4. नोट संख्या 17 देखें: सिविल कार्य के खाते के अग्रिमों पर दर्शाए गए शेष राशि में पूंजीकरण अथवा पूंजीगत कार्यों के लंबे समय तक की बंकिंग के समायोजन, मूल्य का मूल्यांकन तथा कार्य प्रारंभ से संबंधित प्रमाणपत्र की प्राप्ति आदि शामिल है जिसके तहत रु.59.67 लाख दर्शाया गया। पूंजीगत कार्य पर होनी वाली परिणामी प्रभाव, स्थिर परिसम्पत्तियां, मूल्यहास और परिषोधन तथा वर्ष के लिए हानि, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं हो सकता है।
5. निगम के ऋण तथा वित्त प्रभाग की आय, संपत्ति वर्गीकरण लेखा पुस्तिका में ऋणदाताओं के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। इसके बजाय उक्त रजिस्टर पर समेकित आधार पर लेखा को दर्शाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों में दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार प्राप्त समय अंतराल में लेन-देन की समीक्षा नहीं हुई।
6. वर्तमान पद्धति के अनुसार जमा राशि, अग्रिम, व्यापार प्राप्य तथा व्यापार देय राशि का पुष्टिकरण पर्याप्त नहीं है। इससे जुड़े अधिक मामलों पर पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं है। अतः वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव व लाभ की गणना नहीं किया जा सका।
7. नोट संख्या 4(क): पिछले वर्षों के दौरान कंपनी ने उद्योग निदेशालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से संपार्श्विक प्रतिभू के बदले में औद्योगिक ऋण पर गारंटी प्रदान करने पर राशि प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त निधि से प्राप्त आय पर ब्याज से टी.डी.एस. की कटौती कर निधि में जमा कर दिया गया है। अतः ब्याज से अर्जित आय में से टी.डी.एस की राशि रु. 13,801/- तक को निधि में जमा नहीं की गई और इसे कंपनी द्वारा रख लिया गया। पिछले वर्ष के दौरान भी कंपनी द्वारा समान नीति को अपनाया गया तथा इसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।
8. नोट 4(ख): अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से समय समय पर प्राप्त अन्य सहायता अनुदानों के शेष राशि रु. 135.63 लाख को समायोजित नहीं किया गया तथा लंबित कार्यों पर मंजूरी के कारणवश इसे तुलन पत्र पर दर्शाया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस तथ्य का खुलासा किया गया।

9. संस्पेस लेखा (ऋण) के अंतर्गत पहचान नहीं की पार्टियों से कंपनी के खाते में रु 54,61,757/— दर्शाया गया है । परिणामस्वरूप इसे व्यापार प्राप्य रु. 54,61,757/— का समाधान नहीं किया गया ।
10. कंपनी के लेखा खाते पर वित्तीय वर्ष के दौरान डब्ल्यू.डी.वी. शीत भण्डार/हैवलॉक तथा डिगलीपुर में स्थित बर्फ संयंत्र पर क्रमशः रु 44,31,203/- तथा रु. 47,21,333/- दर्शाया गया । दोनों ही शीत भण्डार लंबे से संचालित नहीं हैं । इन संयंत्रों में व्याप्त परिसम्पत्तियों के हानि का विश्लेषण संबंधित अभियंता द्वारा किया गया तथा जारी रिपोर्ट के आधार पर डिगलीपुर तथा स्वराज द्वीप में स्थित शीत भण्डार/बर्फ संयंत्र लेखा पर हानि का समायोजन नहीं किया जा सका ।
11. नोट संख्या 13(ख) का हवाला लें: कंपनी ने अपने सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को लंबे समय पूर्व ऋण प्रदान की थी जिसके लिए वर्ष 2002-03 में षट प्रतिषत अषोध्य एवं संदेहात्मक ऋण का प्रावधान रखा गया । लेकिन वर्ष के दौरान सहायक कंपनी ने अपने लाभ तथा हानि लेखा में ब्याज के व्यय पर रु 7.25 करोड चार्ज की हैं । हालांकि कंपनी ने इसे नॉन परफॉरमिंग संपत्ति होने के कारण अर्जित ब्याज को आय के रूप में आंका नहीं गया ।

3. अन्य मामलें

हमने कंपनी के सहायक कंपनी, अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया गया । हमने समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31.03.2023 तक अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड की कुल परिसम्पत्ति रु. 25,43,926/- आंका है तथा कंपनी का कुल हानि रु. 7,27,38,755/- दर्शाया है । समेकित वित्तीय विवरण पर तथा अन्य विधि एवं विनयामक हमारे द्वारा इस संबंध में दिए गए विचार में कोई अषोधन नहीं किया गया ।

दिनांक 31.03.2023 के समाप्त कंपनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया जिन्होंने दिनांक 09.06.2023 को जारी किए गए रिपोर्ट में अपनी ओर से अनुरूप विचार व्यक्त की है।

4. समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में निहित लेखा मानदंड के प्रावधान तथा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वक्तव्यों के तैयारी के लिए जिम्मेदार है। कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्टनुसार भारत में लेखा सिद्धांतों के स्वीकृत लेखापरीक्षा पर जारी मानदंड कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के नकदी प्रवाह पर विचार व्यक्त करना हमारे उत्तरदायित्व में शामिल है। इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम उचित आष्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियाव्ययन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण तथा अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रख-रखाव एवं कार्यान्वयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण शामिल न हो तथा लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की यूपितपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति एवं वित्तीय विवरणों में ऋटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने यह लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है। हमने अधिनियम में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदंड नियमों में यह अपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आष्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियाव्ययन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋटि न हो।

- लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राशि एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में ऋट्टि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।
- इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल हैं जिसे अनुलग्नक 'ग' में दर्शाया गया है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखा अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया।
- वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षक को दिए गए साक्ष्यों के आधार किया गया। प्राप्त लेखा प्रमाण के आधार पर इससे संबंधित अनिष्टिताओं तथा इनकी उपयुक्तता का निर्धारण की जाती है। यदि लेखा में किसी प्रकार अनिष्टिता प्रकाश में आने पर इनका खुलासा वित्तीय विवरण किया जाता है।
- लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति शामिल है।
- कंपनी के गतिविधियों के बारे में पर्याप्त एवं उचित लेखा साक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है जिससे कि कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त कर सके।

हमें विष्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए प्राप्त साक्ष्य लेखा परीक्षा पर राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है और उचित है।

6. अन्य मामलें

हम निम्नलिखित मामलों पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं :-

- अंशमान लोक निर्माण विभाग को आबंटित सिविल कार्यों के मूल्य का उचित आंकलन अग्रिम देने से पहले नहीं किया गया है।
- उच्च मूल्य के सस्पेंस खाते के कारण, देनदारों से अग्रिम का वास्तविक मूल्य वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है।

7. अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के तहत अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं:
 - (i) हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी सूचना तथा स्पष्टीकरणों प्राप्त किया गया, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।
 - (ii) हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित लेखा के उचित पुस्तकों का प्रयोग किया है, जहाँ तक उन पुस्तकों को देखने से प्रतीत होता है।
 - (iii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण व्याप्त पुस्तकों के करार में हैं।

- (iv) हमारे राय के अनुसार वित्तीय विवरणों में, अधिनियम के खण्ड 133 में निर्दिष्ट (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित)) किए गए लेखांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।
- (v) उपर्युक्त दर्शाए गए योग्य राय के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- (vi) भारत सरकार के निगमित मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.06.2015 जारी अधिसूचना जीएसआर 463(इ) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 164 की उप धारा (2) में दर्शाए गए प्रावधान कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारणवश उपर्युक्त नहीं है।
- (vii) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्ता एवं प्रभावपूर्णता के संबंध में कंपनी द्वारा अनुलग्नक "ग" में अलग से दर्शाया गया है।
- (viii) हमारे राय में और जहां तक हमें जानकारी तथा हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों से संबंधित विषयों के तहत लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जानी वाली मामलों है:
 - (i) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या: 27 (i)(क) तथा (ख) तथा 27(v) में दर्शाए गए पूर्ण विवरण के तहत कंपनी ने अपने विलंबित विवादों तथा इससे संबंधित वित्तीय स्थिति को प्रकट किया है।
 - (ii) कंपनी ने उपर्युक्त विधि एवं लेखा मानदण्ड के अंतर्गत आपेक्षित, दीर्घकालिक अनुबंधों पर हानि के लिए प्रावधान रखा गया है।
 - (iii) अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिवेदित वर्ष के दौरान कंपनी के पास शिक्षा निवेशक तथा संरक्षण कोष में राशि के स्थानांतरण से संबंधित मामलों नहीं थी।
 - (iv) प्रबंधन ने खुलासा किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों पर नोट्स के अलावा, कंपनी ने किसी व्यक्ति या इकाई जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्त) शामिल हैं, से न ही किसी प्रकार फंड प्राप्त की है और न ही किसी प्रकार का उधार प्राप्त की और न ही किसी प्रकार का निवेश किया गया है।

2. कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश/सीएआरओ) के पैराग्राफ 3 (गगप) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, जो कि समेकित वित्तीय

कृते राय घोष एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
फर्म पंजीकृत संख्या: 320094E

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023

(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJC9716

आंतरिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट (संलग्नक 'क')

हमने दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित कंपनी के उसी तारीख को समाप्त वित्तीय विवरणों का समेकित लेखा परीक्षा कर लिया है।

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का यह दायित्व है कि वे भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण का रख-रखाव करें। इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम कंपनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधान के आधार पर उचित आष्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार करते तथा उनका क्रियाव्ययन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण तथा अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा समयानुसार वित्तीय संबंधित सूचना की तैयारी आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कि हमारी लेखा परीक्षा में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने यह लेखा परीक्षा में कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 143(10) में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार भारत के सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है जिसमें यह अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों के रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण पर उचित तर्कसंगत आष्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर उनको क्रियान्वित करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में त्रुटि न हो।

अस्वीकरण में दर्शाए गए मामलों पर हम कंपनी के वित्तीय विवरणों में आंतरिक लेखा नियंत्रण पद्धति पर पर्याप्त सुसंगत लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखा पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ थे।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2023 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है।

1. नोट संख्या 11 का हवाला लें: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम: निगम के पास गैर-चालू प्रतिभू जमा प्राप्य राशि रु.24.22 लाख है, जो प्रतिभू जमा राशि में परिभाषित लेखांकन मानदण्ड 30 (वित्तीय घटकों: मान्यता एवं गणना) के अंतर्गत अंकित है जिसे क्षतिग्रस्त लागत पर हानि के आधार पर गणना की जानी है। परंतु कंपनी ने आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारणवश क्षतिग्रस्त वित्तीय घटकों के बारे में पुष्टि नहीं की गई।
2. संस्पेस लेखा (ऋण) के अंतर्गत पहचान नहीं की पार्टियों से कंपनी के खाते में रु 54,61,757/- दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप इसे व्यापार प्राप्य रु. 54,61,757/- का समाधान नहीं किया गया।
3. आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा हमें चौथी तिमाही की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं मिली है।
4. कंपनी ने कुछ निर्माण कार्यों के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग को रु 44,00,627/- अग्रिम राशि प्रदान की है परंतु उक्त कार्य पूरा होने के बाद अंडमान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। जिस कारणवश वसूली योग्य राजस्व की हानि हुई है।

5. कंपनी ने वर्ष 2012 में वेबकॉन लिमिटेड के 30000 इक्विटी शेयरों पर रु 6.0 लाख निवेश की थी तथा उक्त कंपनी का वित्तीय विवरण पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उपलब्ध नहीं था और किसी भी मूल्यांकनकर्ता द्वारा उक्त शेयरों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था । इसलिए हम उन शेयरों के निवेश के मूल्य पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।
वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित होने पर संभवतः कंपनी में अनुचित प्रबंधन, गलत विवरण तथा धोखाधड़ी के मामलें प्रकाश में आते हैं, जिसका पता नहीं लग पाता है । इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा में भविष्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने पर, शर्तों के परिवर्तन होने पर यह अपर्याप्त व संकट व आपत्तिपूर्ण प्रतीत होता है तथा इससे कार्यप्रणाली अथवा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।
6. हमारे राय के अनुसार कंपनी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के आंतरिक वित्तीय विवरण पर दर्शाए गए मार्गदर्शन नोट के आधार पर हमने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर टिप्पणी व्यक्त की है जो हमारे दृष्टिकोण से पर्याप्त व उचित है । हमने उपर्युक्त प्रकटीकरण पर विचार लेखा परीक्षा के प्रयोग के लिए प्रयोग किए गए प्रकृति, समय तथा लेखा परीक्षण तक निर्धारित थी । इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय:

एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया सामान्य तौर पर लेखा सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिससे कि हमें वित्तीय विवरणों पर उचित आश्वासन प्रदान कर सकें । कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित नीतियां व कार्यप्रणाली शामिल हैं :-

- (1) कंपनी के परिसम्पत्तियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड, रख-रखाव, उनसे संबंधित लेन-देन तथा निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर आश्वासन प्रदान करना ।
- (2) भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय लेन-देन पर उचित आश्वासन देना ।
- (3) वित्तीय विवरण पर समय समय पर प्रभावित होने वाले आप्राधिकृत अधिकरण अथवा संरक्षण, प्रयोग अथवा कंपनी के परिसम्पत्तियों को निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर उचित आश्वासन प्रस्तुत करना ।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय विवरण के सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित होने पर संभवतः कंपनी में अनुचित प्रबंधन, गलत विवरण तथा धोखाधड़ी के मामलें प्रकाश में आते हैं, जिसका पता नहीं लग पाता है । इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा में भविष्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने पर, शर्तों के परिवर्तन होने पर यह अपर्याप्त व संकट व आपत्तिपूर्ण प्रतीत होता है तथा इससे कार्यप्रणाली अथवा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

कृते रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
फर्म पंजीकृत संख्या: 320094E

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023

(सी ए मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं.055022
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJC9716

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वित्तीय विवरण की तैयारी करना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अपने व्यवसायिक निकाय 'इस्ट्र्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 143(10) में निहित नियमानुसार जिम्मेदार है। इस बात का उल्लेख उनके दिनांक 31.08.2023 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई है।

मैं, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की ओर से दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड, पोर्टब्लेयर की लेखा विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) के साथ पठित धारा 129(4) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना निष्पक्ष रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधा पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा के बेहत समझ के लिए आवश्यक है।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क.1 : आरक्षित एवं अधिषेध (नोट 3) : रु. 222.57 करोड़

अल्पावधि प्रावधान (नोट 8) : 137.96 करोड़

अल्पावधि प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 30 अगस्त 2023 को आयोजित 163वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा घोषित प्रस्तावित लाभांश के लिए 10.46 करोड़ का प्रावधान शामिल है और परिणामी समायोजन आरक्षित और अधिषेध से किया गया था।

लेखांकन मानक के 4 के मद संख्या 14 के अनुसार लेखापरीक्षा सही नहीं हैं जिसमें कहा गया है कि 'यदि कोई उद्यम तुलन पत्र के तिथि के बाद शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा करता है, तो उद्यम को उन लाभांश के तुलन पत्र की तारीख पर देनदारियों के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो, ऐसे लाभांश का खुलासा नोट में किया जाना चाहिए'।

अतः गलत लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्रावधानों को अधिक बताया गया और आरक्षित तथा अधिषेध को रु. 10.46 करोड़ से कम बताया गया। खातों पर टिप्पणियाँ इस हद तक कम हैं कि प्रस्तावित लाभांश के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया जैसा कि लेखांकन मानदण्ड 4 द्वारा अपेक्षित है।

ख. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

ख.1 लेखा परीक्षकों ने समेकित वित्तीय विवरणों पर निष्पक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत 'नकदी प्रवाह' पैराग्राफ पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है।

ख.2 “मामलें पर जॉर” पैराग्राफ के तहत, प्राथमिकता दिए गए मामले के संबंध में लेखापरीक्षक की राय को संशोधित नहीं किया गया । लेखापरीक्षा मानक संख्या 706 (संशोधित) के अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं किया गया है ।

ख.3 पैरा 1.2 तथा 2(ix) में दी गई योग्यताएँ दोहराया गया है ।

ख.4. समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक के रिपोर्ट के अंतर्गत ‘अन्य कानूनी और वैधानिक आवश्यकता’ के तहत पैरा संख्या ‘जी’ के रिपोर्ट में ‘आंतरिक वित्तीय नियंत्रण’ के संबंध में ‘अनुलग्नक-ग’ के रूप में अनुबंध का उल्लेख किया गया है जबकि यह अनुलग्नक ‘क’ में दिया गया है ।

ग. अन्य टिप्पणियाँ

ग.1 : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 158 के तहत आवश्यक होने के बावजूद हस्ताक्षरकर्ता निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) वित्तीय विवरण पर उल्लिखित नहीं है ।

ग.2: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक होने के बावजूद निगमित समाजिक दायित्व पर व्यय के संबंध में खुलासा नहीं किया गया है ।

ग.3: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित होने के बावजूद प्रगति और व्यापार प्राप्य में पूंजीगत कार्य के लिए अनुसूची नहीं दी गई है ।

ग.4: समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के तहत ‘समेकन के आधार’ का खुलासा नहीं किया गया है ।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से

Sd/-

(दीबोलिना ठाकुर)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

सेन्ट्रल: कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 05.12.2023

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)
31 मार्च 2023 का समेकित तुलन पत्र**

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
इविट्टी तथा देय			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	2	1,097.01	1,097.01
आरक्षित एवं अधिशेष	3	22,416.10	19,977.50
गैर-मौजूदा देय			
अन्य दीर्घ अवधि प्रावधान	4	177.70	199.70
दीर्घ अवधि प्रावधान	5	972.34	1,154.66
चालू देय			
व्यापार देय	6	3,098.23	3,692.20
अन्य चालू देय	7	2,055.95	1,717.96
अल्पावधि प्रावधान	8	13,796.50	12,375.93
कुल		43,613.83	40,214.96
परिसम्पत्तियाँ			
गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्ति			
—वास्तविक	9	2,143.00	1,945.47
—अवास्तविक		3.48	5.03
पूंजीगत कार्य प्रगति पर		76.45	59.65
गर-चालू निवेश	10	6.00	6.00
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम	11	50.32	140.30
अस्थगित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	12	265.36	311.86
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
ऋण एवं वित्त प्रभाग से आवधिक ऋण	13	25.24	38.08
गुडविल (समेकित आधार पर)		169.45	169.45
चालू परिसम्पत्ति			
सम्पत्ति सूची	14	8,623.65	8,836.26
व्यापार प्राप्य	15	959.01	930.97
नकद तथा बैंक शेष	16	16,695.68	14,279.92
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम	17	14,590.15	13,487.49
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	18	6.04	4.48
कुल		43,613.83	40,214.96
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ	1 से 27		

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 320094E
(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं.. 055022
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31 / 08 / 2023
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJC9716

Sd/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
सी. अरविंद
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

Sd/-
नंदिनी पालीवाल
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि वित्तीय विवरण पर नोट

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2023 (₹)
आय			
परिचालन से राजस्व	19	46,553.99	34,312.65
अन्य राजस्व	20	1,035.99	1,112.81
कुल राजस्व		47,589.98	35,425.46
व्यय			
उपभोक्त सामग्रियों की खपत	21	996.52	884.77
व्यापार के लिए स्टॉक की खरीद	22	37,115.96	28,189.48
तैयार माल की सूची परिवर्तन,		972.34	1,154.66
कार्य प्रगति, व्यापार स्टॉक	23	227.74	(1,014.63)
कर्मचारियों के लाभ के लिए व्यय	24	2,279.46	2,296.52
मूल्यहास तथा ऋणमुक्ति पर व्यय	25	156.24	204.12
संचालन एवं अन्य व्यय	26	2,319.34	1,596.37
कुल व्यय		43,095.26	32,156.63
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,494.72	3,268.83
असाधारण सामग्रियां – वापस लेने का प्रावधान		154.38	1.61
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,649.10	3,270.44
घटाएँ: चालू कर का प्रावधान		1,117.95	884.06
घटाएँ: किए गए आस्थगित कर का प्रावधान		46.50	-
जोड़े: स्थगित कर निपटाए जाने का प्रावधान		-	4.55
ध्वनियोजन के लिए उपलब्ध प्रावधान		3,484.65	2,390.93
प्रति शेयर का लाभ: मूल तथा मिश्रित	26	317.65	217.95

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ 1 से 27

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 320094E

Sd/-
(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं. 055022
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31 / 08 / 2023
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJC9716

Sd/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
सी. अरविंद
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

Sd/-
नंदिनी पालीवाल
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण	वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)	वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर से पहल शुद्ध लाभ तथा आसाधारण वस्तुएं	4,494.72	3,268.83
<u>समायोजन के लिए:</u>		
मूल्यहास	156.24	204.12
सावधि जमा पर ब्याज	(619.16)	(511.78)
अशोध्य तथा संदहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	93.93	64.79
बट्टे खाते पर डालने का प्रावधान	154.38	1.61
लीज किराये पर आय	(334.81)	(412.88)
प्रचालन लाभ तथा कार्यपूंजी में परिवर्तन	3,945.30	2,614.70
<u>समायोजन के लिए:</u>		
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)	212.61	(1,017.50)
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	(121.97)	139.42
संभूति ब्याज में कमी / (वृद्धि)	14.86	(48.10)
चालू ऋण एवं अग्रिम कमी / (वृद्धि)	(1,102.66)	(1,272.83)
अन्य चालू देय में वृद्धि / (कमी)	315.98	(25.64)
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	(593.97)	133.53
अन्य चालू परिसंपत्ति में कमी / (वृद्धि)	(16.42)	97.99
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	302.61	195.15
ऋण एवं वित्त प्रभाग से अल्पावधि ऋण में कमी / (वृद्धि)	12.84	7.10
संचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	2,969.17	823.81
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)		
पट्टे के किराया का आय	334.81	412.88
दीर्घकालीन अवधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	(182.32)	109.45
दीर्घ-अवधि ऋण तथा अग्रिम में कमी / (वृद्धि)	89.98	117.17
अचल परिसम्पत्ति में जोड़ना (शुद्ध)	(354.89)	(292.76)
पूंजीगत कार्यों की प्रगति में परिवर्तन	(16.81)	-
सावधिक जमा पर ब्याज	619.16	511.78
लाभ और हानि के समायोजन के पश्चात अचल संपत्ति की बिक्री	2.68	2.39
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)	492.61	860.90
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
प्रस्तावित लाभांश	(1,046)	(715.21)
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद (ग)	(1,046)	(715.21)
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	2,415.74	969.50
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	14,279.92	13,309.41
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	16,695.68	14,278.92
	2,415.74	969.50

31-03-2023 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण से संबंधित नोट

- उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत जैसा इस्टिमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट आफ इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखा मानक 3 में निर्धारित किया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।
- कोष्ट के अंदर दर्शाया गया अंक नकद लागत को दर्शाता है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां पर आवश्यक हुआ, पुनः संगठित/पुनःव्यस्थित किया गया है जिससे कि चालू वर्ष के वर्गीकरण में समरूपता लाया जा सकता है।
- नकद तथा नकद तुल्य में शामिल हे:

	राशि (₹)	राशि (₹)
नकदी तथा नकदी समतुल्य	2,343.16	2,750.16
अन्य बैंक शेष	14,160.04	10,469.66
गैर अनुसूची बैंकों में शेष	136.46	49.46
हाथ में चेक	56.02	32.16
कुल	16,695.68	13,301.44

- अल्पावधि जमा के अंतर्गत इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर शाखा में क्रेडिट गारंटी निधि में ₹.27.31 लाख शामिल है। (पिछले वर्ष 26.07 लाख)

कृते मेसर्स रॉय घोष एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 320094E

Sd/-

(मनोजीत घोष)
पार्टनर
सदस्यता सं.. 055022
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 31/08/2023
यूडीआईएन सं. 23055022BGYKJC9716

Sd/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
सी. अरविंद
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

Sd/-
नंदिनी पालीवाल
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

नोट: 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश

1. पृष्ठभूमि तथा संचालन की प्रकृति:

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) व्यापार, पर्यटन, उद्योगिक वित्त तथा दूध उत्पादन तथा दूध उत्पादों से जुड़ा है।

2. लेखा के आधार:

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन संभूति तथा अनिवार्य लेखा मानकों के आधार पर देश की सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाए गए लेखा नीतियों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण में सभी तथ्यों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 133 के अंतर्गत (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 (संशोधित) मानक नियम से जुड़े सभी संबंधित प्रावधान तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की घोषणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को बिमाकिंग आधार तैयार किया गया तथा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंपनी द्वारा नियमित रूप से लेखा नीतियों का प्रयोग किया गया।

अधिनियम के अनुसूची III के अनुसार कंपनी के सामान्य संचालन प्रणाली के तहत सभी परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वर्गीकृत किया गया है। कार्य प्रकृति के आधार पर कंपनी द्वारा परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर चालू प्रयोजन में संचालित 12 माह तक प्राप्त किया जाता है।

3. आंकलन का प्रयोग

आंकलन के लिए आंकलन से पूर्व किए जाने वाले आंकलन से संबंधित पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है जो वित्तीय वर्ष के संभावित परिसम्पत्ति तथा देयता के राशि तथा कारोबार वर्ष के दौरान संभावित राजस्व तथा व्यय की संभावित राशि को प्रभावित कर सकें। यद्यपि, यह आंकलन प्रबंधन के चालू गतिविधियों के आधार पर होता है जिस कारण वास्तविक आंकलन में अंतर होता है। वास्तविक परिणाम तथा आंकलन के बीच विभिन्नता, कार्यान्वित होने की अवधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

4. अचल सम्पत्ति:

सभी अचल सम्पत्तियों का मूल्यहास तथा क्षति से हुई हानि, यदि हो तो, उसे घटाकर लागत पर आंका जाता है। परिसंपत्तियों की लागत में संपत्ति की खरीद मूल्य सहित इसे प्रचालन योग्य करने तक को लागत पर आंका जाता है। पट्टे पर दिए गए भूमि को लागत के अनुसार आंका जाता है। उसके पश्चात् व्यय, यदि कुछ होने पर, संबंधित परिसम्पत्ति के खाता मूल्य पर जोड़ा है।

5. प्रत्यक्ष परिसम्पत्ति:

प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में कम्प्यूटर साफ्टवेयर सहित तीन वर्षों के ऋण अवधि को लागत पर आंका जाता है।

6. मूल्यहास/ऋणपरिषोधन :

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II के अधीन निर्धारित दर के आधार पर अचल सम्पत्तियों पर वास्तविक लागत पर मूल्यहास दिया गया है। परिसम्पत्तियों को भट्टे पर डालने का मूल्य दिनांक 01 अप्रैल 2014 से पहले तक प्राप्त किया जाता है तथा इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के अनुसार निर्धारित प्रयोग को मूल्यहास में आंका जाता है। अचल परिसम्पत्तियों में वृद्धि के मामलों में मूल्यहास उसके वृद्धि के तारीख से यथानुपात दर पर की जाती है। बिक्री किए गए अचल परिसम्पत्तियों के मामलों में मूल्यहास उसके बिक्री की तारीख से पूर्व तारीख तक यथानुपात दी गई है। परिसम्पत्ति, जिनका वास्तविक लागत रु. 5000/- से कम होने पर मूल्यहास शत प्रतिशत के रूप में आंका जाता है।

7. परिसम्पत्तियों का हानिकरण:

लेखा मानक 28 के अनुसार सम्पत्ति के वहन राशि को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक तथा बाहरी कारक के आधार पर परिसम्पत्ति को क्षतिपूर्ण माना जाता है, जब उसे ले जाने की लागत वसूली योग्य से अधिक हो। वसूली योग्य राशि परिसम्पत्तियों के शुद्ध विक्रय कीमत तथा प्रयोग की जानी वाली मूल्य से अधिक है। मूल्य का निर्धारण अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह से वर्तमान मूल्य को

घटाकर किया जाता है। संपत्ति के हानि निर्धारण के लिए संपत्ति को खण्ड में विभाजित किया जाता है जिससे कि यह नकदी प्रवाह पर अलग से पहचाना जा सके।

8. निर्माण के दौरान व्यय:

नए इकाई तथा वर्तमान इकाईयों का विस्तार करने पर, संस्थापन के तिथि से खर्च की गई सभी पूर्व संचालित व्यय को पूंजी में परिणत कर उसे यथानुपात आधार पर अचल सम्पत्तियों में की लागत में शामिल किया गया है।

9. निवेश:

दीर्घ अवधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है। अस्थायी प्रकृति निवेशों को छोड़कर प्रत्येक दीर्घ अवधि निवेश की मूल्य में कमी को अस्वीकार करने के लिए प्रावधान रखा गया।

10. सम्पत्ति सूची:

कच्चा माल तथा भण्डार, जिसके मूल्य को परम्परागत लागत में आंका गया है, को छोड़कर सम्पत्ति सूची के मूल्यों को परम्परागत लागत के क्रम में आंका गया है तथा पुद्ध वसूली योग्य कीमत पर आंका गया। परम्परागत लागत में खरीद लागत तथा अन्य कोई लागत, जो इस सम्पत्ति को इसके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में खर्च किया गया, का जोड़ शामिल है।

सामान्यतः विक्रय कीमत ही पुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है जिसमें विक्रय के लिए अनुमानित खर्च को घटाया जाता है।

11. राजस्व स्वीकृति:

क). समानों की बिक्री

वस्तुओं के बिक्री की मान्यता वस्तु की जोखिम तथा स्वामित्व खरीददारों तक पहुंचने के पश्चात् आंका जाता है। मेगापोड रिसॉर्ट, दूध तथा दूध उत्पादों को छोड़कर बिक्री को सामान्यतः व्यापार में पुद्ध छूट के आधार पर दर्ज किया जाता है।

ख. सेवाओं से राजस्व

सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता जब कभी दिए गए सेवा के आधार पर निर्धारण किया गया है।

ग. संभूति आधार पर ब्याज तथा कमीशन का निर्धारण किया गया है।

निवेश से लाभांश, भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित होने के आधार पर मान्यता दिया गया है।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार इस्पात एवं आई एम एफ एल उत्पादों के विक्रय कीमत का निर्धारण किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री भारतीय तेल निगम द्वारा निर्धारित विक्रय कीमत के आधार पर होता है जबकि दूध के मामले, व अन्य वस्तुओं व सेवाओं को विक्रय कीमत का निर्धारण कंपनी द्वारा की जाती है।

12. विदेशी मुद्रा का कारोबार:

i प्रारंभिक स्वीकृति:

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा के आधार पर किया गया है, विदेशी मुद्रा की राशि तथा लेन-देन के समय मुद्रा की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार रिकॉर्ड किया गया अथवा कारोबार के समय उनके अनुमानित वास्तविक दर पर रिकॉर्ड किया गया।

ii परिवर्तन :

विनिमय में अंतर

तुलन पत्र पर दर्शाए गए विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति तथा देयता को अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर तथा वहां से विनिमय हानि/लाभ के आधार पर अचल परिसम्पत्ति पर समायोजित किया गया है अथवा मामले के अनुसार लाभ तथा हानि लेखा पर चार्ज किया गया।

13. कर्मचारियों के लाभ:

- (क). भविष्य निधि का निर्धारण अंशदान योजना के अंतर्गत किया गया है तथा वर्ष के दौरान किए गए अंशदान को वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा में चार्ज किया गया है ।
- (ख). डिपॉजिट लिंक बीमा क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में अंशदान के रूप में मान्यता दी गई है।
- (ग). कर्मचारियों को वर्ष के अंत में देय अप्रयोज्य अवकाश मूल्य को वास्तविक आधार पर छुट्टी भुनाने का प्रावधान दिया गया है ।
- (घ). यह कम्पनी उपदान निधि में अंशदान करती है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक सामूहिक उपदान पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया । वर्ष 2016-17 से भारतीय जीवन निगम को वास्तविक आधार पर भुगतान की जाती है ।
- (ङ). “कर्मचारियों को कार्य निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन” कंपनी के कार्य निष्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत दिया गया ।
- (ड). कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी से संबंधित देय संबंधित परिवार के आश्रित सदस्यों एवं उनके वेतनमान के अनुसार, बिना व्यतीत किए गए छुट्टी यात्रा रियायत लाभ के आधार पर वर्ष के अंत तक बिमाकिक आधार पर प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है ।

14. सरकारी अनुदान तथा छूट:

अनुदान तथा छूट की प्राप्ति के लिए पर्याप्त आश्वासन तथा दिए गए शर्तों के अनुपालन पर ही सरकार द्वारा अनुदान एवं छूट की स्वीकृति दी जाती है। जब अनुदान अथवा छूट, व्यय से संबंधित वस्तुएं पर होने पर, उसकी क्षतिपूर्ति, संबंधित व्यय पर कटौती कर दर्शाया जाता है। यद्यपि अनुदान अथवा छूट सम्पत्ति से संबंधित होने पर इसका मूल्य सम्पत्ति लाने में हुए खर्च से घटाया जाता है।

15. कर

कर में प्रचलित कर तथा आस्थगित कर शामिल है । प्रचलित कर वह राशि है जो आयकर अधिरियम 1961 द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रचलित कर का निर्धारण अनुमानित कर योग्य आय पर कर की दर तथा विधि के आधार पर किया जाता है।

कर योग्य राशि तथा प्रतिवेदित वर्ष के आय के अंतर को मूल्यांकन करते हुए आस्थगित कर का निर्धारण किया जाता है तथा उसके पश्चात् कर की दर तथा कर से संबंधित विधि प्रयोग करते हुए कर की गणना को तुलन पत्र पर दर्शाया जाता है।

16. बिक्री कर/मूल्य योजित कर

भुगतान की गई विक्रय कर को लाभ तथा हानि लेखा पर दर्शाया गया है ।

17. पूर्व अवधि समायोजनपूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय का खुलासा करने में कोई त्रुटि या चूक को चालू वर्ष में सुधारा/समायोजित किया गया तथा शुद्ध प्रभाव लाभ एवं हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

18. आकस्मिक देयता तथा आकस्मिक परिसम्पत्ति पर प्रावधान:

पूर्व वित्तीय परिणाम के फलस्वरूप वर्तमान में इन पर होने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए संभावित खर्च का प्रावधान रखा गया है तथा इनसे संबंधित आंकलन भी किया जा सकता है । प्रत्येक तुलनपत्र तिथि में इन प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान में सही आंकलन का पता लगने के लिए इसे समायोजित किया गया है । यदि संभावित दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होने पर इस

प्रावधान को प्रतिवर्तित किया जाता है। आकस्मिक देयता के लिए संभावित दायित्व अथवा वर्तमान में इन दायित्वों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर आंकने का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय विवरण में आकस्मिक परिसम्पत्तियों आंका नहीं गया है। परंतु आकस्मिक परिसम्पत्तियों को निरंतर निर्धारित किया जाता है तथा अंतःप्रवाही सुनिश्चित होने पर इन सम्पत्तियों तथा संबंधित आय को परिवर्तन हुए कार्यकाल के दौरान दर्शाया जाता है।

19. लाभांश तथा उसके कर:

निदेशकों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक लाभांश का प्रावधान लेखा में रखा जाता है, बशर्ते कि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो। लाभांश वितरण कर अलग से दर्शाए जाने का प्रावधान रखा गया है।

20. प्रति शेयर का अर्जन :

मुख्य रूप में प्रति शेयर की गणना, अवधि के शुद्ध लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के शुद्ध-भार औसतन से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। वर्ष के दौरान मिश्रित अर्जित प्रति शेयर की गणना वर्ष के दौरान शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि शेयरधारकों की संख्या के आधार पर कर सभी मिश्रित इक्विटी शेयरों में समायोजित किया जाता है।

21. नकद प्रवाह विवरण:

नकद प्रवाह के प्रतिवेदन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसमें कर से पूर्व लाभांश का समायोजन बिना नकद प्रवाह प्रकृति के लेन-देन की साथ किया जाता है। कंपनी के नियमित रूप से राजस्व सृजन, वित्तीय तथा निवेश से संबंधित कार्यकलापों को अलग-अलग किया जाता है। तुलन पत्र पर नकद तथा नकद तुल्य राशि बैंक में नकद/चेक तथा अल्पावधि निवेश सहित 12 माह व उससे कम मूल्य के मूल परिपक्वता भी शामिल है।

22. ए.एस.17 के अनुसार खण्डीय रिपोर्टिंग नीति:

(i) खण्ड की पहचान:

मूलभूत खण्ड

व्यवसायिक खण्ड

कंपनी का व्यवसाय उनके उत्पादों के प्रकृति के अनुसार सुव्यवस्थित एवं प्रबंधन किया जाता है। प्रत्येक खण्ड अपने अपने उत्पादों के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है।

द्वितीय खण्ड

भौगोलिक खण्ड

कंपनी के लिए भौगोलिक खण्ड उपयुक्त नहीं हैं

(ii) सामान्य लागत का आबंटन

सामान्य बांटने योग्य लागत को प्रत्येक प्रभाग के तुलनात्मक अंशदान के अनुसार कुल लागत को आबंटित किया जाता है।

(iii) बिना आबंटित मदें:

निगमित तथा अन्य व्यवसायिक खण्ड में सामान्य निगमित आय तथा व्यय संबंधित सामग्रियों को शामिल किया जाता है जिसे किसी अन्य व्यवसायिक खण्ड में आबंटित नहीं किया गया हो।

23. पूर्ण करना: पिछले वर्ष की गणना:

पिछले वर्ष की गणना को आध्यक्तानुसार पुनःवर्गीकृत एवं पुनःसुव्यवस्थित किया गया है जिससे कि चालू वित्तीय वर्ष में उससे तुलना कर सके।

24. पूर्ण करना:

वित्तीय विवरण में दिए रूपयों के अंकों को पूरा कर नजदीकी ₹.1/- में बदल दिया है। जहाँ पर आवश्यक हुआ मात्रात्मक अंकों को नजदीकी इकाई में परिणत कर लिया गया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण	वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)	वर्ष क अंत में 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या: 2		
<u>प्राधिकृत शेयर पूंजी</u>		
100 के 50,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00
कुल जारी, सदस्यता तथा भुगतान की गई राशि		
100 का 10,97,006 शेयर (पिछले वर्ष 10,97,006)		
जिसमें से 17,546 शेयर नकद राशि बिना जारी किया गया	1,097.01	1,097.01
कुल	1,097.01	1,097.01
नोट सं. 2(क) इक्विटी शेयरों का समाधान की संख्या तथा वर्ष के शुरुआत एवं		
समीक्षाधीन वर्ष के अंत में बकाया		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,097.01	1,097.01
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-
वर्ष के दौरान वापस लिए गए शेयर	-	-
वर्ष के अंत में शेष	1,097.01	1,097.01
नोट सं. 2 (ख) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारकों का विवरण		
क्र.सं. शेयरधारक का नाम शेयर का प्रतिशत शेयर की संख्या		
1 भारत के राष्ट्रपति 85 933,348		
2 उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह 15 163,656		
पिछले वर्ष के लिए शेयर धारकों का विवरण समान है।		
नोट सं. (ग) प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दूध पावडर की राशि ₹17,546 के बदले में बोर्ड ने अपने कार्यसूची संख्या 23.09 के तहत दिनांक 22.01.1993 को द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के पक्ष में ₹100 की दर से 17,54,664 इक्विटी शेयर जारी किया गया।		
नोट संख्या: 3		
<u>आरक्षण तथा अधिशेष</u>		
<u>सामान्य आरक्षण</u>		
वर्ष के प्रारंभ में	19,977.49	18,301.76
जोड़े: अधिशेष से स्थानांतरण	2,438.61	1,675.73
वर्ष/ अवधि के अंत में	22,416.10	19,977.49
<u>ख) लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष</u>		
वर्ष के प्रारंभ में	0.00	0.02
जोड़े: वर्ष/अवधि के लिए लाभ	3,484.65	2,390.93
घटाए: विनियोग		
प्रस्तावित लाभांश (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत की दर से) नोट 28 (iv) के संदर्भ में।	1,046.04	715.21
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरण	2,438.61	1,675.73
वर्ष/अवधि के अंत में	0.01	0.01
	22,416.10	19,977.50

विवरण		वर्ष क अंत में 31.03.2023 (₹)	वर्ष क अंत में 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या – 4 अन्य दीर्घअवधि देय			
क्रेडिट गारंटी कोष	4(क)		
प्रारंभिक शेष	26.07		
जोड़े: वर्ष के दौरान सृजित आय	-		
वर्ष के दौरान जोड़े	1.24		
कुल निधि	27.32		
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-	27.32	26.07
अंशमान तथा निकोबार प्रशासन से सहायता अनुदान 4(ख)	173.63		
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	-		
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	23.24	150.39	173.63
कुल		177.70	199.70
<p>नोट 4 (क): क्रेडिट गारंटी निधि: पिछले वर्षों में कंपनी को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से कंपनी को औद्योगिक ऋण के खिलाफ संपात्तिक सुरक्षा के बदले में गारंटी प्रदान करने के लिए दिया गया जिसकी अग्रेनित शेष ₹26.07 लाख थी । । उपर्युक्त निवेश से सृजित आय पर ब्याज को कर की कटौती करने के पश्चात् निधि में जमा किया गया तथा योजना के शर्तों तहत उपयोग किए गए किसी भी राशि को कोष से कटौती की गई । इस तरह कोष के खिलाफ दायित्व की गारंटी दिनांक 31.03.2023 तक ₹ 27.31/- लाख है ।</p> <p>नोट 4 (ख): सक्षम प्राधिकारी के कार्योत्तर अनुमोदन के लंबित होने के कारण असमायोजित षेष (रु. 135.63 लाख), वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रु.190.00 लाख प्राप्त हुआ जिसमें से दिनांक 31.03.2023 तक 175.24 लाख खर्च किए जा चुके हैं</p>			
वर्ष	विवरण	प्रयोजन	राशि लाख में
1994-95	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 21.03.1995 को जारी आदेश संख्या 467 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 65.63
1995-96	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 29.03.1996 को जारी आदेश संख्या 837 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 70.00
2016-17	आदेश संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा पशुचिकित्सा निदेशालय से प्राप्त	दूध एकत्रीकरण के विस्तार के लिए	₹14.76
प्रशासन से प्राप्त कुल सहायता अनुदान			₹150.39
नोट संख्या: 5 दीर्घअवधि प्रावधान			
	छुट्टी भुनाने का प्रावधान	832.04	1,012.02
	उपदान का प्रावधान	83.15	83.88
	छुट्टी यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी के लिए प्रावधान	57.10	58.67
	मानक परिसम्पत्ति के विरुद्ध प्रावधान	0.05	0.09
	कुल	972.34	1,154.66
नोट संख्या 6 व्यापार देय		31.03.2023 (₹)	31.03.2022 (₹)
व्यापार देय योग्य			
1)सक्षम, लघु तथा मध्यम उद्यमों से बकाया देय (6क)		-	-
2) अन्य व्यापार देय		3,098.23	3,692.20
		3,098.23	3,692.20
<p>नोट संख्या 6 (क): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कंपनी द्वारा सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की पहचान किया गया । कंपनी के पास उपलब्ध सूचना तथा प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर तथा वर्ष के अंत में देय शून्य थी । (पिछले वर्ष –शून्य)</p>			

विवरण	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या 7 अन्य चालू देयता		
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय		
अन्य देय		
जमा देय		
अन्य	121.35	121.35
उपायुक्त को दी जाने वाले मदिरा लाइसेंस शुल्क	11.84	46.20
व्यय के लिए बकाया देय	19.71	
आपूर्तिदाताओं से प्राप्त बकाया राशि/प्रतिभूति जमा	365.50	
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के शेयरों पर प्रतिक्रय ब्याज	74.58	
कर देय	5.39	
सुक्ष्म ऋण योजना	45.30	
अन्य	0.04	
अन्य	49.90	
मत्स्य निदेशक को जमा देय	560.42	314.69
फुटकर ऋणदाताओं से अग्रिम	10.00	10.00
	1,352.34	1,225.73
कुल	2,055.95	1,717.96
<p>नोट 7(क): कंपनी द्वारा उद्योग निदेशालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ब्याज मुक्त कम्पोजिट ऋण योजना क्रियान्वित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत ऋणदाताओं से वसुली की गई राशि को वापस उद्योग निदेशालय को दिया जाना है।</p> <p>नोट 7 (ख): कंपनी ने वर्ष 1989-90 से 1996-97 के दौरान मत्स्य निदेशक से निधि प्राप्त की। जिसमें से रु. 10 लाख उपयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त राशि अब स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर के चालू खाते में रखा गया है।</p>		
नोट - 8 अल्पावधि प्रावधान		
कार्य निष्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए	223.82	222.73
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	-	32.00
छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान	34.23	30.29
एल टी सी/ ए एफ सी पी का प्रावधान	20.09	20.43
जी एस टी से संबंधित लिक्विडिटी डेमेज के लिए प्रावधान	-	-
अन्य		
कर के लिए प्रावधान		
- निर्धारण वर्ष 2008-09	341.61	
- निर्धारण वर्ष 2009-10	359.40	
- निर्धारण वर्ष 2010-11	315.95	
- निर्धारण वर्ष 2011-12	376.38	
- निर्धारण वर्ष 2013-14	563.59	
- निर्धारण वर्ष 2014-15	726.28	
- निर्धारण वर्ष 2015-16	705.60	
- निर्धारण वर्ष 2016-17	1140.51	
- निर्धारण वर्ष 2017-18	1477.61	
- निर्धारण वर्ष 2018-19	921.21	
- निर्धारण वर्ष 2019-20	1584.30	
- निर्धारण वर्ष 2020-21	1210.10	
- निर्धारण वर्ष 2021-22	741.75	
- निर्धारण वर्ष 2022-23	884.06	
- निर्धारण वर्ष 2023-24	1117.95	
प्रस्तावित लाभार्श (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत)	12,466.30	11,348.34
स्टॉक पर हानि का प्रावधान	1,046.04	715.21
सहायक कंपनी के लिए प्रावधान	-	1.20
	6.02	5.73
कुल	13,796.50	12,375.93
<p>नोट 8(क): भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या 15 में विनिर्दिष्ट के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत/वार्षिक निःशुल्क शी पैसेज का बीमाकिक मूल्यांकन किया गया।</p> <p>नोट 8(ख): लेखा खाते के आधार पर आयकर पर टी डी एस का प्रावधान : 92.83 लाख</p>		

	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट सं. 10: गैर चालू निवेश		
(1) इस कंपनी के पास अंडमान मत्स्य लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) प्रति रु.10 का 9,67,000 शेयर है 69.65		
(रु.10 का 33,000 इक्विटी शेयर स्थानांतरण के लिए लंबित है)		
घटाए: अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर निवेश पर हानि का प्रावधान 69.65	-	-
(2) लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड में रु. 10 का 4,00,000 इक्विटी शेयर है जिसे पूर्णतः लागत पर सम्मिलित किया गया । 40.00		
400000 इक्विटी शेयर पूर्ण लागत पर भुगतान 40.00		
घटाए: लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर पर निवेश पर हानि का प्रावधान 40.00	-	-
वेबकॉन कन्सल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में रु. 10 की प्रति शेयर सहित प्रति रु.10 की प्रीमियम शेयर के 30000 इक्विटी शेयर	6.00	6.00
कुल	6.00	6.00
<p>नोट 10 (i): इस कंपनी के पास अण्डमान मत्स्य लिमिटेड, पोर्टब्लेयर में प्रति रु.10 दर का 10,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर है। जिसमें से रु.10/- 33,000 इक्विटी शेयर एम.पी.इ.डी.ए से प्राप्त हुआ है जो स्थानांतरण के लिए विवादित एवं विचाराधीन है। एम.पी.इ.डी.ए ने विचाराधीन इक्विटी शेयर योजना के तहत 15 प्रतिशत का दावा किया है जो कंपनी द्वारा विवादित है तथापि कंपनी ने बोर्ड के 13वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवधिक ऋण की दर से ब्याज का भुगतान करने पर सहमति जताई है जिस पर दिनांक 10.06.2001 तक ब्याज के रूप में कुल राशि रु.5.39 लाख है। (सकल राशि रु. 8.69 लाख) इस पर चालू वर्ष में एक प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स अंडमान मत्स्य लिमिटेड एक हानिप्रद कंपनी है अतः निवेश के लिए पूर्ण राशि रखने का प्रावधान रखते हुए इस नोट संख्या 5 में खुलासा किया गया है।</p> <p>नोट 10(ii): कंपनी ने वर्ष 1992 के दौरान लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड के इक्विटी शेयर में प्रति रु.10 के दर से 4,00,000 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर खरीद कर रु. 40,00,000 निवेश किया है। परंतु वर्ष 1992 में कंपनी की स्थापना के पश्चात् अब तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है तथा यह कंपनी वित्तीय संस्थानों का बहुत कर्जदार है तथा ऐसे निवेश से अब तक कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः इस प्रकार के निवेश पर शत प्रतिशत राशि रखने का प्रावधान रखा गया है तथा नोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।</p>		
नोट 11: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		
<u>सुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
कर्मचारियों को कम्प्यूटर अग्रिम	3.66	6.50
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम	0.54	2.57
<u>असुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
प्रतिभूति जमा	24.22	46.30
सरकारी एजेंसियों को अन्य अग्रिम		
भारतीय तेल निगम 11 (a)	21.90	84.93
<u>असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया</u>		
कर्मचारियों के अग्रिम 1.31		
घटाए: प्रावधान 1.31	-	-
जमा प्राप्य (असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया) 5.88		
घटाए: प्रावधान 5.88	-	-
कुल	50.32	140.30
नोट 11 (क): नोट संख्या 9 (पप) तथा 17(1) देखें।		
नोट: 12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)		
क. आस्थगित कर ऋण	-	-
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन 11.24		10.55
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान 451.66		480.48
कुल	462.90	491.04
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन 146.10		135.06
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान 51.44		44.12
कुल	197.54	179.18
शुद्ध अस्थगित कर देयता (परिसम्पत्ति)	265.36	311.86
आस्थगित कर की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा मानक संख्या 22 के अनुसार किया गया है।		

नोट 13: ऋण एवं वित्त प्रभाग द्वारा आवधिक ऋण (सुरक्षित)	दिनांक 31.03.2023 (₹)	वर्धनांक 31.03.2022 (₹)
(क) आवधिक ऋण (विचार किया गया सामग्री)	18.64	
आवधिक ऋण (संदेहास्पद)	12.75	
घटाए: उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	6.15	
(ख) संबंधित पार्टी को ऋण		
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ऋण (संदेहास्पद)	132.00	
घटाए: प्रावधान किया गया	132.00	
कुल	25.24	38.08

नोट: (क): कंपनी का ऋण तथा वित्त प्रभाग द्वारा अपने सामान्य योजना के तहत उपलब्ध अधिशेष निधि से आवधिक ऋण प्रदान करता है। इसका अग्रणीत सकल प्रारंभिक शेष ₹ 175.26 लाख है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल ₹ 4.60 लाख की मंजूरी दी गई थी। (पिछले वर्ष ₹.10.72 थी। तथापि, कंपनी ने ब्याज सहित ₹20.03 लाख की वसुली की। (पिछले वर्ष ₹24.47 लाख)। वर्ष के दौरान मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹0.03759 (पिछले वर्ष 0.00083 लाख) तथा उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए 96 लाख राशि प्रावधान में रखा गया था। (पिछले वर्ष 1.61 लाख)। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रभाग को बंद कर दिया गया।

नोट:13 (ख): कंपनी ने पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्य लिमिटेड को रु. 132 लाख आवधिक ऋण की मंजूरी दी थी जिसे लेखा के संबंधित पार्टी को ऋण खाते में दर्शाया गया है। कंपनी वर्ष 2002-03 तक जारी आवधिक ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में रिकॉर्ड किया है तथा पूर्ण राशि के लिए प्रावधान भी तैयार की है। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02.07.12 को जारी परिपत्र ब्याज की गणना व प्रदान नहीं की गई है। परंतु सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर ब्याज दर रु.7.25 करोड की गई (पिछले वर्ष 7.19 करोड)।

नोट संख्या 14: सम्पत्ति सूची		
<u>कच्चा सामग्री</u>		
कच्चे दूध	105.81	
होटल में खाद्य सामग्रियों का स्टॉक	217.80	
<u>अंतिम सामग्री</u>		
निर्मित दूध	16.12	
पनीर	0.03	
दही	0.51	
गाय दूध	5.69	
<u>स्टॉक इन ट्रेड</u>		
पेट्रोलियम उत्पाद	515.46	
जोड़े: पारगमन भण्डार	4.04	
आई.एम.एफ.एल. उत्पाद	6,473.32	
जोड़े: पारगमन भण्डार	1,225.45	
स्मारिका,मानचित्र तथा बायोमेट्रिक यंत्र	0.42	
<u>भण्डार तथा कलपुर्जे – दुग्ध संयंत्र</u>		
कुल	8,623.65	8,836.26
नोट: संपत्ति सूची के मूल्यों का निर्धारण परम्परागत लागत तथा शुद्ध आंकलन मूल्य के तहत किया गया।		
नोट: 15 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)		
विचारयुक्त सामग्री		
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	606.53	
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह के भीतर	352.48	
संदेहास्पद		
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	241.99	
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह के भीतर	-	
घटाए: अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	241.99	
कुल	959.01	930.97

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट संख्या: 16 नकद तथा नकद समतुल्य		
<u>अनुसूचित बैंको के खाता शेष</u>		
<u>(क) चालू लेखा</u>		
इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर	189.06	210.42
इंडियन बैंक, चैन्नई	4.27	2.14
भारतीय स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर	235.62	533.32
एच.डी.एफ.सी बैंक, पोर्टब्लेयर	95.41	224.09
केनरा बैंक, सचिवालय	63.35	66.58
केनरा बैंक, शहीद द्वीप पी ओ एल	77.14	88.74
केनरा बैंक, कैम्पबेज बे	271.29	33.49
भारतीय स्टेट बैंक, हटबे	0.02	40.36
भारतीय स्टेट बैंक, रंगत	12.83	0.84
भारतीय स्टेट बैंक, मायाबंदर	0.11	0.10
भारतीय स्टेट बैंक, डिग्लीपुर	174.97	120.43
भारतीय स्टेट बैंक, स्वराज द्वीप	101.44	10.95
भारतीय स्टेट बैंक, आर के पुर, लिटिल अण्डमान	0.05	0.04
भारतीय स्टेट बैंक, कर्मोटा	18.19	1.55
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / जंगलीघाट)	1.28	8.47
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / मोहनपुरा)	0.99	4.54
भारतीय स्टेट बैंक, (हैडो)	2.64	16.24
भारतीय स्टेट बैंक, दिलानीपुर	2.18	4.27
भारतीय स्टेट बैंक, बाराटांग	27.48	
भारतीय स्टेट बैंक, कदमतला	21.38	
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / सेल्फ सर्विस यूनिट)	6.93	50.54
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	32.82	455.81
एक्ससेस बैंक	996.61	851.11
भारतीय स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर, अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड	7.10	7.35
	2,343.16	2,731.38
<u>गैर-अनुसूचित बैंको पर खाता शेष</u>		
<u>चालू खाता</u>		
अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	136.46	81.94
	136.46	81.94
<u>हाथ में चेक</u>		
<u>हाथ में नकद</u>		
प्रधान कार्यालय में	0.29	0.54
हाथ में डाक टिकट	0.01	0.02
दुकान में नकद	55.72	27.32
	56.02	27.88
	2,535.64	2,842.20
ख. अन्य बैंको में शेष राशि		
12 माह तक के लिए		
पंजाब नेशनल बैंक	700.00	
केनरा बैंक	1,500.00	4,206.00
इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर	85.46	419.93
यूनियन बैंक आफ इंडिया	816.01	1,304.00
बैंक आफ बरोदा	900.00	-
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1,700.00	-
इंडियन ओवर सी बैंक	-	3,346.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोर्टब्लेयर	4,081.26	-
यूको बैंक	800.00	
बैंक आफ इंडिया	417.77	398.00

आई सी आई सी आई बैंक	1,832.30	241.95
एचडीएफसी बैंक	120.25	
एक्सेस बैंक	1,000.00	1,300.00
जोड: उन पर ब्याज अर्जित	206.99	221.85
	14,160.04	11,437.72
कुल नकद तथा नकद समतुल्य	16,695.68	14,279.92

नोट 16 (ख) : इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर शाखा में क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्राप्त अल्पावधि जमा रु 27.31 लाख शामिल है (पिछले वर्ष 26.07 लाख)

		दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
ख. अन्य बैंको में शेष राशि			
<u>सुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री</u>			
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम		1.67	1.31
कर्मचारियों का कम्प्युटर अग्रिम		2.65	0.76
सिविल कार्य के लिए अग्रिम		110.78	380.02
भारतीय तेल निगम से प्राप्य दावा		37.18	22.61
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम		1.96	15.61
नीति आयोग परियोजना		380.24	267.08
भारतीय तेल निगम (केपीटल फैक्ट्रिंग)	17 (i)	82.98	82.98
पूर्वदत्त व्यय		0.00	1.00
आइ जी एस टी		0.84	57.25
सी जी एस टी/ यू टी जी एस टी		46.30	65.63
आयकर को अग्रिम भुगतान (टी डी एस सहित)			
—निर्धारण वर्ष 2008—09	341.61		
—निर्धारण वर्ष 2009—10	385.73		
—निर्धारण वर्ष 2010—11	414.26		
—निर्धारण वर्ष 2011—12	470.82		
—निर्धारण वर्ष 2012—13	10.03		
—निर्धारण वर्ष 2013—14	591.39		
—निर्धारण वर्ष 2014—15	777.53		
—निर्धारण वर्ष 2015—16	727.38		
—निर्धारण वर्ष 2016—17	954.72		
—निर्धारण वर्ष 2017—18	1,506.86		
—निर्धारण वर्ष 2018—19	1,114.71		
—निर्धारण वर्ष 2019—20	1,506.58		
—निर्धारण वर्ष 2020—21	1,289.54		
—निर्धारण वर्ष 2021—22	747.89		
—निर्धारण वर्ष 2022—23	984.57		
—निर्धारण वर्ष 2023—24	1,294.50	13,118.13	11,793.17
लाभांश कर का अग्रिम भुगतान	83.98		
जोड़: वर्ष के दौरान	0.00	83.98	83.98
सरकार एवं अन्य के साथ जमा/अग्रिम		0.01	1.65
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम		723.30	713.38
अन्य अग्रिम		0.13	2.08
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</u>			
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त अन्यथा दर्शाया गया 1)</u>			
वसूली की जानी वाली नकदी घाटा	10.18		
घटाए: प्रावधान	10.18	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	4.34		
घटाए: अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	4.34	0.00	0.00

सरकार तथा अन्य के साथ जमा/अग्रिम	4.19			
घटाए: प्रावधान	4.19	0.00	0.00	
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम	5.19			
घटाए: अग्रिम के हानि के लिए प्रावधान	5.19	0.00	0.00	
पट्टे पर प्राप्य योग्य किराया (नोट 17 क)	107.99	0.00	0.00	
घटाए: पट्टे के किराए के लिए प्रावधान	107.99	0.00	0.00	
जमा भविष्य निधि (नोट 17 ख)	43.90			
घटाए: प्रावधान	43.90	0.00	0.00	
संबंधित पार्टी का ऋण तथा अग्रिम (नोट 17 ग)				
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को आसुरक्षित ऋण	33.00			
जोड़: वर्ष 2002-03 तक ब्याज देय	8.23			
घटाए: प्रावधान	41.23	0.00	0.00	
अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड से प्राप्य	15.74			
घटाए: प्रावधान	15.74	0.00	0.00	
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ब्याजमुक्त आसुरक्षित ऋण	165.00			
घटाए: वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	0.00			
घटाए: प्रावधान	165.00	0.00	0.00	
		14,590.15	13,487.49	
नोट 17 (क): कंपनी द्वारा अपने तीन वाणिज्यिक भूमि को पर्यटन परियोजनाएं चलाए जाने के लिए पट्टे पर दिया गया। हैवलोक स्थित भूमि को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को 60 वर्षों के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से ₹ 2.25 करोड़ प्रति वर्ष किराए के आधार पर पट्टे पर दी गई। लॉग आइलैण्ड तथा नील द्वीप स्थित अन्य दो भूमि मेसर्स लाग आइलैण्ड नेचर होटल एण्ड रिसॉर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स सोमा अण्डमान रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया। परंतु शर्तों के चूक करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।				
नोट 17 (ख): कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के अंतर्गत सहायक निधि कोष आयुक्त, पोर्टब्लेयर ने वर्ष 2001-2004 के कार्यकाल से ₹ 21.30 लाख संलग्न की तथा उपर्युक्त आयुक्त ने यह राशि ले ली थी। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, पोर्टब्लेयर में उपर्युक्त राशि की वसूली के कलए याचिका दायर की थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.2.2013 का जारी आदेश के तहत कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने राशि की पुनःनिर्धारण के लिए निर्देश दी है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, पोर्टब्लेयर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी एक अन्य आदेश के तहत वर्ष 2005-2009 की अवधि तक के लिए रु. 22.60 संलग्न की तथा उपायुक्त ने यह राशि ले ले थी। कंपनी ने इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अपील न्यायालय, नई दिल्ली में एक याचिका दायर की है।				
नोट 17 (ग): कंपनी के शत प्रतिशत सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के पक्ष में पिछले अवधि के दौरान ब्याजमुक्त असुरक्षित ऋण की मंजूरी दी गई थी, जिसका अग्रोनित शेष रु.165 लाख थी एवं इसके लिए कंपनी ने शत प्रतिशत प्रावधान भी रखा है।				
नोट 18: अन्य चालू परिसम्पत्तियां				
आपूर्तिदाताओं को अग्रिम (असुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री)		6.04	4.48	
<i>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</i>				
(i) आयकर प्राधिकार से देय राशि 07-08	1.54			
घटाए: प्रावधान	1.54	0.00	0.00	
कुल		6.04	4.48	
नोट 19: संचालन से राजस्व नोट				
	सकल बिक्री (लाख में)			
	दिनांक	%	दिनांक	%
	31.03.2023 (₹)		31.03.2022 (₹)	
उत्पाद की बिक्री (क)				
i) निर्मित सामग्री				
दूध	1,094.33		1,005.32	
दही	104.36		98.08	
अन्य दुग्ध उत्पादों	53.06		9.93	
	1,251.75	0.03	1,113.33	0.03
ii) व्यापारिक सामग्री				
आई.एम.एफ.एल	26,732.23		19,146.07	
पी.ओ.एल	16,757.11		12,377.77	
लोहा एवं इस्पात	-		314.31	
	43,489.34	0.93	31,838.16	0.94
उप कुल (क)	44,741.09		32,951.49	

सेवा (ख)	1,426.96		881.04	
पर्यटन				
अन्य				
एयर टिकट से कमीशन	-		0.51	
आवधिक ऋण पर ब्याज	3.51		4.64	
पट्टे पर दिए भूमि पर ब्याज	334.81		359.96	
पट्टे के आधार पर जल क्रीड़ा का किराया	-		52.92	
बर्फ संयंत्र/शीत भण्डार	17.41		22.68	
किराया प्रभार/ कार किराया	19.45		27.47	
अन्य आय	10.76		11.94	
उप कुल (ख)	1,812.90	0.04	1,361.17	0.04
सकल कुल घ (क+ख)	46,553.99	1.00	34,312.65	1.00
नोट (क) व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री/सेवा की खरीद के लिए दिए जाने वाले आवश्यक विवरण प्रत्येक व्यवसाय के प्रकृति एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यतः व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री की खरीद के कुल मूल्य 10 प्रतिशत मुख्य शीर्ष के निर्धारण के लिए स्वीकार्य सीमा के रूप में माना जाता है। किसी भी अन्य मदों पर विचार वित्तीय विवरण पर प्रस्तुत निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है।				
नोट (ख) बर्फ संयंत्र / शीत भण्डार की बिक्री में बर्फ ब्लॉक के विक्रय भी सम्मिलित है।				
नोट (ग) निगम ने वर्ष 2022-23 से लोहा एवं इस्पात प्रभाग बंद कर दिया है।				
	दिनांक 31.03.2023 (₹)		दिनांक 31.03.2022 (₹)	
नोट 20: अन्य आय				
<i>i) ब्याज से आयरू</i>				
सावधिक जमा पर ब्याज		619.16		511.78
पूँजी निवेश पर ब्याज (भारतीय तेल निगम)		17.22		12.07
कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज		0.61		0.62
<i>ii) पट्टे पर आय:</i>				
पट्टे के किराया पर ब्याज तथा जुर्माना		12		292.26
<i>iii) अन्य :</i>				
प्रशासनिक शुल्क	[Note b]	42.15		-
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ		2.32		2.09
छूट की प्राप्ति		0.26		0.44
कमी/अन्य वसूली				
आई एम एफ एल, लोहा एवं इस्पात तथा पोल	308.59			
नकदी क्षति	22.72			
परिवहन प्रभार	12.45			
कर्मचारियों के खान पान पर खर्च	9.12	352.88		290.49
रद्द किया गया प्रभार		1.38		3.05
कुल		1,035.99		1,112.81
नोट (क): ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर निगम के पक्ष में न्यायालय से आदेश प्राप्त हुई है जिसके तहत निगम को पट्टे के किराया सहित जुर्माना रु 51.33 लाख प्राप्त होनी है। परंतु उक्त फर्म ने अपीलीय प्राधिकारी समक्ष याचिका दायर की है जो लंबित है।				
नोट (ख): निगम ने प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च की गई वास्तवित लागत पर प्रशासनिक शुल्क के रूप में समान रूप से 20 प्रतिशत शुल्क लिया और निगम द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त लागत की वास्तविक प्रतिपूर्ति की गई।				
नोट 21: उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत				
कच्चे दूध तथा संपूर्ण दूध पाउडर		938.84		844.06
खान-पान प्रभाग के लिए प्रावधान		57.67		40.71
कुल		996.52		884.77

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट 22: स्टॉक की खरीद		
आई एम एफ एल	4,482.95	2,831.96
जोड़: सामग्रियों की पारगमन लागत	1,225.45	2,062.68
पेट्रोलियम उत्पाद	16,139.26	11,558.07
जोड़: सामग्रियों की पारगमन लागत	4.04	3.55
परिवहन भाड़ा	1,093.05	539.75
लाइसेंस शुल्क	312.41	150.79
आयात अनुमति शुल्क/उत्पाद शुल्क	13,858.81	11,042.68
कुल	37,115.96	28,189.48
नोट 23: निर्मित माल में परिवर्तन/कार्य प्रगति पर तथा विक्रय स्टॉक		
सम्पत्ति सूची (समाप्ति पर)		
निर्मित सामग्री	22.35	
स्टाक इन ट्रेड	8,218.69	8,241.04
सम्पत्ति सूची (प्रारंभ में)		
निर्मित सामग्री	6.30	
स्टाक इन ट्रेड	8,462.48	8,468.78
कुल	(227.74)	(1,014.63)
नोट 24: कर्मचारियों के लाभ पर व्यय		
वेतन	1,818.33	1,774.29
भविष्य निधि, पेंशन कोष तथा छुट्टी के वेतन	155.94	169.15
उपदान	72.16	35.64
बोनस	204.40	153.00
प्रशिक्षण पर व्यय	0.07	0.03
कर्मचारियों के कल्याण पर	0.89	0.98
कर्मचारियों के आवास पर किराया	3.00	2.75
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	24.67	15.01
छुट्टी भुनाने का प्रावधान	-	145.67
कुल	2,279.46	2,296.52
नोट 24(क): उपदान		
बीमाकिंक धारणा		
विवरण	2022-23	2021-22
मोर्टालिटी दर	LIC (2006-08) अंतिम	LIC (2006-08) अंतिम
निकासी दर	1% to 3% आयु पर निर्भर	1% to 3% आयु पर निर्भर
छूट की दर	7.25% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष.
वेतन वृद्धि	5.75%	6%
नोट 24(ख): छुट्टी यात्रा रियायत देयता (ए.एस.15 के अनुसार)		
छुट्टी यात्रा रियायत देयता		
विवरण	2022-23	2021-22
कर्मचारियों की संख्या	238	248
बीमाकिंक धारणा		
छूट की दर	7.20% प्रतिवर्ष	6.70% प्रतिवर्ष.
मुद्रास्फीति की दर	6.00% प्रतिवर्ष	6.00% प्रतिवर्ष
मोर्टालिटी	IALM (2006-08) अंतिम	IALM (2006-08) अंतिम
बीमाकिंक देयता	₹ 77.19 लाख	₹ 81.82 लाख

कंपनी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को बिमांकिक मूल्यांकन तैयार कर इसके आधार पर प्रावधान रखा गया है। वर्ष के प्रारंभ में संचित प्रावधान रु. 79.10 लाख थी। इस प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान रु.26.58 लाख राशि का प्रयोग किया गया तथा रु. 24.67 लाख के लिए प्रावधान तैयार की गई। वर्ष के अंत में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अंतशेष रु. 77.19 लाख है।

नोट 24(ग): छुट्टी नकदीकरण		
छुट्टी नकदीकरण दायित्व		
विवरण	2022-23	2021-22
कर्मचारियों की संख्या	235	248
कुल मासिक वेतन	₹ 115.81 लाख	₹ 110.61 लाख
कुल नकदी योग्य छुट्टी	39704	49669
सामान्य सेवानिवृत्त आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
बीमांकिक धारणा		
छूट की दर	6.9% प्रतिवर्ष	6.7% प्रतिवर्ष
वेतन में वृद्धि का दर	10.00% प्रतिवर्ष.	10.00% प्रतिवर्ष
निकासी दर	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष.
मोरटालिटी	IALM 2006-08 अंतिम	IALM 2006-08 अंतिम
अवकाश का बिमांकिक छूट मूल्य	₹ 866.27 लाख	₹ 932.59 लाख

कंपनी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और ऐसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है। वर्ष की शुरुआत में संचित प्रावधान रु.1042.31 लाख थी। उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान 18.03 लाख की राशि का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष 35.95 लाख)। वर्ष के दौरान प्रावधान 158.01 लाख की है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 866.27 लाख आंका गया।

	दिनांक 31.03.2023 (₹)	दिनांक 31.03.2022 (₹)
नोट 25: संचालन एवं अन्य व्यय		
नोट 25(क): संचालन, बिक्री तथा वितरण पर खर्च		
भण्डार एवं कलपूर्जों का उपभोग	303.61	187.29
ऊर्जा एवं ईंधन		
विद्युत	99.32	71.89
ईंधन प्रभार	144.32	99.35
किराया		
कार्यालय का किराया	1.60	1.25
किराया	198.15	155.30
मरम्मत एवं रख-रखाव		
— कम्प्यूटर की मरम्मत एवं रखरखाव	19.86	16.71
— वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव	13.14	6.75
— भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	271.67	145.30
— फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव	0.30	1.56
— मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव	51.67	42.23
सरकारी लेखा परीक्षा पर व्यय	0.75	0.88
बीमा	24.98	10.90
कीमत एवं कर	59.63	27.02
जल प्रभार	12.84	15.92
भण्डार ढुलाई पर व्यय	11.80	6.35
कक्ष के किराये पर व्यापारिक छूट	55.06	20.93
स्वच्छता	24.78	17.10
बागवानी पर व्यय	9.50	0.09
घाट पर व्यय	0.07	0.22
पर्यटन उद्योग में किराये के वाहन पर खर्च	20.60	32.60
क्रॉकरी प्रभार	1.63	0.37
वर्दी एवं पोशक	0.02	1.78
ओउट सोर्सिंग जनशक्ति	419.68	393.60

व्यवसाय को बढ़ावा / अतिथि सत्कार		1.51	0.33
बैंक प्रभार		27.48	16.52
पहरा व निगरानी		85.58	74.12
निगमित समाजिक दायित्व पर खर्च		77.74	46.59
हिन्दी सप्ताह पर खर्च		0.09	0.06
पंजीकरण व सदस्यता शुल्क		0.21	0.26
विविध		0.31	0.81
जीएसटी क्रेडिट		207.32	9.51
जलपान पर व्यय		3.69	3.54
कुल		2,148.92	1,407.14
नोट 25(ख): प्रशासनिक खर्च			
निदेशको के बैठक से संबंधित शुल्क		0.16	0.07
छपाई व लेखन सामग्रियां		17.62	19.09
डाक व टेलीग्राम		1.25	0.70
टेलीफोन/टैलेक्स/फैक्स		24.67	23.14
पुस्तक एवं पत्रिकाएं		0.48	2.54
निविदा प्रकाशित करने पर व्यय		9.21	1.82
व्यवसायिक प्रभार		6.50	12.75
यात्रा पर व्यय		24.61	30.85
		84.51	90.95
नोट 25(ग): अन्य व्यय			
प्रावधान			
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान		92.97	32.79
सी एस आर के लिए प्रावधान		-	32.00
मानक संपत्ति पर आकस्मिक व्यय का प्रावधान		0.96	-
		93.93	64.79
<u>लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक(सेवा कर सहित)</u>			
— वैधानिक लेखा परीक्षा के लिए	2.30		
— कर से संबंधित लेखा परीक्षा	0.50		
— अन्य सेवाएं	0.30	3.10	2.80
— आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय	0.73	0.73	1.65
ग का कुल		97.75	69.24
नोट 25(घ): पूर्व अवधि समायोजन			
— परिवहन प्रभार		-	2.12
— सहायता अनुदान		(13.98)	-
— बिक्री		-	0.72
— फिरी होल्ड भूमि		2.00	-
— भवन पर किराया		0.15	26.20
कुल		(11.84)	29.04
कुल संचालन तथा अन्य व्यय (क+ख+ग+घ)		2,319.34	1,596.37
नोट: 26 अर्जित प्रति शेयर			
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध राशि		3,485	2,391
इक्विटी शेयरों की औसतन संख्या		11	11
मूल तथा मिश्रित अर्जित प्रति इक्विटी शेयर		318	218
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य		100	100

नोट 27 (क) आकस्मिक देयता

(क) निम्नलिखित मामला आयकर विभाग के साथ विचाराधीन है जिस पर कंपनी अपील दायर की है।

निर्धारण वर्ष	आदेश तिथि	दावा की गई राशि (₹)	अपील संख्या/तिथि	सहमत राशि (₹)	आकस्मिक देयता (₹)	फोरम जहां विवाद लंबित है
2013-14	13/01/2016	5,87,03,998/-	1008 दिनांक 15/05/2018	₹5,61,34,246/-	₹20,77,920/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2013-14	25/09/2021	62527167/-	128386891 050 दिनांक 05/02/2022	₹5,61,34,246/-	₹6,25,21,170/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2014-15	31/12/2019	82312147/-	30/01/2020	₹7,21,41,403/-	₹1,02,14,860/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2017-18	31/03/2023	17,08,84,248	132796820 020523	₹14,77,61,184	₹2,25,80,280	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
2009-10 तथा 2019-20	टी डी एस/ टी सी एस रिटर्न	75540/-	टी डी एस/टी सी एस तिमाही रिटर्न परिशोधन	शून्य	₹75,540/-	डी सी (आई टी) फेसलेस
2020-21	19/09/2022	12,29,29,510/-	12851824028 0423	₹12,10,94,196/-	₹18,35,318/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
कुल					₹9,93,05,088/-	

ख) दिनांक 31.03.2023 तक न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

केस संख्या	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है ।	वादी तथा प्रतिवादी	वित्तीय निहितार्थ संपत्ति / (देय)
धन वाद संख्या 66 / 2010	सिविल न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय	अनिडको बनाम श्री संजय आनंद, पूर्व कनिष्ठ सहायक	9,24,406/-
अपील संख्या 15(15)	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम अनिडको	22,60,043/-
औद्योगिक विवाद संख्या 059 / 2020	श्रमिक न्यायालय	श्री जी.पी.मणि तथा अन्य बनाम महाप्रबंधक अनिडको	आकलन नहीं किया गया
2284 / 2019	सर्वोच्च न्यायालय	अनिडको बनाम एलआईएनएचआरपीएल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एलआईएनएचआरपीएल की याचिका को खारिज की	5,47,46,091/-
डब्ल्यू पी संख्या 267	उच्चतम न्यायालय	महाप्रबंधक, अनिडको बनाम वाई जॉन	आकलन नहीं किया गया
एफएमएटी संख्या 07 / 2023	उच्चतम न्यायालय , पोर्टब्लेयर	मेसर्स हेवन ऑन ओसियन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य बनाम अनिडको	1,32,62,256/-
ओ एस 09, 2018	जिला न्यायालय , पोर्टब्लेयर	महाप्रबंधक, अनिडको (परियोजना) बनाम मेर्स ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड .	51,33,379/-
डब्ल्यू पी संत्र 91 / 2020	उच्चतम न्यायालय , पोर्टब्लेयर	सुश्री सारुन निषा बनाम अनिडको	आकलन नहीं किया गया

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने मैसर्स अण्डमान मत्स्य उद्योग लिमिटेड को गहरे पानी में मछली पकड़ने, निर्यात योग्य उत्पादनों तथा बहुमूल्य समुद्री उत्पादों में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उक्त कम्पनी को सहायता के रूप में ₹ 3,30,000/- की राशि प्रति 'षेयर ₹.10 की दर से 33,000 इक्विटी शेयर इन 'षर्तों पर निवेश किया गया था कि यदि कंपनी उक्त प्रयोजन में असफल होने पर कंपनी प्राधिकरण द्वारा निवेश किए गए सभी शेयरों को वापस ले लेगा। इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्राधिकरण ने शेयर वापस करने की मांग की जैसा उक्त प्राधिकरण से कंपनी ने वादा किया गया था। उक्त प्राधिकरण ने 15 मई, 1992 से 18 प्रतिषत (प्रति वर्ष) की दर से ब्याज सहित ₹.3,30,000 को पुनः अदा करने की मांग करते हुए कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। अरनाकुलम के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की छानबीन करने और दो पक्षों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक विवाचक नियुक्त किया है। मैसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में यह कंपनी हस्तान्तरण औपचारिकता को बकाया रखते हुए दिनांक 19.8.2004 को ₹.3,30,000 का उक्त शेयर वापस किया और अंडमान फिजरीष लिमिटेड में आगे निवेश के रूप में इस कंपनी द्वारा इस राशि को दर्शाया गया है। कंपनी ने उक्त राशि के लिए चालू देय में ₹5.38 लाख ब्याज का प्रावधान रखा है।

नोट 27 (ii) पूंजी प्रतिबद्धता:

पूंजी लेखा में निष्पादित किए जाने वाले षेठ ठेके की अनुमानित राशि : ₹ 110.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 380.01 लाख) तथा पूंजीगत कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि ₹ 76.45 लाख थी। (पिछले वर्ष: ₹ 59.66 लाख) थी।

नोट 27 (iii) कंपनी द्वारा जारी गारंटी:

कंपनी ने हमारे क्रेडिट और वित्त प्रभाग द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में रु. 11.47 लाख की क्रेडिट गारंटी दी है जो क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा सुरक्षित है।

नोट 27 (iv) लाभांश:

वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.05.2016 को जारी ज्ञापन संख्या 5/2/2016-पॉलिसी में निहित मार्गदर्शन के अनुसार लाभ प्रद सार्वजनिक उपक्रम इक्विटी अथवा लाभ के पश्चात् कर का कम से कम 30 प्रतिषत लाभांश की घोषणा की जो प्रावधान के अनुसार है।

नोट 27 (v) अग्रिम कर

रु. 12466.30 लाख की असमायोजित राशि को "अल्पकालिक ऋण और अग्रिम" के तहत रु. 13118.12 लाख के "आयकर के अग्रिम भुगतान" के मुकाबले "अल्पकालिक प्रावधान" के तहत "आयकर के लिए प्रावधान" के रूप में दिखाया गया है। निर्धारण वर्ष 2020-21 तक का मूल्यांकन धारा 143 के तहत समाप्त हो गया है, हालांकि निगम इसे "अग्रिम आयकर" के विरुद्ध समायोजित करने में असमर्थ है क्योंकि निगम ने राशि पर विवाद किया और अपील/परिषोधन के लिए गया है।

नोट 27 (vi) सहायक कंपनी:

दिनांक 19.08.2004 से अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है तथा धारा 129 (3) के तहत संबंधित विवरण एवं दिनांक 31.3.2023 को समाप्त लेखा परीक्षा संलग्न किया गया है।

पिछले वर्षों में अंडमान मत्सकी लिमिटेड को मंजुरी दी गई आवधिक ऋण ₹.1.32 लाख को ऋण एवं वित्त प्रभाग के 'संबंधित पार्टी' के ऋण षीर्ष पर दर्शाया गया है। उक्त राशि सहित वर्ष 2002-03 तक के ब्याज को पूर्ण रूप से अपोध्य ऋण के रूप रखने का प्रावधान रखा गया है। तब से ब्याज की गणना व प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी 'न्य थी तथा दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया षे ढ.1.65 लाख थी (पिछले वर्ष ढ.1.65 लाख)। कंढनी ने पिछले वर्षों में असुरक्षित ऋण ढ.33.00 लाख पर ब्याज प्रदान किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2002-03 तक संचित ब्याज ढ.8.23 लाख थी । असुरक्षित ऋण पर ब्याज का प्रावधान षत् प्रतिषत रखा गया ।

नोट 27 (vii) वित्तीय संस्थानों के उपर्युक्त आवश्यक प्रकटीकरण (वित्त एवं ऋण प्रभाग):

क. 'षुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां	: ढ 1,51,30,379/- पिछले वर्ष ढ 15378318/-
b.ख. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम	: ढ1,63,39,232/-(पिछले वर्ष ढ 17526904/-
ग. 'षुद्ध ऋण एवं अग्रिम का षुद्ध एनपीए प्रतिषत	: 92.60% (पिछले वर्ष 87.74%)
घ. निर्धारित वर्गीकृत वर्ग के परिसंपत्ति के अंतर्गत षुद्ध राषि	
i. उपमानक	: ढ.61,1706/-(पिछले वर्ष ढ.902824/-)
ii. संदेहपूर्ण:	: ढ 13,18,673 /- (पिछले वर्ष ढ 1275494-)
iii. परिसंपत्तियों की हानि	: 1,32,00,000/- पिछले वर्ष ढ1,32,00,000)
ड. वर्ष के दौरान एनपीए पर रखे गए राषि का प्रावधान:	ढ1,71,14,733/-(पिछले वर्ष ढ1,70,18,853/-)

नोट 27 (viii) : लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक: लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक में निम्नलिखित षमिल है:

(क) लेखा परीक्षक के रूप में: लेखा परीक्षा षुल्क:	ढ. 2,36,000/- (पिछले वर्ष ढ 2,36,000/-)
(ख) कर से संबंधित मामलें: लेखा परीक्षा कर षुल्क:	ढ. 59,000/- (पिछले वष ढ.59,000/-)
(ग) कंढनी संबंधित विधि मामलें:	ढ. 'षून्य (पिछले वर्ष: षून्य)
(घ) प्रबंधन सेवाएं	ढ. 'षून्य (पिछले वर्ष: षून्य)
(ड) लेखा परीक्षक षुल्क	ढ. 'षून्य (पिछले वर्ष षून्य)
(च) अन्य सेवाएं	ढ. 35400/- (पिछले वर्ष:ढ. 35400/-)
(झ) व्यय की प्रतिपूर्ति	ढ. षून्य (पिछले वर्ष षून्य)
कुल	ढ.3,30,400/- (पिछले वर्ष ढ. 3,30,400/-)

नोट 27 (ix): प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक(बैठक षुल्क)	: षून्य
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक (बैठक षुल्क)	: षून्य
ग. वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक के परिवहन पर किए गए व्यय ढ. ढ 30338/-(पिछले वर्ष षून्य) निगम के प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान षून्य/- थी । (पिछले वर्ष: षून्य/-)	

नोट 27 (x): ए.एस. -18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क). संबंधित पार्टी तथा उनके संबंध:

- i) सहायक (प्रत्यक्ष रूप): अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड
- ii) साथी सहायक: "षून्य
- iii) सहयोगी: "षून्य
- v) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: कंढनी अधिनियम, 2014 की नियम 8 (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक) में प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक के संबंध में किसी प्रकार का निर्दिष्ट नहीं दिया गया है । इसलिए निगम के लिए उपर्युक्त नहीं है ।

ख. दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

	सहायक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंध
ब्रांड इक्विटी अंशदान	शून्य	शून्य
अचल परिसम्पत्ति की खरीद	शून्य	शून्य
ऋण तथा अग्रिम का पुनः भुगतान	शून्य	शून्य
राजस्व आय	शून्य	शून्य
राजस्व व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटायें जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

ग. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (सहायक कंपनी)	
	2022-23	2021-22
व्यापार प्राप्ति, बिना बिल के राजस्व, ऋण तथा अग्रिम, अन्य परिसम्पत्ति (षुद्ध)	‘शून्य	‘शून्य
व्यापार देय, अग्रिम के रूप में प्राप्त आय, उपभोक्ताओं से अग्रिम, अन्य देयता	शून्य	शून्य
गारंटी	शून्य	शून्य
डिबेंचर में निवेश/म्यूचल फंड/ बांड	शून्य	शून्य

घ. संबंधित पार्टी के साथ सामग्रियों की लेन देन का प्रकटीकरण

किराये पर आय	शून्य	शून्य
अन्य आय	शून्य	शून्य
सामग्रियों, सेवाएं तथा सुविधाओं की खरीद (प्रतिपूर्ति सहित)	शून्य	शून्य
किराए पर व्यय	शून्य	‘शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटायें जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
निपटायें गए संदेहात्मक ऋण	शून्य	शून्य
निपटायें गए अग्रिम	शून्य	शून्य
इक्विटी ‘षेयर पर भुगतान की गई लाभांश	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 129(3) के अनुसार मेसर्स अण्मान मत्स्यकी लिमिटेड का तुलनपत्र संलग्न है (अनुलग्नक “क”)

नोट 27 (xi): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के साथ व्यवसाय

सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के अंतर्गत किसी प्रकार का लेन-देन होने पर उसे सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के परिपेक्ष्य में लाया गया तथा 45 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर दिया गया है।

नोट 27 (xii): खण्डीय रिपोर्टिंग

प्रभागवार खण्डीय रिपोर्ट अनुलग्नक – ख में दर्शाया गया है ।

अनुसूची III अनुदेश संख्या 2 के अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के समेकित वित्तीय विवरण
अतिरिक्त सूचना-

अस्तित्व का नाम	षुद्ध परिसम्पत्ति-कुल परिसम्पत्ति से घटाकर कुल देयता		लाभ अथवा हानि में षेयर	
	प्रतिशत के रूप में समेकित षुद्ध परिसम्पत्ति की राशि	राशि (करोड़ में)	प्रतिशत के रूप में समेकित षुद्ध परिसम्पत्ति की राशि	राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5
मूल	130.84	233.54	126.35	34.86
सहायक				
भारतीय				
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड	-30.84	-55.05	-26.35	-7.27
विदेशी				
सभी सहायकों को कम ब्याज				
सहायक (इक्विटी सूत्र के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
विदेशी				
संयुक्त कार्य (पूर्व यथानुपात समेकन/इक्विटी सूत्र के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
विदेशी				
कुल	100.00 %	178.49	100.00 %	27.59

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(ANIIDCO)**

BOARD OF DIRECTORS

Shri Keshav Chandra, IAS	Chairman
Ms. Nandini Paliwal, IAS	Managing Director
Shri. Binay Bhushan, IAS	Director
Shri. B S Jaglan, IAS	Executive Director
Dr. Satyendra Singh Dursawat, IAS	Executive Director
Ms. Veditha Reddy, IAS	Executive Director
Ms. Pallavi Sarkar, IAS	Executive Director
Shri C. Arvind, DANICS	Executive Director
Shri Surendra Prahladka	Director

Company Secretary : **Shri Basuki Nath Sah**
Chief Financial Officer : **CMA P. Raghu Ram**

BANKERS : Indian Bank, Port Blair.
State Bank of India, Port Blair.
Canara Bank, Secretariat, Port Blair.
Axis Bank, Port Blair.

STATUTORY AUDITOR : **M/s Roy Ghosh & Associates**
CA, FRN-320094E

REGISTERED OFFICE : **Vikas Bhawan**
Post Box No. 180
Port Blair - 744 101
Telephone: 03192 -232098, 236242, 246028.
Fax : 03192 - 232076, 232501
E-mail : aniidco@gmail.com
Website : <http://aniidco.and.nic.in>

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

The Board of Directors has pleasure in presenting the Thirty Fifth Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March, 2023. The turnover of the Corporation during the year is ₹465.53 Crores against ₹343.12 Crores previous year. Profit before tax of the Corporation has also increased to ₹44.96 Crores from ₹32.71 Crores.

FINANCIAL RESULTS

The highlights of the performance and the financial results for the financial year 2022-23 are given below:

(₹ in lakh)		
KEY RESULT	2022-23	2021-22
Total Turnover	46553.99	34312.65
Profit before Tax	4496.87	3271.05
Profit after Tax	3486.80	2393.16

Appropriations

(₹ in lakhs)		
Particulars	2022-23	2021-22
Dividend	1046.04	715.21
Transfer to Reserves	2440.76	1677.94

The License fee, Excise duty, VAT paid by the Corporation are as under:

(₹ In Lakhs)		
Year	2022-23	2021-22
License Fees	312.40	150.79
Excise Duty	13858.81	11042.68
VAT	2683.80	1934.19
Grand Total	16855.01	13127.66

OPERATIONS:**(i) IMFL Division****Performance of IMFL Division for last two years (₹ In Lakhs)**

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operation (Turnover)	26732.64	19146.60
Other Income	338.4	273.52
Total Revenue	27071.04	19420.12
Cost of Material Consumed	21237.28	15074.76
Remuneration to Employees	347.94	296.16
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	426.76	212.26
Depreciation	0.62	0.49
Total Expenditure	22012.60	15583.67
Operating Profit / (Loss)	5058.44	3836.45

Sales and profitability of the division is increased from `194.20 Crore to ₹270.71 crore and from ₹38.36 crore to ₹50.58 crore respectively.

(ii) POL Division

The Corporation is operating nine IOC retail outlets and four consumer outlets in various parts of the Islands. Corporation has opened two new Petrol Pumps at Baratang and Kadamtala recently. The Corporation is in the process to open three new POL Outlets at Billiground, Ferrargunj and Car Nicobar.

Performance of POL Division for last two years (₹ In Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operation (Turnover)	16757.13	12377.31
Other Income	23.50	21.97
Total Revenue	16780.63	12399.28
Cost of Material Consumed	16031.36	11780.36
Remuneration to Employees	310.36	298.16
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	186.74	118.65
Depreciation	39.48	30.12
Total Expenditure	16567.94	12227.29
Operating Profit / (Loss)	212.69	171.99

The division sold 199.55 lakh ltrs. POL products during the year as against the sale of 153.78 lakh ltrs., during the previous year. The overall sales increase in quantity due to opening of new retail outlets at Baratang and Kadamtala.

(iii) Tourism Division

The Corporation is engaged in operation of Megapode Resort, Dolphin Resort and Hornbill Nest.

Details of occupancy during last two years (in %)

Unit	2022-23	2021-22
Megapode resort	49.24	32.04
Dolphin resort	46.71	23.74
Horn Bill Nest	32.36	17.04

Performance of Tourism Division for last two years (₹ In Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operation (Turnover)	1432.29	887.18
Other Income	12.15	10.68
Total Revenue	1444.44	897.86
Cost of Material Consumed	61.11	45.72
Remuneration to Employees	361.14	473.16
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	1077.05	724.61
Depreciation	38.79	41.42
Total Expenditure	1538.09	1284.91
Operating Profit / (Loss)	(93.65)	(387.05)

The Occupancy and Profitability of the division has been increased as compare to previous year.

(v) Milk Division

The Corporation is engaged in production and marketing of milk and milk products. Performance of Milk division for last two years is as follows:

Performance of Milk Division for last two years (₹ In Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operation (Turnover)	1251.33	1113.40
Other Income	0.47	0.00
Total Revenue	1251.80	1113.40
Cost of Material Consumed	988.40	847.09
Remuneration to Employees	85.30	101.32
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	115.25	164.98
Depreciation	20.03	20.06
Total Expenditure	1208.98	1133.45
Operating Profit / (Loss)	42.82	(20.05)

The Division has made Operating profit of ₹42.82 lakh as against the Operating Loss of ₹20.05 previous year due to introduction of new product and supply of tetra pack milk in various Islands.

(vi) Credit & Finance

The Corporation has been designated as a Financial Institution by Government of India. The C&F Division has provided financial assistance to industrial concerns for setting up technically and financially viable projects in the Andaman & Nicobar Islands. The scale of operation of the division was remained low due to easy availability of credit from commercial banks, therefore, the Board decided to close lending business during the year 2022-23. However, the Corporation will continue to provide vehicles on hire to A&N Administration.

Performance of the Division for last two years (₹ In Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operation (Turnover)	22.98	80.72
Other Income	0.31	9.07
Total Revenue	23.29	89.79
Cost of Material Consumed	0.69	0.03
Remuneration to Employees	15.22	27.11

Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	9.35	11.09
Depreciation	6.02	11.73
Total Expenditure	31.28	49.96
Operating Profit / (Loss)	(7.99)	39.83

(vii) Projects Division

The Income of Project Division includes Lease rent received from leasing of land for tourism projects and Administrative charges for Projects undertaken by the Corporation.

Performance of the Division for last two years (₹ In Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operation (Turnover)	334.81	364.60
Other Income	42.15	283.19
Total Revenue	376.96	647.79
Cost of Material Consumed	0	0.00
Remuneration to Employees	91.43	0.00
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	19.38	9.85
Depreciation	0.45	57.83
Total Expenditure	111.26	67.68
Operating Profit / (Loss)	265.70	580.11

(VII) Corporate Office

The Corporate Office act as regulatory body and monitor all the Divisions of the Corporation. Interest earned on fixed deposit is shown as income of corporate office. Corporate expenditure is being distributed among the operational division based on its turnover.

Performance of Corporate Office for last two years (₹ In Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Revenue from operation (Turnover)*	22.81	24.08
Other Income	619.01	514.37
Total Revenue	641.82	538.45
Cost of Material Consumed	26.85	1.74
Remuneration to Employees	1067.84	1064.94
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	396.94	291.11
Depreciation	49.26	38.82
Total Expenditure	1540.88	1396.61
Profit/(Loss)	(899.07)	(858.16)

(*income from cold storage)

FUTURE OUTLOOK

Development of Tourism/Infrastructural Development Projects

The Corporation has been appointed as Project Management Agency for implementation of PPP projects in A&N Islands as per the decisions of Island Development Agency (IDA). Corporation is also appointed as Project Proponent by the A&N Administration for implementation of Great Nicobar Projects. Status of various projects being undertaken by the Corporation is as follows:

Four Island Eco Tourism Resort in Long Island, Aves Island, Smith Island and Shaheed Dweep

The master plan for the development of eco tourism resorts on PPP in Long Island, Aves Island, Smith Island and Shaheed Dweep have been finalized and M/s KPMG Advisory Services has been appointed as consultant. The consultant will prepare the feasibility report and bid document and the entire process of selection of concessionaire expected to be completed within next one year.

Outsourcing of Megapode Resort

It has been decided to outsource the Megapode Resort by engaging a leading hotel chain for its upgradation. M/s Deloitte Touche Tohmatsu India LLP has been appointed as consultant. The consultant will prepare the feasibility report and bid document within four months and the entire process of selection of private partner expected to be completed within next one year.

Netaji Subhash Chandra Bose Memorial

On 23.01.2023, Hon'ble Prime Minister of India unveiled the model of the National Memorial dedicated to Netaji to be built on Netaji Subhash Chandra Bose (NSCB) Dweep to pay tribute to Netaji Subhash Chandra Bose. M/s Meinhardt Singapore Pte Ltd. has been appointed as consultant for preparation of the development plan within six months.

Holistic development of Package IV Islands/11 sites

A & N Administration is in the process of finalizing the master plan for development of Package IV Islands/11 sites in North & Middle Andaman and South Andaman to give boost to tourism beyond Port Blair, Swaraj Dweep and Shaheed Dweep. The project site includes Diglipur, Mayabunder, Rangat, North Passage Island, Rangachang, North Bay, etc. Development of projects will be taken up in phased manner depending on the viability.

Development of Radhanagar Beach, Swaraj Dweep and Heritage Tourism Circuit – Chatham, Viper & NSCB Island

Tourism Department, A & N Administration has identified a land parcel measuring 18 hectares along the sea beach of Radhanagar in Swaraj Dweep for development of eco tourism on PPP. The project would include development of a 5 star eco friendly resort with MICE facilities, water sports centre, entertainment & food hub with outdoor amusement activities, gambling facilities and shopping area.

A & N Administration also intends to develop a heritage tourism circuit connecting Chatham, Viper and Netaji Subhash Chandra Bose Island. The primary objective of the proposed heritage tourism circuit is to showcase the rich historical significance of Chatham, Viper Island and NSCB Island. Consultant to be appointed for preparation of development plan of the projects.

Holistic Development of Great Nicobar

NITI Aayog has prepared a vision document for holistic development of Great Nicobar, which includes setting-up of International Container Transshipment Terminal (ICTT), Green Field Airport, Power Plant and Township. A & N Administration has appointed ANIIDCO as project proponent for implementation of the projects. NITI Aayog has also appointed M/s AECOM India Pvt. Ltd. for preparation of Master Plan. The Environmental clearances for these projects have been obtained. Corporation has appointed M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. for preparation of detailed Master Plan and DPR for trunk infrastructure, for Township Project. The Kolkata Port Trust and Airport Authority of India (AAI) are under process of finalization of DPR for Port and Airport Project.

BOARD MEETING:

The Board of Directors duly met four times respectively on 22nd April, 2022, 4th July, 2022, 23rd September, 2022, 21st December, 2022, in respect of these meetings, proper notices were given and the proceeding were properly recorded.

EXTRACTS OF ANNUAL RETURN

The extracts of the Annual Return as provided under sub-section 3 of Section 92 of the Companies Act, 2013 is enclosed as **Annexure I** of this report. Copy of Annual Return to be placed at www.aniidco.nic.in

CSR INITIATIVE

The Corporation is committed to contribute for social causes out of the profits generated. During the Financial Year 2022-23, the Corporation has spent `77.74 Lakhs towards Vaccination of Safai Karamchari/Labours of PBMC, Procurement of 2 no. Ambulance for Nicobar District Health Society, fund for Har Ghar Tiranga Campaign.

The brief outline of the Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of the Company and the initiatives undertaken by the Company on CSR activities during the year are set out in **Annexure II** of this report in the format prescribed in the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014. The CSR policy and details of CSR Committee are available on the website of the Company.

RELATED PARTY TRANSACTION

The Corporation has not entered into contracts or arrangements with related parties falling within the provisions of Section 188 of the Act.

LOAN AND INVESTMENT BY COMPANY

The Corporation has not made any investment, loans or advances or given guarantees or provided securities to other bodies corporate.

SUBSIDIARY COMPANY

The Corporation has one subsidiary company as on March 31, 2023. There are no associate companies within the meaning of Section 2(6) of the Companies Act, 2013 ("Act"). There has been no material change in the nature of the business of the subsidiaries. Pursuant to provisions of Section 129(3) of the Act, a statement containing salient features of the financial statements of the Company's subsidiaries in Form AOC-1 is attached to the financial statements of the Company. Pursuant to the provisions of section 136 of the Act, the financial statements of the Company, consolidated financial statements along with relevant documents will be sent to all members and to be laid in its Annual General Meeting.

RELATED PARTY TRANSACTION

The Corporation has not entered into contracts or arrangements with related parties falling within the provisions of Section 188 of the Act.

LOAN AND INVESTMENT BY COMPANY

The Corporation has not made any investment, loans or advances or given guarantees or provided securities to other bodies corporate.

SUBSIDIARY COMPANY

The Corporation has one subsidiary company as on March 31, 2023. There are no associate companies within the meaning of Section 2(6) of the Companies Act, 2013 ("Act"). There has been no material change in the nature of the business of the subsidiaries. Pursuant to provisions of Section 129(3) of the Act, a statement containing salient features of the financial statements of the Company's subsidiaries in Form AOC-1 is attached to the financial statements of the Company. Pursuant to the provisions of section 136 of the Act, the financial statements of the Company, consolidated financial statements along with relevant documents will be sent to all members and to be laid in its Annual General Meeting.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of provisions of section 134(3)(C) of the Companies Act, 2013 your Directors confirm as under:

Your Board of Directors confirms:

- that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures (if any);
- that they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for that period;
- that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and irregularities ; and
- That they have prepared the annual accounts on a going concern basis.
- that they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating efficiently.

Details of Fraud Reported by the Auditor

No any frauds reported during this financial year by the Auditor.

Explanation to the qualified opinion mentioned in the Auditors Report :

Explanation to the qualified opinion mentioned in the Auditor's Report is enclosed at Annexure III.

Quality Up-gradation

The management of your Corporation shall leave no stone unturned to upgrade the quality of service and products that are being offered by your Corporation. All workers and senior level management personnel are encouraged to strive for excellence and take measures for quality up gradation.

Auditors

The Auditors M/s Roy Ghosh & Associates, Chartered Accountants, the statutory Auditor of your company, retire at the ensuing Annual General Meeting and Statutory Auditor for the financial year 2023-24 shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India.

Internal control system and their adequacy

ANIIDCO has ventured into multifaceted business from trading activities to tourism, development of tourism projects through private sector participation. A system has been put in place to ensure adequate Internal Audit System. Accordingly, your Corporation has engaged M/s D. Garodia & Co, Chartered Accountants, Port Blair for conduction of Internal Audit of our Corporation during the year 2022-23.

Human Resources

The Corporation owes its success to its people and strongly believes that competent employees alone can help in creating a cutting edge organization and in this behalf a lot of efforts are put in hiring professionals from mainland and nurturing talent within.

We are placing a strong emphasis on building a culture that focuses on performance, building trust, and openness in the organization. We are confident that all these initiatives put together will help ANIIDCO family of around 255 employees in building a new era in the development of this place. To motivate our employees, Corporation has implemented a performance linked incentive scheme based on the report of XLRI, Jamshedpur.

Acceptance of Public Deposit

During the year under review, the Corporation has not accepted or renewed any fixed deposits from the public.

Changes in Directors

The following Directors are changed during the period from the last report:

Shri B.S. Jaglan, Shri Satyendra Singh Dursawat, IAS and Smti. Pallavi sarkar, IAS have been appointed as Executive Director and Shri Suneel Anchipaka, IAS and Shri Yash Chaudhary, IAS ceased as Executive Directors.

1. Shri Binay Bhushan, IAS has been appointed as Director in place of Shri Hari Kallikat, IAS.
2. Shri S.K. Jha, IAS ceased as Director

The Board places on record its deep appreciation and thanks for the services rendered by Shri S.K. Jha, IAS, Shri Suneel Anchpaka, IAS, Shri Yash Chaudhary, IAS and Shri Hari Kallikkat, IAS, during their tenure.

Conservation of Energy

The company is engaged in diverse activities and except for processing and packing of milk; it is not involved in any activity that would consume bulk energy. Hence, the energy consumption for the products of the company is negligible. However, your company has made suitable arrangements and it is conscious of the need for conservation of energy wherever possible.

Technological Absorption

Your Corporation has no collaboration arrangement with any foreign organization. All technological inputs are developed in house with the efforts to upgrade the quality of the products.

Foreign Exchange

Foreign Exchange Earning and outgo during the year 2022-23

Earning : Foreign exchange received during the year - Nil

Outgo : During the year - Nil

Risk Management

All material risks faced by your Company are identified and assessed by the Internal Auditor and same is being placed before the Audit Committee on a continuous basis. The Committee oversees your Company's processes and policies for determining risk tolerance and reviews management's measurement and comparison of overall risk tolerance to established levels. Major risks identified by the businesses and functions are systematically addressed through mitigating actions on a continuous basis.

Material changes and commitment affecting financial position of the Company

There has been no material changes and commitments affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year till the date of this report.

Acknowledgments

Your directors would like to place on record their appreciation of the whole hearted support extended by the business associates, customers, bankers, shareholders, auditors and all those associated with the company during the year under review.

Your Directors also wish to extend sincere thanks to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Corporate Affairs and the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises. Your Directors sincerely wish to thank the Hon'ble Lt. Governor in particular and the A&N Administration in general for the continued guidance and support extended throughout the year.

For and on behalf of the Board of Directors

Port Blair
Dated: **30/08/2023**

sd/-
(Director)

sd/-
(Managing Director)

Form No.MGT-9**EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31.03.2023**

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN:- **U74999AN1998SGC000028**
- ii) Registration Date :- **28.06.1988**
- iii) Name of the Company:- **Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited**
- iv) Category / Sub-Category of the Company:- **Government Company**
- v) Address of the Registered office and contact details :- **Vikas Bhawan,**
Port Blair,
Post Box No. 180,
A&N Islands-744101,
Ph: 03192 246028.
Web: <http://aniidco.and.nic.in>
- vi) Whether listed company : **No**
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any – **N. A.**

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Trading of goods & Manufacturing	46308, 47300, 10501 etc.	100

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

S. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% of share held	Applicable Section
1.	Andaman Fisheries Limited(AFL)	U05001AN1991SGC000035	Subsidiary	100	2(87)

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

The President of India : **85%**
The Lt. Governor, A&N Islands : **15%**

V. Shareholding of Directors and Key managerial Personnel:

Sl.No.		Shareholding at the beginning of the year (01.04.2022)	Cumulative shareholding during the year		
			% of total shares of the company	No. of shares	% of total share of the company
1.	Shri Santosh DVaidya	1	0	1	0
	At the end of the year (31/03/2023)	0	0	0	0
2.	Ms. Nandini Paliwal	0	0	0	0
	At the end of the year (31/03/2023)	1	0	1	0
3.	Shri Sunil Kr. Singh	1	0	1	0
	At the end of the year (31/03/2023)	0	0	1	0
4.	Shri Hari Kallikkat	0	0	0	0
	At the end of the year (31/03/2023)	1	0	1	0

VI. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment - **Nil**

VII. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, whole-time Directors and /or Manager: **Nil**

B. Remuneration (sitting fee) to other directors : **Nil**

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/ WTD : **NIL**

VIII. PENALTIES /PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES : NIL

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

- 1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programmes proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programmes:**

The Corporate Social Responsibility (CSR) policy of ANIIDCO is hosted in the website of the Company. The CSR activities undertaken will be within the broad frame work of Schedule VII of the Companies Act, 2013. The CSR projects/programmes or activities will be undertaken only in A&N Islands. The Corporation will spend minimum 2% and maximum 3% of its average net profit made during the three preceding financial years. Further, CSR activities will be undertaken through a registered trust or a registered society or a Company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or through such Company/ Society/ Autonomous Body/ Government Departments.

During the financial year 2022-23, the Corporation has undertaken CSR activities for promotion of health and education etc.]

- 2. The composition of the CSR Committee:**

The CSR Committee was constituted with three directors during the financial year 2022-23. Following were the Committee Members as on 31.03.2023 :

- (i) Managing Director, Chairman
- (ii) Ms. Veditha Reddy, IAS
- (iii) Shri C. Aravind, DANICS

- 3. Average net profit of the company for last three financial years for the purpose of computation of CSR.**

3507.47 Lakhs

- 4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above) :**

₹70.15 Lakhs

- 5. Details of CSR spent during the financial year :**

- a) **Total amount spent for the financial year 2022-23 : ₹77.74 Lakhs**
- b) **Amount unspent: Nil**
- c) **Manner in which the amount spent during the financial year: Statement Attached**

- 6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.**

Not Applicable

- 7. A responsibility statement of the CSR committee that the implementation and monitoring of CSR policy, is in compliance with CSR objectives and policy of the company.**

We hereby declare that implementation and monitoring of the CSR policy are in compliance with CSR objectives and policy of the company.

Port Blair
Dated : 30/08/2023

(Nandini Paliwal, IAS)
Chairperson
Corporate Social Responsibility Committee
DIN : 09779872

Manner in which the amount spent during the financial year 2022-23

Sl. No.	CSR Project or Activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	Amount Outlay (budget) project or programs wise (₹)	Amount spent on the projects or programs subheads: (1) Direct Expenditure (2) Overheads (₹)	Cumulative Expenditure up to the reporting period (₹)	Amount Spent: Direct or through implementing agency
1.	Vaccination of Safai Karamchari/ Labours of PBMC to protect them from Pneumococcal Infections.	Health Promotion	Andaman and Nicobar Islands	44,47,000 /-	44,47,000 /-	44,47,000 /-	Direct
2.	Provided 2 no. Ambulance	Health Promotion	Andaman and Nicobar Islands	28,26,587 /-	28,26,587 /-	28,26,587 /-	Direct
3.	Provided fund for Har Ghar Tiranga Campaign	Promotion of Education	Andaman and Nicobar Islands	5,00,000 /-	5,00,000 /-	5,00,000 /-	Direct
	Total			77,73,587 /-	77,73,587 /-	77,73,587 /-	

Explanation to the qualified opinion mention in the Auditor's Report

1. The Internal Audit for the financial year 2022-23 was conducted and report up to period ended 31st December submitted and report of fourth quarter is being finalized by the Internal Auditor. The internal audit has been conducted for all operational units of the Corporation.
2. The Corporation is receiving payments from A&N Administration for credit sales. The details of payments made by departments are not communicated in time. The Corporation has also sent letter for confirmation but only few departments have responded. The suspense account reconciliation is under process at Department and Division level.
3. The Capital work in progress to be adjusted after completion of works in coming years.
4. On receipt of Utilization Certificate, APWD to be requested for refund of excess amount (if any), after adjustment of advance.
5. WEBCON has paid dividend upto financial year 2018-19. Latest Financial Statement of the Company is being obtained, thereafter valuation to be done.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the members of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited

I. Qualified Opinion

We have audited the accompanying Standalone financial statements of **Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** (the "Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Statement of Profit and Loss, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give a true and fair view of in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31 st, 2023 and Profit, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

II. Basis for Qualification Opinion

1.1 Internal Audit is not commensurate with the size and nature of the business of the Company. Moreover we have not received Internal Audit Report for fourth quarter.

1.2 A large amount of Rs. 54,61,757/- is appearing in Suspense Account representing amount received from unidentified parties. As a result the Trade Receivables are not reconciled to the extent of Rs. 54,61,757/-

1.3 Capital Work-in-Progress valued for Rs. 74,34,855/- is lying since last financial year without any further progress during the year.

1.4 Company provided advances to Andaman Public Works Department for some construction jobs. But the company could not recover Rs. 44,00,627/- from Andaman Public Works Department after completion of said jobs resulting in loss of revenue on said recoverable amount.

1.5 Company invested Rs. 6.00 lacs towards purchase of 30,000 Numbers of Equity Shares of WEBCON Limited in the year 2012 and Financial statement of the said company was not available during last 3 financial years and no valuation of said shares were not done by any valuer. So we are unable to comment on the value of investment of those shares.

2.0 We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA s) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence , we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standard Financial Statements.

Our further observations are as under:

- (i) Refer Note 11: Long Term Loans & Advances: The Company is having Non -current security Deposit (SD) Receivables for Rs. 24.22 lacs. Such SDs should be considered as Financial Asset which has been defined under Accounting Standard 30(Financial Instruments: Recognition and Measurement) and are required to be measured at cost less impairment loss. The Company has not carried out any impairment test for such financial instruments. In absence of necessary supporting documents, the recoverable value of such financial instruments cannot be ascertained.
- (ii) Refer to Note: 17: Short term loans & advances, Rs. 59.67Lacs appearing in Advance for Civil Works for a long period of time includes balances pending adjustment in capital work in progress or capitalisation as the case may be. Pending adjustments, the consequential impact on the assets and profitability is not ascertainable.
- (iii) In credit and finance department, Income Recognition, Asset classification is not maintained borrower wise in the Accounting system. Instead, consolidated journal entries are passed at the yearend based on the register maintained. The standard practice of identifying the existence and the value of security is not periodically reviewed in order to ascertain the required provision to be made as per RBI norms.
- (iv) The existing system of balance confirmation in respect of deposits, advances, trade receivables and trade payables are not available. As such, possible impact, if any, on profitability could not be ascertained.
- (v) Refer Note No. 4(a): the Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A & N Administration, for providing guarantee against industrial loan in lieu of collateral security. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund. Thus, the interest income to the extent of TDS of Rs.13801/- has not been credited to the fund and retained by the company. The same practice was followed in earlier year and no record was maintained for the same.
- (vi) Refer Note 4(b): the balance of other Grants-in-aid(s) received from time to time from A & N Administration amounting to Rs. 135.63 Lacs was unadjusted and appearing in Balance Sheet due to pending post facto approval. The same was reported in the last financial year.
- (vii) An amount of Rs. 54,61,757/- is appearing in Suspense Account(Credit) representing amount received from unidentified parties. As a result the Trade Receivables are not reconciled to the extent of Rs. 5461757/-
- (viii) An amount of Rs.44,31,203/- and Rs.47,21,333/- towards WDV of cold storage/ice plant at Diglipur and Havlock respectively is appearing in the books of accounts. Both this cold storage has stopped operation long time back and no impairment analysis of these asset has been undertaken. But the company conducted valuation by Engineer of said Cold Storage/ Ice plant at Diglipur and Swaraj Dweep and as per valuation report no impairment loss found in both the plants.
- (ix) Refer No. No. 13(b): the company provided loan to Andaman Fisheries Limited, Subsidiary Company, long back and for which 100% provision has been made as bad and doubtful debt in 2002-03. But the said subsidiary company has charged in their Profit and Loss Account as Interest expenses for Rs. 7.25 Crs during the year. However, the company has not booked the Interest accrued as Income due to application of Non Performing Asset.

III. Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The company's Board of Director is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act 2013 (the "Act") with respect to the preparation of these financial statements that gives a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the company in accordance with the accounting policies generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the act read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting record in accordance with the provision of the act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters to going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operation, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

IV. Auditor's Responsibility for the Audit of the standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of user taken on the basis of these financial statements.

As a part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism thorough out the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material mis-statement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the over ride of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section-143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the entity has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls refer to our separate Report in "**Annexure C**".
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting in preparation of financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to event so conditions that may cast significant doubt on the appropriateness of this assumption. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained upto the date of our auditors' report. However, future event so conditions may cause to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities.

We believe that the audit evidence obtained by sufficient and appropriate to provide a basis of our audit opinion on the financial statements. We communicate with those charged with governance of the Company and such other entities included in the financial statement so of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear our independence, and were applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

I. Emphasis of Matter

We draw attention to the following these matters:-

- Proper estimation of value for civil works allotted to Andaman Public Works Department has not been done before making advance.
- Due to high value of Suspense, actual value of advance from debtors are not reflecting in the financial statements.

II. Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

- a. We have sought and, except for the possible effects of Qualified Opinion paragraph above maintained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- b. Except for the possible effects of the matter described in the paragraph above, in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c. Except for the possible effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

- d. Except for the possible effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standard prescribed under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 .
- e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion and Qualified Opinion Paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company.
- f. Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section(2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- g. The adverse remarks relating to the internal financial control over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such control refer to our separate report in **Annexure-‘C’**.
- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:-
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements –Refer to Note 27(i)(a) &(b) and 27(v) to the financial statements.;
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts;
 - iii. The Company has no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund as per the provision of the Act.
 - iv. The management has disclosed that, to the best of it’s knowledge and belief, other than on the notes on accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company or any other person or entity including foreign entities (Intermediaries) with the understanding , whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiary.

As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2020 (the “Order”) issued by the Central Government in terms of section 143(11) of the Act, we give in “**Annexure A**” a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

As per directions of the Comptroller and Auditor General of India in terms of section 143(5) of the Act, we give in “**Annexure B**” report on the directions called for.

For Roy Ghosh & Associates
(Chartered Accountants)
FRN:320094E

Sd/-

Manojit Ghosh
Partner

M. No. 055022

UDIN: 23055022BGYKJB6128

Place: Kolkata,
Date: 31/08/2023

**ANDAMAN & NICOBAR ISLAND INTEGRATED DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**

ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph 2 under ‘Report on Other Legal and
Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

1. (a) The Company has generally maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
(b) There is a regular programme of physical verification of fixed assets. In our opinion, programme of physical verification as informed is reasonable having regard to the size of the company and nature of the assets. However reconciliation of the records of physical verification and book records are not done excepting Building Block.
(c) The title deeds of the applicable immovable properties are in the name of the company. According to the information and explanations given to us, we report that, the title deeds and License/Allotment Order certificate issued by the concerned authority under A & N Islands, Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966 of all the immovable properties of land and building which are freehold, are held in the name of the company.
(d) The company has not revalued its properties, Plant and Equipments during the year.
(e) No proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under;
2. (a) There is a regular programme of physical verification of inventory at reasonable interval by the management and no such material discrepancy has been found during such physical verification.
(b) No Working Capital limit in excess of Rs. 5 Crores, in aggregate, from bank or financial institution on the basis of security of current assets has been sanctioned to the company.
3. The company has not granted loan secured/unsecured to any person covered in the Register maintained u/s 189 of the Companies Act, 2013, hence sub-clause 3(iii) (a), 3(iii)(b) & 3(iii) (c) of the order are not applicable.
4. The company has not granted any loan or given any guarantee and security covered under Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.
5. According to the information and explanations given to us, the company has not accepted deposits, from public covered under sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under.
6. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act, in respect of the services rendered by the company.
7. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, we are of the opinion that the Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees’ state insurance, income tax, sales tax/ value added tax, service tax, duty of customs, cess and any other statutory dues with appropriate authorities.
(b) According to the information and explanations given to us, the following dues of Provident Fund, Income Tax have not been deposited by the Company on account of any dispute:

Name of the statute	Nature of Dues	Amount(Rs)	Period	Forum where dispute is pending
Provident Fund	Provident Fund	22,60,043	2005-09	PF Tribunal, Kolkata
IncomeTax Act,1961	Income Tax	1,30,72,327	2007-08	CIT(Appeal)-XI passed in favour of company. But pending before DCIT for giving effect
IncomeTax Act,1961	Income Tax	1,51,12,300	2008-09	CIT(Appeal)-XI passed in favour of company .But pending before DCIT for giving effect
IncomeTax Act,1961	Income Tax	89,58,073	2009-10	CIT(Appeal)-XI passed in favour of company. But pending before DCIT for giving effect
Income Tax Act, 1961	Income Tax	2,08,92,808	2010-11	CIT(Appeal)-XI passed in favour of company. But pending before DCIT for giving effect
Income Tax Act,1961	Income Tax	9,56,860	2011-12	CIT(Appeal)-XI passed in favour of company. But pending before DCIT for giving effect
Income Tax Act,1961	Income Tax	20,77,920	2013-14	CIT(Appeal)-I
Income Tax Act,1961	Income Tax	1,02,14,860	2014-15	CIT(Appeal)-I
Income Tax Act,1961	Income Tax	3,25,704	2015-16	Rectification petition to be filed
Income Tax Act,1961	Income Tax	9,89,632	2016-17	Rectification petition to be filed
Income Tax Act,1961	Income Tax	2,25,80,280	2017-18	CIT(Appeal)-I
Income Tax Act,1961	Income Tax	5,23,460	2018-19	Rectification petition to be filed
Income Tax Act,1961	Income Tax	4,98,96,300	2019-20	Rectification petition to be filed
Income Tax Act,1961	Income Tax	18,35,318	2020-21	CIT(Appeal)-I
TDS/TCS return	Income Tax	75,540	2009-20	-

8. In our opinion and according to the information and explanations given to us, no transactions has been recorded in the books of account which have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
9. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not defaulted in the repayment of loans or borrowings to banks and dues to the debenture holders.
10. The company has not raised moneys by way of initial public offer, further public offer (including debt instrument). According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any term loan. Accordingly, the provisions of clause 3 (x) of the Order are not applicable to the Unit and hence not commented upon.
11. (a) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Unit or on the Unit by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
(b) No reports under sub-Section (12) of Section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of report.
(c) No complaints from whistle-blower complaints have been received during the year by the Company.
12. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting of the Order is not applicable.

13. In our opinion and according to the information and explanations given to us the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies act, 2013, where applicable, for all transactions with the related parties and the details of the related party transactions has been disclosed in the financial statement as required by the applicable accounting standard.
14. The company appointed Internal Auditor in accordance with its size and business activities for conducting Internal Audit of all units. But the report of Internal Auditor is not covering all activities of the company.
15. The Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the unit and hence not commented upon.
16. According to the information and explanation given to us, the company has no registration under Non Banking Financial Corporation u/s 45-iA of Reserve Bank of India Act, 1934.
17. The Company has not incurred cash losses in the Financial Year and in the immediately preceding Financial year and accordingly, the provisions of clause 3 (xvii) of the Order are not applicable to the unit.
18. There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly, the provisions of clause 3 (xviii) of the Order are not applicable to the unit.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
20. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the books and records of the Company there are no unspent amount towards Corporate Social Responsibility on either ongoing projects or other than ongoing projects as stated in section 135 of the Act and accordingly, reporting under clauses (xx)(a) and (xx)(b) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.
21. The reporting under clause (xxi) of paragraph 3 of the Order is not applicable in respect of audit of this company.

For Roy Ghosh & Associates
(Chartered Accountants)
FRN:320094E

Sd/-

Manojit Ghosh
Partner

M. No. 055022

Place: Kolkata,
Date: 31/08/2023

UDIN: 23055022BGYKJB6128

**ANDAMAN & NICOBAR ISLAND INTEGRATED DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**

ANNEXURE “B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph 3 under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’
section of our report of even date)

Sl. No.	Issue	Response
I	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated	All the accounting transactions are done through IT software package developed by Tally Solution Private Limited. No accounting transactions are done outside the IT system. So the implication of processing transactions cannot be determined.
II	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated	No Loan has been restructured during the year.
III	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly Accounted for / utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	No such cases found

**For Roy Ghosh & Associates
(Chartered Accountants)
FRN:320094E**

Sd/-
**Manojit Ghosh
Partner**

M. No. 055022

UDIN: 23055022BGYKJB6128

**Place: Kolkata,
Date: 31/08/2023**

Independent Auditor's Report of even date on the Internal Financial Control of Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (Annexure "C")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** as of 31st March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial control based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct in its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial control over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Qualified opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified in the operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements as at March 31, 2023

- (i) *Refer Note 11: Long Term Loans & Advances: The Company is having Non -current security Deposit (SD) Receivables for Rs. 24.22 lacs. Such SDs should be considered as Financial Asset which has been defined under Accounting Standard 30(Financial Instruments: Recognition And Measurement) and are required to be measured at cost less impairment loss. The Company has not carried out any impairment test for such financial instruments. In absence of necessary supporting documents, the recoverable value of such financial instruments cannot be ascertained.*
- (ii) *An amount of Rs. 54,61,757/- is appearing in Suspense Account representing amount received from unidentified parties. As a result the Trade Receivables are not reconciled to the extent of Rs. 54,61,757/-*
- (iii) *Internal Audit is not commensurate with the size and nature of the business of the Company. Moreover we have not received Internal Audit Reports for fourth quarter .*
- (iv) *Company provided advances to Andaman Public Works Department for some construction jobs. But the company could not recover Rs. 44,00,627/- from Andaman Public Works Department after completion of said jobs resulting in loss of revenue on recoverable amount.*
- (v) *Company invested Rs. 6.00 lacs towards purchase of 30,000 Numbers of Equity Shares of WEBCON Limited in the year 2012 and Financial statement of the said company was not available during last 3 financial years and no valuation of said shares were not done by any valuer. So we are unable to comment on the value of investment of those shares.*

A “ material weakness” is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Company’s annual or interim financial statements may not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as of March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

Meaning of Internal Controls over Financial Reporting

Company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the internal limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and may not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended March 31, 2023 and the material weakness has affected our opinion on the standalone financial statements of the Company and we have accordingly issued a modified report on the standalone financial statements.

**For Roy Ghosh & Associates
(Chartered Accountants)
FRN:320094E**

Sd/-
**Manojit Ghosh
Partner**

M. No. 055022

UDIN: 23055022BGYKJB6128

**Place: Kolkata,
Date: 31/08/2023**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA, UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013, ON THE FINANCIAL STATEMENT OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ANIIDCO), PORT BLAIR, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2023.

The preparation of financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited, Port Blair for the year ended 31 March, 2023, in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013, is the responsibility of the Management of the company. The Statutory Auditor, appointed by the Comptroller and Auditor General of India, under Section 139(5) of the Act, is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act, based on independent Audit, in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them, vide their Audit Report dated 31 August, 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit, under section 143(6)(a) of the Act, of the financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited. ANIIDCO), Port Blair, for the year ended 31 March, 2023. This supplementary audit has been carried out Independently, without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understand of the financial statements and the related audit report.

A. Comment on Financial Position

A. 1 Reserves & Surplus (Note3) : ₹222.57 crore.

Short Term Provisions (Note8) : ₹137.96 crore.

Short term provisions include a provision of ₹10.46 crore made for proposed dividend declared by the Board of Directors in its 163rd meeting held on 30th August 2023 and consequent adjustment was made from Reserve and Surplus.

The Accounting treatment is not correct in view of Para 14 of Accounting Standard-4 which state that if an enterprises declares dividends to shareholders after the balance sheet date, the enterprise should not recognize those dividends as a liability at the balance sheet date unless a statute requires otherwise. Such dividends should be disclosed in notes.

Thus, incorrect accounting treatment has resulted in overstatement of provisions and understatement of Reserve and Surplus by ₹10.46 corer. Notes on Accounts are also deficient to the extent that no disclosure regarding proposed dividend was made as required by AS-4.

B. Comments on Auditor's Report

The statutory Auditors report is deficient due to following : -

B. 1 Opinion was expressed on 'Statement of Change in Equity' which is not correct as Accounts have been prepared following Accounting Standards which does not require presentation of 'Statement of Change in Equity' (prescribed for Ind AS financial statements).

B. 2 Under 'Emphasis of matter' paragraph, the statement 'the auditor's opinion is not modified in respect of the matter emphasized' is not mentioned as prescribed by Standard of Auditing 706 (Revised).

B. 3 The qualification given in Para 1.2 and 2(ix) are repetitive.

C. Other Comments :

C. 1 Directors Identification Number (DIN) of signatory directors not mentioned on financial statement although required by Section 158 of the Companies Act 2013.

C. 2 Disclosure regarding expenditure on Corporate Social Responsibility has not been made although required by Schedule III of the Companies Act 2013.

C. 3 Ageing Schedule for Capital Work in Progress and Trade Receivables has not been given although required by Schedule III of the Companies Act 2013.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Sd/-
(Debolina Thakur)
Director General of Audit Central

Place : Kolkata
Date : 05.12.2023

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government Undertaking)

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

(₹ In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>			
<u>Shareholders' fund</u>			
Share capital	2	1,097.01	1,097.01
Reserves & surplus	3	22,257.50	19,816.76
<u>Non-current liabilities</u>			
Other long term liabilities	4	177.70	199.70
Long term provisions	5	972.34	1,154.66
<u>Current Liabilities</u>			
Trade payables	6	3,070.68	3,664.66
Other current liabilities	7	2,053.22	1,715.25
Short term provisions	8	13,790.48	12,370.20
TOTAL		43,418.93	40,018.23
<u>ASSETS</u>			
<u>Non-current Assets</u>			
Fixed assets			
- Tangible	9	2,124.69	1,925.50
- Intangible		3.48	5.03
- Capital work-in-progress		76.45	59.67
Non current investments	10	6.00	6.00
Long term loans & advances	11	50.32	140.30
Deferred tax assets (Net)	12	265.36	311.85
<u>Other Non-current Assets</u>			
Term loan by C&F division	13	25.24	38.08
<u>Current Assets</u>			
Inventories	14	8,623.65	8,836.26
Trade receivables	15	959.01	930.97
Cash & cash equivalents	16	16,688.58	14,271.58
Short term loans & advances	17	14,590.11	13,488.51
Other current assets	18	6.04	4.48
TOTAL		43,418.93	40,018.23

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 27

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ₹ in lakhs.

For M/s Roy Ghosh & Associates
Chartered Accountants
FRN - 320094E

Sd/-
(Manojit Ghosh)
Partner
Membership No. 055022
Place: Kolkata
Date: 31.08.2023
UDIN : 23055022BGYKJB6128

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer)

Sd/-
C. Arvind
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Nandini Paliwal
(Managing Director)
DIN : 09779872

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

(A Government Undertaking)

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2023

(₹ In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Revenue:			
Revenue from operations	19	46,553.99	34,312.64
Other income	20	1,035.98	1,112.80
Total Revenue		47,589.97	35,425.44
Expenses:			
Cost of materials consumed	21	996.51	884.77
Purchases of Stock-in-Trade	22	37,115.97	28,189.48
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	23	227.74	(1,014.62)
Employee benefit expenses	24	2,279.46	2,296.52
Depreciation and amortization Exp.	9	154.64	202.53
Operation and other expenses	25	2,318.78	1,595.72
Total Expenses		43,093.11	32,154.40
Profit Before exceptional and extraordinary items and tax		4,496.86	3,271.04
Exceptional items - Provision written back		154.38	1.61
Profit Before extraordinary items and tax		4,651.24	3,272.65
Less: Provision for Current Tax		1,117.95	884.06
Less: Provision for Deferred Tax made		46.50	-
Add: Provision for Deferred Tax written back / Made		-	4.55
Balance available for appropriation		3,486.79	2,393.14
Earning per equity share:- Basic & diluted	26	317.85	218.15

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 27

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ₹ in lakhs.

For M/s Roy Ghosh & Associates
Chartered Accountants
FRN - 320094E

Sd/-
(Manojit Ghosh)
Partner
Membership No. 055022
Place: Kolkata
Date: 31.08.2023
UDIN : 23055022BGYKJB6128

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer)

Sd/-
C. Arvind
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Nandini Paliwal
(Managing Director)
DIN : 09779872

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government Undertaking)

CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2023

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2023 (₹)	For the year ended 31.03.2022 (₹)
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
<i>Net profit before tax and extraordinary items</i>	4,496.86	3,271.04
Adjustments for :		
Depreciation	154.64	202.53
Interest on Fixed Deposit	(619.16)	(511.78)
Provision for Bad & Doubtful Debt etc.	93.93	64.79
Provision written back	154.38	1.61
Lease Rent Income	(334.81)	(412.88)
Operating profit before working capital changes	3,945.81	2,615.31
Adjustment for :		
Decrease /(Increase) in Inventories	212.61	(1,017.50)
Decrease /(Increase) in Trade Receivables	(121.97)	139.42
Decrease /(Increase) in Accrued Interest	14.86	(48.10)
Decrease /(Increase) in Current Loans & Advances	(1,101.60)	(1,272.83)
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	315.96	(25.65)
Increase/(Decrease) in Trade Payables	(593.97)	133.53
Decrease/(Increase) in other Current Assets	(16.42)	97.99
Increase/(Decrease) in Short Term Provisions	302.33	195.15
Decrease/(Increase) in Term Loan from C&F Division	12.84	7.10
Payment of Tax		
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES - (A)	2,970.47	824.43
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Lease Rent Income	334.81	412.88
Increase/(Decrease) in Long Term Provision	(182.32)	109.45
Decrease/(Increase) in Long Term Loans & Advances	89.98	117.17
Addition to Fixed Assets (net)	(354.89)	(292.76)
Change in Capital Work-in-Progress	(16.79)	-
Interest on Fixed Deposit	619.16	511.78
Sale of Fixed Assets after adjustment of Profit / Loss	2.68	2.39
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES - (B)	492.63	860.90
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proposed Dividend	(1,046.04)	(715.21)
Increase/(Decrease) in Other Non-current Liabilities	(1,046.04)	(715.21)

(₹ In Lakhs)

Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash	2,417.06	970.12
Equivalents (A+B+C) Cash and Cash Equivalents at	14,271.58	13,301.44
the beginning of the year	16,688.58	14,271.57
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	2,417.06	970.12

Notes to the Cash Flow Statements for the period ended 31.03.2023

1. The above Cash Flow statement has been prepared under the indirect method set out in AS-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Figures in brackets indicate cash outgo.
3. Previous period figures have been regrouped and recast wherever necessary to conform to the current period classification.
4. Cash and Cash Equivalents comprises of :-

	Amount (₹)	Amount (₹)
Cash and cash equivalents	2,336.06	2,750.16
Other Bank balances	14,160.04	10,469.66
Balances with Non-Scheduled Banks	136.46	49.46
Cash in hand	56.02	32.16
TOTAL	16,688.58	13,301.44

5. Short Term deposit with Indian Bank, Port Blair Branch include an amount of ₹27.31 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY ₹26.07 Lakhs)

This is the cash flow statement referred in our report of even date.

For M/s Roy Ghosh & Associates
Chartered Accountants
FRN - 320094E

Sd/-
(Manojit Ghosh)
Partner
Membership No. 055022
Place: Kolkata
Date: 31.08.2023
UDIN : 23055022BGYKJB6128

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer)

Sd/-
C. Arvind
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Nandini Paliwal
(Managing Director)
DIN : 09779872

NOTE 1: Summary of significant accounting policies and explanatory information

1. Background and nature of operations:

Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd. ("the Company") is engaged in the business of trading, tourism, industrial financing and production of milk and milk products etc.

2. Basis of Accounting:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India ('Indian GAAP') to comply in all material respects with the mandatory Accounting Standards ("AS") specified under Sec 133 of the Companies Act 2013 ("the Act"), read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (as amended) and the relevant provisions of the Act and pronouncements of the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The financial statements have been prepared on accrual basis. The accounting policies have been consistently applied by the Company and are consistent with those used in the previous year.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III of the Act. Based on the nature of work, the Company has ascertained its operating cycle as up to twelve months for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

3. Use of Estimates:

The preparation of accounts requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and disclosure of contingent liabilities at the date of financial statement, the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current event and actions, actual results could differ from those estimates. Difference between the actual results and estimates are recognized prospectively in the period in which the results are known/ materialized.

4. Fixed Assets:

All fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss if any. The cost of an asset comprises its purchase price plus any directly attributable cost of bringing the asset to the present location and working condition for its intended use. Subsequent expenditures, if any, related to an item of fixed assets are added to its book value only if they increase the future benefits from existing asset beyond its previously assessed standard of performance.

5. Intangible Assets:

Intangible Assets comprises Computer Software which are stated at cost and are amortized over a period of 3 years.

6. Depreciation / Amortization:

In respect of fixed assets (other than freehold land and capital work-in-progress) acquired during the year, depreciation / amortization is charged on straight line basis so as to write off the cost of the assets over the useful life as per schedule II of the Companies Act, 2013. Written down value of the assets acquired prior to April 1, 2014 are being depreciated over their remaining useful life as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013.

In respect of addition to fixed assets, depreciation is provided from the date of addition on pro-rata basis. In respect of fixed assets sold or discarded, depreciation is provided up to the date prior to the date of sale/discard on pro-rata basis. Depreciation on assets whose actual cost doesn't exceeds Rs 5000/- has been provided 100%

7. Impairment of Assets:

In accordance with Accounting Standard 28 the carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal and external factor, an impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price or value in use. In assessing value the estimated future cash flows are discounted to its present value at reasonable discounted rate. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the levels, for identification of cash generating units. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists then the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciated historical cost.

8. Expenditure during Construction:

In the case of new industrial units and substantial expansion of existing units, all pre- operating expenditure incurred up to the date of installation is capitalized and added pro- rata to the cost of fixed assets.

9. Investments :

Long term Investments are stated at cost. Provision for diminution in the value of each long term investment is made to recognize a decline, other than that of temporary nature and shown separately.

10. Inventories :

Inventories are valued at lower of historical cost and estimated net realizable value. Historical cost is arrived at by adding purchase cost and any other cost incurred to bring the inventory to its respective location and condition.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

Cost of inventories is computed on a FIFO basis.

11. Revenue Recognition:

Sale of Goods

Sales are recognized when significant risk and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer which coincides with the delivery. Sales are generally recorded net of trade discounts excepting the sales in Megapode Resort and Milk & Milk products, which are booked in gross value.

Revenue from Services

Revenue from services rendered is recognized as and when the service is performed and it is reasonable to expect ultimate collection.

Interest & Commission income is recognized on accrual basis.

Dividend from investments is recognized when the right to receive the payment is established.

Selling prices are determined as per formula approved by A&N Administration in respect of Steel & IMFL products. The petroleum products are sold at the selling price fixed by IOC Ltd. In case of Milk, other goods and services the selling prices are determined by the company.

12. Foreign Currency Transactions:

i. Initial Recognition

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency prevailing at the date of the transaction or that approximates the actual rate at the date of the transaction.

ii. Conversion

Exchange Differences

Foreign currency assets and liabilities as on the Balance Sheet date are revalued in the accounts on the basis of exchange rates prevailing at the close of the period and exchange loss/gain arising there from, is adjusted to the cost of fixed assets or charged to the Profit & Loss Account, as the case may be.

13. Employee Benefits:

- a) Provident Fund is a defined contribution scheme and contributions during the year are charged to Statement of Profit & Loss.
- b) Deposit Linked Insurance is recognized as contributed to Regional PF Office.
- c) Provision for Leave Encashment is made for value of unutilized leave due to employees at the end of the year on actuarial basis.
- d) Gratuity liability is defined benefit obligations and provided on the basis of actuarial valuation made till Financial year 2015-16 by way of contribution to the Gratuity Fund to a Group Gratuity policy with Life Insurance Corporation of India. From 2016-17, the same has been made on the basis of actual payment made to LIC.
- e) Provision for performance related incentives are made as per the "Performance Related Incentive Scheme" of the Company.
- f) Provision for LTC/AFSP has been provided for all the employees based on their dependent family members, entitlement for their particular grade pay, unutilized LTC benefit due to employees at the end of the year, on actuarial basis.

14. Government Grants and Subsidies:

Grants and subsidies from the government are recognized when there is reasonable assurance that the grant/subsidy will be received and all attaching conditions will be complied with.

When the grant or subsidy relates to an expense item, these are deducted from related expense, which is intended to compensate. Where the grants or subsidy relates to an asset, its value is deducted in arriving at the carrying amount of the related asset.

15. Taxation:

The tax expense comprises of current taxes and deferred taxes. Current tax is the amount of income tax determined to be payable in respect of taxable income for a period as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"). The Company accounts for tax credit in respect of Minimum Alternate Tax ("MAT") in situations where the MAT payable is higher than tax payable under normal provisions of the IT Act. The credit so availed is adjusted in future years when the tax under provisions is higher than MAT payable to the extent of the difference.

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, in respect of deferred tax asset(s) on timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period and is measured using tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax asset(s) are reviewed at each Balance Sheet date to re-assess realization, considering the reasonable virtual certainty of each such realization.

16. Sales Tax:

Sales Tax paid is charged to Statement of Profit and Loss.

17. Prior-period Adjustments:

Any error or omission in disclosing income & expenditure pertaining to prior period are ratified/adjusted in the current year and the net effect has been disclosed separately in the Statement of Profit & Loss.

18. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which reliable estimate can be made. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. A disclosure for a contingent

liability is made when there is a possible obligation or a present obligation but probably will not require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood on outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs. Provision for Bad and doubtful debts have been made in accounts for receivable laying more than three years.

19. Dividend and Tax Thereon:

Annual dividend proposed by directors is provided in accounts, subject to the approval of members at the Annual General Meeting. Provision for Dividend Distribution Tax is made separately.

20. Earnings per Share:

Basic earning per share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

21. Cash Flow Statement:

Cash flows are reported using indirect method, whereby profit before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated. Cash and cash equivalents in the balance sheet comprise cash at bank, cash / cheque(s) in hand and short-term deposit to be matured in less than 12 months period.

22. Segment Reporting Policies as per AS - 17

(i) Identification of Segments:

Primary Segment

Business Segment:

The company's operating businesses are organized and managed separately according to the nature of products, with each segment representing a strategic business unit that offers different products and services in different markets.

Secondary segment

Geographical segment:

The company does not have Geographical segment.

(ii) Allocation of common Costs:

Common allocable costs are allocated to each segment according to the relative contribution of each segment to the total sales of the Company.

(iii) Unallocated Items:

The corporate and other segment include general corporate income and expense items, which are not allocated to any business segment.

23. Previous Year Figures:

Figures of the previous year has been re-grouped and re-arranged wherever necessary to make them comparable with current year figures.

24. Rounding Off:

Figures in Rupees given in the financial statements are rounded off to nearest rupees thousand. Quantitative figures are rounded to the nearest unit wherever required.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government Undertaking)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2023
(₹ In Lakhs)

Particulars		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE : 2 Share Capital			
<u>Authorised</u>			
50,00,000 Equity shares of ₹100/- each		5,000.00	5,000.00
<u>Issued, Subscribed and Paid up</u>			
10,97,006 (Previous year 10,97,006)			
Equity Shares of ₹100 each, (of which			
17,546 shares issued other than cash)		1,097.01	1,097.01
TOTAL		1,097.01	1,097.01
Note 2(a) Reconciliation of the number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:			
Balance at the commencement of the year		1,097.01	1,097.01
Shares issued during the year		-	-
Shares brought back during the year		-	-
Balance at the end of the year		1,097.01	1,097.01
Note 2(b) Details of Shareholders holding shares more than 5% share in the company.			
Sl No.	Name of the Shareholder	% of holding	No of equity shares
1	The President of India	85	933,348
2	The Lt. Governor, A&N Islands	15	163,656
Details of Shareholders for previous year remain same.			
Note 2(c) Board vide its agenda No.23.09 held on 22.01.1993 issued 17,546 equity shares of ₹100/- each, in favour of Lt. Governor A&N Islands, in lieu of milk powder amounting to ₹17,54,664 received in kind from Animal Husbandry Department of A&N Administration.			
NOTE : 3 Reserves & Surplus			
<u>a) General reserves :</u>			
At the commencement of the year		19,816.75	18,138.81
Add: Transfer from surplus		2,440.76	1,677.94
At the end of the year		22,257.51	19,816.75
<u>b) Surplus in statement of profit and loss:</u>			
At the commencement of the year		0.00	0.01
Add: Profit for the year		3,486.79	2,393.14
<u>Less: Appropriations:</u>			
Proposed Dividend (@ 30% of Distributable profit) ref. to Note 27(iv)		1,046.04	715.21
Transfer to general reserve		2,440.76	1,677.94
At the end of the year		(0.01)	0.01
		22,257.50	19,816.76

(₹ In Lakhs)

			As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE : 4	Other long term liabilities			
<u>Credit guarantee fund:</u>	4(a)			
Opening balance		26.07		
Add: Income generated as per last account		-		
Addition during the year		1.24		
Total fund		27.31		
Less: Utilised during the year		-	27.31	26.07
<u>Grant-in-Aid from A & N Admn.</u>	4(b)	173.63		
Add: Received during the year		-		
Less: Utilised during the year		23.24	150.39	173.63
TOTAL			177.70	199.70

Note 4(a): Credit Guarantee Fund: The Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A&N Administration, for providing guarantee against industrial loans in lieu of collateral security, opening balance of which is ₹26.07 lakh. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund and any amount utilized as per the terms of the scheme has been deducted from such fund. The liability guaranteed against such fund as on 31/03/2023 is 27.31 lakh.

Note 4(b): The unadjusted balance due to pending of post facto approval of competent authority (₹135.63 Lakhs), the Grant in aid received (₹190 Lakhs) in FY 2016-17 out of which Rs. 175.24 lakh has been expended till 31.03.2023:-

Year	Particulars	Purpose	Amount (in lakh)
1994-95	Order no 467 dt 21.03.1995 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	₹ 65.63
1995-96	Order no 837 dt 29.03.1996 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	₹ 70.00
2016-17	Order No. Nil dated Nil received from Directorate of AH	For expansion of milk collection	₹14.76
Total Grant-in-Aid from A & N Admn.			₹150.39

NOTE : 5	Long term provisions		
Provision for leave encashment		832.04	1,012.02
Provision for Gratuity		83.15	83.88
Provision for LTC/AFSP		57.10	58.67
Provision against standard assets		0.05	0.09
TOTAL		972.34	1,154.66
NOTE : 6	Trade payable		
Trade payable			
i) Outstanding dues to Micro, Small and Medium enterprises (6a)		-	-
ii) Other trade payables		3,070.68	3,664.66
TOTAL		3,070.68	3,664.66

Note 6(a): The Company identify the Micro, Small and Medium enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. On the basis of information available with the company and confirmation received, as at the year end an amount of ₹ Nil. (previous year : ₹ Nil/-) is due with such enterprises.

(₹ In Lakhs)

			As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE : 7				
Other current liabilities				
Received in advance				
<u>Other payables</u>				
Deposit payable to :				
<u>Others</u>		121.35	121.35	121.35
<u>Advance from customers</u>			9.11	43.48
Liquor license fees payable to DC		19.71		
Outstanding liabilities for expenses		365.50		
EMD/Security deposits from suppliers		74.58		
Interest on buy back of AFL shares		5.39		
Taxes payable		45.30		
Tiny Loan Scheme		0.04		
Others		49.90	560.42	314.69
Deposit payable to Director of Fisheries	7 (a)		10.00	10.00
Advance from sundry debtors			1,352.34	1,225.73
TOTAL			2,053.22	1,715.25
Note 7(a) : The Company has received fund from Director of Fisheries during the period 1989-90 to 1996-97 of which ₹10 lakh remain un-utilized. The above amount is presently lying in the current account maintained with SBI- Port Blair.				
NOTES : 8				
Short term provisions				
Provision for performance related scheme			223.82	222.73
Provision for CSR Expenses			-	32.00
Provision for leave encashment			34.23	30.29
Provision for LTC/AFSP	8(a)		20.09	20.43
<u>Others</u>				
Provision for Income tax :				
- for AY 2008-09		341.61		
- for AY 2009-10		359.40		
- for AY 2010-11		315.95		
- for AY 2011-12		376.38		
- for AY 2013-14		563.59		
- for AY 2014-15		726.28		
- for AY 2015-16		705.60		
- for AY 2016-17		1140.51		
- for AY 2017-18		1477.61		
- for AY 2018-19		921.21		
- for AY 2019-20		1584.30		
- for AY 2020-21		1210.10		
- for AY 2021-22		741.75		
- for AY 2022-23		884.06		
- for AY 2022-24		1,117.95	12,466.30	11,348.34
Proposed dividend (30% of distributable profit)	28(iv)		1,046.04	715.21
Provision for Loss of Stock			-	1.20
TOTAL			13,790.48	12,370.20
Note 8 (a) : LTC/AFSP provision has been made as per actuarial valuation as specified in AS-15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.				
Note 8 (b) : TDS as per books of accounts is considered for calculation of Income Tax Provision i.e. 92.83 lakh.				

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

NOTE 9

(` in Lakh)

Sl No.	Particulars of the Assets	Gross Block			Depreciation			Net Block	
		Original Cost as on 1.4.2022	Addition during the year	Adjustment during the year	as at 31.03.2023	Accumulated Depreciation as on 1.4.2022	Provided	Adjusted/ Transfer	Total as at 31.03.2023
A. TANGIBLE ASSETS		1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAND	69.48		2.00	67.48	-			-
2	BUILDING	2,075.15	285.19		2,360.34	645.07	77.56		722.63
3	POL TANK AT KATCHAL, KAMORTA	0.00			0.00	-			-
4	PLANT & MACHINERY	670.53	6.87		677.39	410.97	35.53		446.50
5	FURNITURE & FIXTURE	226.39	8.74		235.13	174.67	12.55		187.23
6	VEHICLE	807.64	26.52	0.68	833.48	732.04	8.85		740.89
7	OFFICE EQUIPMENT	20.13	-		20.13	16.06	0.48		16.54
8	ELECTRICAL INSTALLATION AND E	128.91	5.13	-	134.03	95.83	5.12		100.96
9	COMPUTER	175.53	21.08		196.61	153.61	13.24		166.86
10	CROCKERY	19.92			19.92	19.92			19.92
11	LINEN	21.25			21.25	21.25			21.25
	TOTAL TANGIBLE ASSETS	4,214.93	353.53	2.68	4,565.76	2,269.42	153.33	-	2,422.78
B. INTANGIBLE ASSETS									
	SOFTWARE	40.71	1.36	-	42.07	35.69	2.91		38.59
					-				-
C. CAPITAL-WORK IN PROGRESS		59.67	16.79	-	76.45		-		76.45
	TOTAL ASSETS (A+B+C)	4,315.31	371.67	2.68	4,684.29	2,305.11	156.24	-	2,461.37
	PREVIOUS YEAR	4,029.72	292.76	2.39	4,320.09	2,105.79	204.12	-	2,309.92
									2,010.17
									1,902.40

Note 9(i) : The Company took over the Milk Plant from Animal Husbandry Department of A&N Administration along with buildings, plant & machineries and other assets of milk production unit, at free of cost in the year 1991-92. These fixed assets are not included in the block of fixed assets shown in accounts. Further assets purchased out of Grant in aid during the year for "setting up of milk supply chain from Diglipur to Port Blair" via order no. 2135 dt. 29/10/2012 of Directorate of animal husbandry, A&N Administration is shown at nominal value of ` 1 each as per AS-12 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

Note 9(ii) : The corporation has constructed petrol pump at Katchal, Kamorta and Teressa for an amount of ` 552.10 lakh . The cost of such asset is recoverable from Indian Oil Corporation Ltd. under factoring of capital cost over a period of 10 years starting from 01.04.2014. Hence the entire assets has been shown at a nominal value of ` 1 each and remaining amount is shown as receivable from IOC Ltd under the head "Long Term loans & advances" . 21.90 lakh (ref. to Note 11) and "Current Loans & Advances" , ` 82.98 lakh/- (ref. to Note 17). No depreciation has been charged on the said assets.

Note 9(iii) : Value of land comprises three lands amounting ` 9.16 lakh, which is leased-out for 60yrs period to develop tourism projects. Detail of such lease is given in note 17(a).

Note 9(iv) : Physical verification of assets is being carried out by the officials of the company twice a year.

Note 9(v) : The corporation has 54.03 ha. of land, out of which 5.93 ha. of land shown at Nil value.

Note 9(vi) : The company has taken over some Assets on lease basis from the Andaman & Nicobar Administration with following terms:

a) Hornbill Nest : lease rent ` 0.20 lakh p.m alongwith profit sharing 20% after tax. The lease is valid upto 07/09/2029

b) Water sport Equipments : Profit sharing 20% after tax. The lease is valid upto 31/05/2031

c) Dolphin Resorts : lease rent of ` 2.25 lakh p.m alongwith profit sharing 30% after tax. The lease is valid upto 2024.

Lease rent paid in advance and share of profit are paid on completion of accounts for the year.

Note 9(vii) : Capital Work-in progress Rs. 74.35 lakhs for conceptual plan made for expansion of Megapode which subsequently used by transaction advisor appointed for leasing of Megapode.

		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE 10 : Non current investment (valued at cost unless stated otherwise)			
Investments in equity instrument (unquoted) fully paid-up			
(i) In Andaman Fisheries Ltd. (a subsidiary company) 9,67,000 Equity Shares @ `10 each, valued at cost. (33000 equity shares@ `10/ each pending arbitration)	69.65		
Less : Provision for loss on investment in AFL	69.65	0	0
(ii) In Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. 4,00,000 equity shares of `10 each fully paid at cost	40.00		
Less : Provision for loss on Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.	40.00	0	0
(iii) WEBCON Consulting (India) Ltd. 30,000 Equity Share @ 10 each along with premium of `10 per share, carried at cost.		6.00	6.00
TOTAL		6.00	6.00
<p>Note 10 (i) : The Company holds 10,00,000 equity shares of M/s Andaman Fisheries Ltd @ `10/- each fully paid-up, out of which 33,000 equity shares of ₹10/- each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer. MPEDA has claimed interest @ 15% on pending transfer under Equity Participation Scheme, which is disputed by the company. However the company, in it's 13th Board meeting agreed to pay simple interest applicable for term loan of any financial institution, after deducting any dividend received by MPEDA from such investment. The amount of such interest is ₹5.39 lakh (Gross amount ₹8.69 lakh) as on 10th June'01 for which a provision has been made in the earlier period. Further the M/s Andaman Fisheries Ltd. is a loss making company and has negative Net Worth, hence 100% provision has been made and disclosed in Note 5.</p> <p>Note 10(ii) : The Company has invested ₹40 lakh in the Equity Shares (unquoted) of Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. by subscribing to 4,00,000 numbers of fully paid Equity Shares of ₹10/- each during 1992. The said company has not been able to commence its production since it's formation in 1992 and is highly indebted to Financial Institutions, no income has been received so far on such investments.</p>			
NOTE 11: Long term loans & advances			
<u>Secured, considered good</u>			
Computer advance to employees		3.66	6.50
House building advance to employees		0.54	2.57
<u>Unsecured, considered good</u>			
Security deposit		24.22	46.30
Other advance to Govt agency			
Indian Oil Corporation (capital factoring)	11 (a)	21.90	84.93
<u>Unsecured, considered doubtful</u>			
Staff Advance	1.31		
Less: Provision	1.31	0	0
Deposit receivable (Unsecured, considered doubtful)	5.88		
Less: Provision	5.88	0	0
TOTAL		50.32	140.30
Note 11(a) : Refer Note 9(ii) & 17 (i)			
NOTE 12: Deferred tax assets (Net)			
a. Deferred tax liabilities			
Depreciation and amortisation		11.24	10.55
Provision for doubtful debts and advances		451.66	480.48
Total		462.90	491.03
b. Deferred tax assets			
Depreciation and amortisation		146.10	135.06
Provision for doubtful debts and advances		51.44	44.12
Total		197.54	179.18
Net deferred tax liabilities/(Assets)		265.36	311.85

Deferred tax has been calculated as per the Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(₹ In Lakhs)

NOTE 13: Term loan by C&F division (secured)		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
(a) Term loan (considered good)	18.64		
Term loan (considered doubtful)	12.75		
Less: Provision for sub standard assets	6.15	25.24	38.08
(b) Loan to related party			
Loan to AFL (considered doubtful)	132.00		
Less: Provision made	132.00	-	-
TOTAL		25.24	38.08
<p>Note 13(a) The Companies "Credit & Finance" division has provided Term Loan from Corporations' available surplus fund called "General Scheme" and it has carried forward gross opening balance ₹175.26 lakh. Total sum of ₹4.60 lakh (Previous year ₹10.72) was sanctioned towards loan under above scheme during the year. However the company recovered ₹20.03 lakh, (Previous year ₹24.47 lakh) including interest. A provision was written back on standard assets during the year amounting to ₹0.03759 Lakh (Rupees Three thousand seven hundred fifty nine only) (Previous year Provision written back ₹0.00083 Lakh) provision made on sub-standard assets during the year is `Lakh, (previous year provision written back was `1.61 Lakh). During the year 2022-23 division stop Note</p> <p>13(b) : Term loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd, a subsidiary of the Corporation, in the earlier years, amounting to ₹132 Lakh /-, has been shown as loan to "Related Party" in books of account. The company treated the said term loan up to 2002-03, as bad debt and made provision for entire amount. Since then, no interest is being calculated and provided as per RBI circular dated 2 July 2012 since AFL become NPA. However subsidiary company M/s AFL has charges interest of ₹7.25 crore (Previous year ₹7.19 crore) in their books of accounts.</p>			
NOTE 14 : Inventories			
<u>Raw material</u>			
Raw milk	105.81		
Stock of provisions at hotel	217.80	323.61	303.02
<u>Finished goods</u>			
Constituted milk	16.12		
Paneer	0.03		
Curd	0.51		
Cow Milk	5.69	22.35	6.30
Stock in trade			
Petroleum products	515.46		
Add: Goods-in-transit	4.04		
IMFL products	6,473.32		
Add: Goods-in-transit	1,225.45		
Souvenir, maps & biometric device	0.42	8,218.69	8,462.48
Stores & spares - Milk plant		59.00	64.46
TOTAL		8,623.65	8,836.26
Note: Inventories valued at lower of historical cost or estimated net realizable value.			
NOTE 15 : Trade receivables (unsecured)			
Considered good			
(i) Over six months from due date of payment	606.53		
(ii) Below six months from due date of payment	352.48	959.01	930.97
Doubtful			
(i) Over six months from due date of payment	241.99		
(ii) Below six months from due date of payment	-		
Less: Provision for Bad and Doubtful debts	241.99	-	-
TOTAL		959.01	930.97

(₹ In Lakhs)

	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE 16 : Cash and cash equivalents		
<u>Balances with scheduled banks</u>		
(a) Current accounts		
Indian Bank, Port Blair	189.06	210.42
Indian Bank, Chennai	4.27	2.14
State Bank of India, Port Blair	235.62	533.32
HDFC Bank Port Blair	95.41	224.09
Canara Bank, Secretariat	63.35	66.58
Canara Bank, Shaheed Dweep POL	77.14	88.74
Canara Bank, Campbell Bay	271.29	33.49
State Bank of India, Hut bay	0.02	40.36
State Bank of India, Rangat	12.83	0.84
State Bank of India, Mayabunder	0.11	0.10
State Bank of India, Diglipur	174.97	120.43
State Bank of India, Swaraj Dweep	101.44	10.95
State Bank of India, RK Pur, L/Andaman	0.05	0.04
State Bank of India, Kamorta	18.19	1.55
State Bank of India (IMFL J/Ghat)	1.28	8.47
State Bank of India, IMFL MOHANPURA	0.99	4.54
State Bank of India, (Haddo)	2.64	16.24
State Bank of India, (Delanipur)	2.18	4.27
State Bank of India, (Baratang)	27.48	
State Bank of India, (Kadamtala)	21.38	
State Bank of India, (IMFL SELF SERVICE)	6.93	50.54
ICICI Bank	32.82	455.81
Axis Bank	996.61	851.11
	2,336.06	2,724.03
<u>Balances with non-scheduled banks</u>		
Current accounts		
A&N State Co-Operative Bank Ltd. Andaman	136.46	81.94
	136.46	81.94
<u>Cheque in hand</u>		
<u>Cash in hand</u>		
At Head office	0.29	0.54
Postal stamps in hand	0.01	0.02
Cash at shops	55.72	27.32
	56.02	27.88
	2,528.54	2,833.85

(₹ In Lakhs)

(b) Other Bank balances		
with upto 12 months maturity		
Punjab National Bank	700.00	
Canara Bank	1,500.00	4,206.00
Indian Bank, Port Blair	85.46	419.93
Union Bank of India	816.01	1,304.00
Bank of Baroda	900.00	-
Central Bank of India	1,700.00	-
Indian Overseas Bank	-	3,346.00
State Bank of India, Port Blair	4,081.26	-
UCO Bank	800.00	
Bank of India	417.77	398.00
ICICI Bank	1,832.30	241.95
HDFC Bank	120.25	
Axis Bank	1,000.00	1,300.00
Add: Interest accrue thereon	206.99	221.85
	14,160.04	11,437.72
Total cash and cash equivalents	16,688.58	14,271.58
Note 16(a) Short Term deposit with Indian Bank, Port Blair Branch include an amount of ₹ 27.31 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY ₹26.07 Lakhs)		
	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE 17: Short term loans & advances		
House building advance to employees	1.67	1.31
Computer advance to employees	2.65	0.76
Advance for civil work	110.78	380.02
Claim receivable from IOC	37.18	22.61
Other advances to employees	1.96	15.61
Niti Aayog Project	380.24	267.08
Indian Oil Corporation (capital factoring) 17 (i)	82.98	82.98
Pre-paid expenses	0.00	1.00
Input IGST	0.84	57.25
Input CGST/UTGST	46.30	65.63
Advance payment of Income Tax (including TDS)		
- for AY 2008-09	341.61	
- for AY 2009-10	385.73	
- for AY 2010-11	414.26	
- for AY 2011-12	470.82	
- for AY 2012-13	10.03	
- for AY 2013-14	591.39	
- for AY 2014-15	777.53	
- for AY 2015-16	727.38	
- for AY 2016-17	954.72	
- for AY 2017-18	1,506.86	
- for AY 2018-19	1,114.71	
- for AY 2019-20	1,506.58	
- for AY 2020-21	1,289.54	
- for AY 2021-22	747.89	
- for AY 2022-23	984.57	
- for AY 2023-24	1,294.50	
	13,118.13	11,793.17

(₹ In Lakhs)

Advance payment of dividend tax	83.98		
Add: During the year	0.00	83.98	83.98
Deposit /advances with Govt. and others		0.01	1.65
Advance to suppliers and contractors		723.30	713.38
Other Advances		0.13	2.08
Unsecured, considered doubtful (Unsecured, considered good unless otherwise stated.)			
Cash shortage to be recovered 10.18			
Less: Provision	10.18	0.00	0.00
Other Advances	4.34		
Less: Provision for dad debt	4.34	0.00	0.00
Deposit /advances with Govt. and others	4.19		
Less: Provision	4.19	0.00	0.00
Advance to suppliers and contractors	5.19		
Less: Provision for loss of advances	5.19	0.00	0.00
Lease Rent receivable [note 17a]	107.99	0.00	0.00
Less: Provision for lease rent	107.99	0.00	0.00
Provident fund deposit [note 17b]	43.90		
Less: Provision	43.90	0.00	0.00
Loans and advances of related parties [note 17c]			
Unsecured loan to AFL	33.00		
Add: Interest accrued up to 2002-03	8.23		
Less: Provision	41.23	0.00	0.00
Receivable from AFL	15.74		
Less: Provision	15.74	0.00	0.00
Interest free unsecured loan to AFL	165.00		
Less Recovered during the year	0.00		
Less: Provision	165.00	0.00	0.00
TOTAL		14,590.11	13,488.51

Note 17 (a) : The Company had leased out 03 (three) commercial land for tourism projects. The land at Swaraj Dweep has been leased out to The Indian Hotels Comp Ltd, for 60yrs from 7th Dec'09 at an annual lease rent of ₹2.25 Cr p.a. The other two lands at Long Island and Shaheed Dweep were leased out to M/s. Long Island Nature Hotel & Resort (P) Ltd and M/s. Soma Andaman Resort P Ltd., but were terminated due to default.

Note 17 (b) Under an order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Port Blair, under section 7A of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act, 1952, a sum of ₹21.30 lakh for the period from 2001-2004 was attached and taken away by the said Commissioner. The Company has moved to the Hon'ble High Court, Port Blair for recovery of such amount and Hon'ble High Court in its order dated 4th Feb 2013, has directed EPF authority to re-assess the amount. In another order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Port Blair, under section 7Q & 14B of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act, 1952, a sum of ₹22.60 lakh for the period from 2005-2009 was attached and taken away by the said Commissioner. The company has filed a petition with EPF Appellate tribunal, New Delhi.

Note 17(c): Interest free unsecured loan sanctioned in earlier period to Andaman Fisheries Ltd, which is a 100% subsidiary of the Corporation, opening balance of such loan was ₹165 lakh. 100% provision has been made on such amount.

(₹ In Lakhs)

NOTE 18: Other Current Assets			
(i) Advance to supplier (unsecured, considered good)		6.04	4.48
<u>Unsecured, considered doubtful</u>			
(i) Due from Income Tax authority AY 07-08	1.54		
Less: Provision	1.54	0.00	0.00
TOTAL		6.04	4.48

Note 19 : Revenue from operations				
Particulars	Gross Sale			
	As at 31.03.2023 (₹)	%	As at 31.03.2022 (₹)	%
<u>Sale of Products (A)</u>				
<u>i) Manufactured goods</u>				
Dairy milk	1,094.33		1,005.32	
Curd	104.36		98.08	
Other milk products	53.06		9.93	
	1,251.75	0.03	1,113.33	0.03
<u>ii) Traded goods</u>				
IMFL	26,732.23		19,146.07	
POL	16,757.11		12,377.77	
Iron and Steel	-		314.31	
	43,489.34		31,838.16	
Sub-total (A)	44,741.09	0.93	32,951.49	0.93
<u>Sale of Services (B)</u>				
Tourism	1,426.96		881.04	
<u>Others</u>				
Commission of air ticketing	-		0.51	
Interest on term loan	3.51		4.64	
Lease rent of Land	334.81		359.96	
Lease rent for Water Sports	-		52.92	
Ice Plant/ Cold storage	17.41		22.68	
Hire charges/car rental	19.45		27.47	
Other Income	10.76		11.94	
Sub-total (B)	1,812.90	0.04	1,361.17	0.04
Grand Total D = (A+B)	46,553.99	1.00	34,312.64	1.00

Note (a) : Details required to be given under broad heads for purchase of traded goods and sales /services should be determined based on the nature of each business and other facts and circumstances. Normally 10% of total value of purchase of traded goods and sales/service are respectively, considered as an acceptable threshold for determination of broad heads. Any other threshold can also be considered taking into account the concept of materiality and presentation of true and fair view of the financial statements.

Note (b) : The sale of Ice Plant/ Cold storage include sale of Ice block only.

Note (c) : The corporation discontinue the operation of Iron and steel division during the year 2022-23

(₹ In Lakhs)

		As at 31.03.2022 (₹)	As at 31.03.2021 (₹)
Note 20 : Other income			
<i>i) Interest income:</i>			
Interest on fixed deposits		619.16	511.78
Interest on capital investment (IOC)		17.22	12.07
Interest on loan to employees		0.61	0.62
<i>ii) Lease income:</i>			
Interest and penalty on lease rent		-	292.26
<i>iii) Others:</i>			
Administrative Fees	[Note b)	42.15	-
Profit on sales of Assets		2.32	2.09
Discount received		0.26	0.44
Shortage/other recovery :			
IMFL, Iron Steel & POL			
Liquidity Damage	308.59		
Transportation charges	22.72		
Staff meal	12.45	352.88	290.49
Cancellation charges	9.12	1.38	3.05
TOTAL		1,035.98	1,112.80
<p>Note (a) : The corporation has received arbitration award in favor of the corporation in the matter of Ocean Blue Boating (Pvt.) Ltd. On 21 June 2018. As per the award the corporation is yet to receive ₹51.33 lakh towards lease rental including penal interest. But Ocean Blue Boating (Pvt.) Ltd. has gone to appellate authority under arbitration act which is pending till</p> <p>Note (b) : The corporation charged 20% on the actual cost incurred on major projects as administrative fee uniformly and addition cost incurred by the corporation to be reimbursed at actual.</p>			
Note 21 : Cost of materials consumed			
Raw milk & Whole Milk Powder		938.84	844.06
Provisions for Catering Division		57.67	40.71
TOTAL		996.52	884.77
Note 22 : Purchases of Stock-in-Trade			
IMFL		4,482.95	2,831.96
Add: Goods-in-transit		1,225.45	2,062.68
Petroleum products		16,139.26	11,558.07
Add: Goods-in-transit		4.04	3.55
Carriage inwards		1,093.05	539.75
License fees		312.41	150.79
Duty on import permit fees / excise duty		13,858.81	11,042.68
TOTAL		37,115.97	28,189.48
Note 23: Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade			
<i>Inventories (at close)</i>			
Finished goods	22.35		
Stock in trade	8,218.69	8,241.04	8,468.78
<i>Inventories (at commencement)</i>			
Finished goods	6.30		
Stock in trade	8,462.48	8,468.78	7,454.16
TOTAL		227.74	(1,014.62)

	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Note 24: Employee benefit expenses		
Salary	1,818.33	1,774.29
Contribution to P.F., Pension Fund & Leave Salary	155.94	169.15
Gratuity 24(a)	72.16	35.64
Performance related incentive	204.40	153.00
Training expenditure	0.07	0.03
Staff Welfare	0.89	0.98
Rent of employees accommodation	3.00	2.75
LTC provision 24(b)	24.67	15.01
Provision for leave encashment 24(c)	-	145.67
TOTAL	2,279.46	2,296.52
Note 24(a) : Gratuity Actuarial Assumptions		
Particulars	2022-23	2021-22
Mortality Rate	LIC (2006-08) ultimate	LIC (2006-08) ultimate
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age	1% to 3% depending on age
Discount Rate	7.25% p.a.	7.00% p.a.
Salary Escalation	5.75%	6%
Note 24(b) : Leave Travel Concession Liability as per AS-15 Leave Travel Concession liability		
Particulars	2022-23	2021-22
Number of employees	238	248
Actuarial Assumptions		
Rate of discount	7.20% P.A.	6.70% P.A.
Inflation Rate	6.00% P.A.	6.00% P.A.
Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Actuarial Liability	₹77.19 lakh	₹81.82 lakh
Actuarial valuation of LTC has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was ₹79.10 lakh Against the said provision amount of ₹26.58 lakh has been utilised during the year and provision made during the year is an amount of ₹24.67 Lakh and closing figure at the end of the year is ₹77.19 lakh as per valuation report.		
Note 24(c) : Leave encashment benefit		
Leave encashment liability		
Particulars	2022-23	2021-22
Number of employees	235	248
Total monthly salary	₹ 115.81 Lakh	₹110.61 Lakh
Total encashable leave	39704	49669
Normal retirement age	60 years	60 years
Actuarial Assumptions		
Discounting rate	6.9% P.A.	6.7% P.A.
Rate of increase in Salary	10.00% P.A.	10.00% P.A.
Withdrawal rate	2.00% P.A.	2.00% P.A.
Mortality	IALM 2006-08 ultimate	IALM 2006-08 ultimate
Actuarial discounted value of leave	₹866.27 lakhs	₹932.59 lakhs

Actuarial valuation done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was ₹1042.31/- lakhs . Against the said provision amount of ₹18.03 (PY 35.95) has been utilised during the year and provision written back during the year is an amount of ₹158.01/- lakhs and closing figure at the end of the year is ₹866.27/- lakhs as per valuation report.

(₹ In Lakhs)

	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Note 25 Operation and other expenses		
Note: 25(A) Operation, selling & distribution expenses		
<u>Consumption of Stores & Spares</u>	303.61	187.29
<u>Power & Fuel</u>		
Electricity	99.32	71.89
Fuel charges	144.32	99.35
<u>Rent</u>		
Office rent	1.60	1.25
Rent	198.15	155.30
<u>Repair & Maintenance</u>		
Repair & maintenance of computer	19.86	16.71
Repairs & maintenance of vehicles	13.14	6.75
Repairs & maintenance of buildings	271.67	145.30
Repairs & maintenance of furniture	0.30	1.56
Repairs & maintenance of machinery	51.67	42.23
Govt. audit expenses	0.75	0.88
Insurance	24.98	10.90
Rates & Taxes	59.63	27.02
Water charges	12.84	15.92
Stores handling expenses	11.80	6.35
Trade discount on room tariff	55.06	20.93
Sanitation	24.78	17.10
Horticulture expenses	9.50	0.09
Wharfage expenses	0.07	0.22
Vehicle hire charges tourism	20.60	32.60
Crockery's hire charges	1.63	0.37
Uniform & liveries	0.02	1.78
Outsourcing manpower	419.68	393.60
Business promotion / hospitality	1.51	0.33
Bank charges	27.48	16.51
Watch and ward	85.58	74.12
CSR expenses	77.74	46.59
Hindi week expenses	0.09	0.06
Registration / Membership fee	0.21	0.26
Miscellaneous	0.31	0.81
GST block credit	207.32	9.51
Refreshment expenditure	3.69	3.54
TOTAL	2,148.91	1,407.12

(₹ In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Note: 25(B) Administrative expenses		
Board meeting expenses	0.16	0.07
Printing & stationary	17.59	19.09
Postage & telegram	1.25	0.70
Telephone/telex/fax	24.44	23.10
Books & periodicals	0.48	2.54
Tenders publishing expenditure	9.21	1.82
Professional charges	6.50	12.19
Travelling expenses	24.61	30.85
	84.24	90.32
Note: 25(C) Other expenses		
Provision		
Provision for bad and doubtful debts	92.97	32.79
Provision for CSR Expenses	-	32.00
Contingent provision against standard assets	0.96	-
	93.93	64.79
Auditor's Remuneration (including Service Tax)		
- for Statutory audit	2.00	
- Tax audit	0.50	
- others service	0.30	
	2.80	2.80
Internal audit expenses	0.73	1.65
Total of C	97.46	69.24
Note: 25(D) Prior period Adjustment		
Vehicle Hire Charges	-	2.12
Grant in Aid	(13.98)	-
Sales	-	0.72
Freehold Land	2.00	-
Rent of Building	0.15	26.20
Total	(11.83)	29.04
Total Operation and other expenses (A+B+C+D)	2,318.78	1,595.72
Note: 26 Earning per share		
Amount available for equity shareholders (₹)	3,487	2,393
Weighted average number of equity shares	11	11
Earning per share basic and diluted (₹)	318	218
Face value per equity share (₹)	100	100

Note 27(i) Contingent Liabilities:

- a) The following cases pending with the Income Tax Department for which the company has gone for appeal/rectification.

A.Y.	Order date	IT Dept. Amount Claimed	Appeal No / Date	Amount agreed and provided	Contingent Liability provided.	Forum where dispute is pending
2013-14	13/01/2016	₹5,87,03,998/-	1008 dt 15/05/2018	₹5,61,34,246/-	₹20,77,920/-	CIT(A), Kolkata
2013-14	25/09/2021	₹62527167/-	128386891 050222 dt 05/02/2022	₹5,61,34,246/-	₹6,25,21,170/-	CIT(A), Kolkata
2014-15	31/12/2019	₹82312147/-	30/01/2020	₹7,21,41,403/-	₹1,02,14,860/-	CIT(A), Kolkata
2017-18	31/03/2023	₹17,08,84,248/-	132796820 020523	₹14,77,61,184/-	₹2,25,80,280/-	CIT(A), Kolkata
2009-10 and 2019- 2020	TDS/TCS return	₹75540/-	TDS/TCS quarterly return correction	nil	₹75,540/-	DC (IT), Faceless
2020-21	19/09/2022	₹12,29,29,510/-	12851824028 0423	₹12,10,94,196/-	₹18,35,318/-	CIT(A), Kolkata
Total					₹9,93,05,088/-	

- b) Details of Court Cases pending as on 31.03.2023

Case No.	Forum where dispute is pending	Plaintiff & Defendant	Financial Implication Assets /(Liability)
Money Suit No 66/2010	Court of Civil Judge(Senior Division)	ANIIDCO Ltd. –vs- Sanjay Anand, Ex.J.A.	₹9,24,406/-
EPF- 07/2020 (Old Appeal No.15/2015)	Central Govt. Industrial Tribunal, Kolkata from EPF tribunal, New Delhi	Regional Provident Fund Commissioner Vs ANIIDCO	₹22,60,043/-
WP No.059 of 2020	High Court, Port Blair	Shri G.P. Mani & Ors. Vs GM, ANIIDCO	Not ascertainable
2284 of 2019	Supreme Court	LINHRPL V/s ANIIDCO Hon'ble Division Bench dismissed the petition of M/s LINRPL. Now M/s LINRPL filed appeal before the Supreme Court.	₹5,47,46,091/-
WP No.267 of 2019	High Court, Port Blair	GM, ANIIDCO - Vs- Y John	Not ascertainable
FMAT No. 07/2023	High Court, Port Blair	M/s Heaven on Ocean Tourism Pvt. Ltd. & Another Vs ANIIDCO	₹1,32,62,256/-
OS 09 of 2018	District Court, Port Blair	General Manager (Project) V/s M/s Ocean Blue Boating Pvt. Ltd.	₹51,33,379/-
WP No 91 of 2020	High Court, Port Blair	Ms. Sarun Niza – Vs – ANIIDCO	Not ascertainable

c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) originally invested in M/s Andaman Fisheries Limited, 33,000 nos of equity shares of ₹10/- each amounting to ₹3,30,000/-, as assistance to the said company in promoting its business in deep sea fishing, export oriented production of value added marine products and aquaculture products, and in case of failure, the company must take back all the share invested by MPEDA. The company was asked to take back the shares, as promised to MPEDA. The above Authority (MPEDA) also filed a suit against this company demanding total repayment of ₹3.30 lakh with interest therein @ 18% per annum since 15th of May, 1992. The Hon'ble High Court at Eranakulam appointed an Arbitrator to go into details and to make final decision on both the parties. As promoter of M/s Andaman Fisheries Ltd, this Company purchased back the above shares of ₹3.30 lakh on 19/08/2004 pending transfer formalities to be completed and this amount has been shown by this company as further investment in Andaman Fisheries Ltd. The company has make a provision for interest for an amount of ₹5.38 lakh included in current liability.

Note 27(ii) Capital Commitment:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account ₹ 110.78 lakh (Previous Year ₹380.01 lakh) and amount paid for Capital Expenses shown in CWIP is ₹76.45 lakh (Previous Year ₹59,66 lakh)

Note 27(iii) Guarantee issued by Company:

The Company has given credit guarantee amounting to ₹11.47 lakh in respect of loans granted by our Credit & Finance Division which is secured by Credit Guarantee Fund.

Note 27(iv) Dividend:

As per guidelines circulated vide office Memorandum No.5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 from Government of India, Ministry of Finance, The Corporation declare a minimum dividend of @ 30% of the PAT or 5% of net-worth whichever is higher subject to the maximum dividend permitted under the extant legal provision.

Note 27(v) Advance Tax

An unadjusted amount of ₹12466.30 lakh has been shown as "Provision for Income tax" under "Short term provisions" as against "Advance payment of Income Tax" of ₹13118.13 lakh under "Short term loans and advances". The assessment up to AY 2020-21 is over u/s 143, however the Corporation is unable to adjust the same against "Advance Income Tax" as because the corporation has disputed the amount and gone for appeal / rectification.

Note 27(vi) Subsidiary Company:

The Andaman Fisheries Ltd. became a subsidiary company with effect from 19.8.2004 and a statement u/s 129(3) and audited accounts for the year ended 31.3.2023 are enclosed.

A Term Loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd in the earlier years, amounting to ₹132 lakh- has been shown as "Loan to Related Party" under "Term Loan from C&F Division".

The Company treated the said Term Loan including interest upto 2002-03 as bad debt and made provision in full for same. Since then, no interest is being calculated and provided.

Interest Free Loan was sanctioned to Andaman Fisheries Ltd during the year was ₹Nil and the outstanding balance as on 31st March'23 amounting to ₹1,65.00 lakh, (previous year ₹165.00 lakh). In earlier years the company provided an interest bearing unsecured loan of ₹33.00 lakh on which accrued interest accumulated was ₹8.23 lakh- upto Financial year 2002-03. 100% provision had been made on such loan interest bearing unsecured loan.

Note 27(vii) Applicable Disclosure Requirements for Financial Institutions (Credit & Finance Division):

- a. Net Non-Performing Assets : ₹1,51,30,379 /-(PY ₹15378318/-)
- b. Net Loans & Advances : ₹1,63,39,232/-(PY ₹17526904/-)
- c. Percentage of net NPA to net Loans & Advances: 92.60% (PY 87.74%)
- d. Amount of net NPA under the prescribed asset classification categories:
 - i. Sub-standard: ₹61,1706. /-(PY ₹902824/-)
 - ii. Doubtful: ₹13,18,673 /- (PY ₹ 1275494-)
 - iii. Loss Assets : ₹1,32,00,000/- (PY ₹1,32,00,000)
- e. Amount of Provision made during the year towards NPA : ₹1,71,14,733. /- (PY ₹1,70,18,853/-)

Note 27(viii) Remuneration to Auditors:

Remuneration to Auditors consists of:

- (a) as auditor : audit fees ₹2,36,000/- (PY ₹2,36,000/-)
- (b) taxation matters: tax audit fees ₹59,000/- (PY ₹59,000/-)
- (c) company law matters ₹Nil (PY ₹Nil)
- (d) management services ₹Nil (PY ₹Nil)
- (e) cost audit fees ₹Nil (PY ₹Nil/-)
- (f) Other Services ₹35,400/- (PY ₹35400/-)
- (g) reimbursement of Expenses ₹Nil/- (PY ₹Nil/-)
- (h) Total ₹3,30,400/- (PY ₹3,30,400/-)

Note 27(ix) Managerial Remuneration:

- a. Remuneration(sitting fee) to Managing Director, whole-time Directors and /or Manager: ₹Nil
- b. Remuneration (sitting fee) to other directors : ₹ Nil
- c. Travelling expenditure incurred for Managing Director during the year Rs.30338/- (previous year ₹ Nil,). Remuneration has been paid to Managing Director for ₹Nil (previous year ₹Nil).

Note 27(x) Related party disclosure as per AS - 18:**A) Related Parties and their relationship:**

- i) Subsidiaries (direct holding): Andaman Fisheries Limited
- ii) Fellow Subsidiaries: NIL
- iii) Associates: NIL
- iv) Key Managerial Personnel: Appointment of KMP has not been formalized as Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is not applicable to the Corporation.

B) Transaction with related parties for the year ended March 31, 2023

	Subsidiaries	Key Management Personnel and their relatives
Brand equity contribution	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil
Loans and advances repaid	Nil	Nil
Revenue Income	Nil	Nil
Revenue expenses	Nil	Nil
Provision/(write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Guarantees given	Nil	Nil
Remuneration	Nil	Nil

C) Related Party Disclosure:

	AFL (Subsidiary Company)	
	2022-23	2021-22
Trade receivables, Unbilled revenue, Loans and advances, Other assets (net)	Nil	Nil
Trade payables, Income received in advance, Advances from customers, Other liabilities	Nil	Nil
Guarantees	Nil	Nil
Investment in debentures/mutual funds/bonds	Nil	Nil

D) Disclosure of material transactions with related parties

Rent income	Nil	Nil
Other income	Nil	Nil
Purchase of goods, services and facilities (including reimbursement)	Nil	Nil
Rent expense	Nil	Nil
Provision / (Write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Bad debts written off	Nil	Nil
Advances written off	Nil	Nil
Dividend paid on equity shares	Nil	Nil
Guarantees given during the year	Nil	Nil
Remuneration to Key Managerial Personnel	Nil	Nil

Statement U/s 129(3) of Company Act, 2013 of M/s Andaman Fisheries Ltd is attached in **Annexure – A**.

Note 27(xi) Business with Micro, Small and Medium Enterprises

Transaction made with Micro and Small Enterprise, be defined as Micro and Small Enterprise under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006, has been paid within 45 days.

Note 27(xii) Segmental Reporting:

Division-wise Segmental report is given in **Annexure – B**.

ANDAMAN NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD
(ANIIDCO)

(A Government Undertaking)

Statement pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 of the Companies Act 2013, read with rule 5 of Companies (Accounts) Rule, 2014 in the prescribed Form AOC-1 relating to subsidiary company

Part “A”: Subsidiaries

1. SL No.	: 1
2. Name of the Subsidiary Company	: Andaman Fisheries Limited
3. Reporting period for the subsidiary concern, if different from the holding company's reporting period	: Reporting Period is same
4. Reporting currency and Exchange rate as On the last date of the relevant Financial Year in the case of foreign subsidiary	: Not Applicable
5. Share Capital	: ₹ 1,00,00,000
6. Reserves & Surplus	: (₹ 56,05,35,228.62)
7. Total Assets	: ₹ 25,43,926.82
8. Total Liabilities	: ₹ 55,30,79,155.44
9. Investments	: ₹ Nil
10. Turnover	: ₹ Nil
11. Profit before taxation	: (₹ 7,21,50,673.00)
12. Provision for taxation	: ₹ Nil
13. Profit after taxation	: (₹ 7,27,38,755.00)
14. Proposed Dividend	: ₹ Nil
15. % of Shareholding	: 100%

Sd/-
(Chief Financial Officer)

Sd/-
(Company Secretary)

Sd/-
(Director)

Sd/-
(Managing Director)

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ANIIDCO)
SEGMENTAL PROFIT & LOSS STATEMENT (DIVISION WISE) FOR THE PERIOD FROM APRIL 2022 TO MARCH 2023

Heads of account	IMFL	POL	TSM	MILK	C&F	Projects	Corporate Office	Total
Income								
Sales	26,732.64	16,757.13	1,432.29	1,251.33	22.98	334.81	22.81	46,553.99
Other Income	338.40	23.50	12.15	0.47	0.31	42.15	619.01	1,035.99
Total Income	27,071.04	16,780.63	1,444.44	1,251.80	23.29	376.96	641.81	47,589.98
Expenditure								
Cost of Material Consumed	21,237.28	16,031.36	61.11	988.40	0.69	-	26.85	38,345.68
Gross Profit	5,833.76	749.27	1,383.33	263.41	22.60	376.96	614.96	9,244.29
Administrative Overheads	107.80	145.86	571.44	46.84	8.61	18.65	297.07	1,196.27
Operation, Selling & Distribution	318.96	40.88	505.61	68.41	0.74	0.73	99.87	1,035.19
Remuneration to Employees	347.94	310.36	361.14	85.30	15.22	91.43	1,067.84	2,279.23
Depreciation	0.62	39.48	38.79	20.03	6.02	0.45	49.26	154.64
Total Expenditure	22,012.60	16,567.94	1,538.09	1,208.97	31.28	111.26	1,540.88	43,011.02
Profit before Corporate overhead	5,058.44	212.69	(93.65)	42.83	(7.99)	265.70	-	5,478.03
Previous Year	3,836.45	171.99	(387.05)	(20.04)	39.82	-	-	3,642.93
Less: Corp.Overheads	885.25	554.91	47.43	41.44	0.76	11.09	-	1,540.88
Profit after Adjustment	4,173.19	(342.22)	(141.08)	1.40	(8.75)	254.62	-	3,937.15
Previous Year	3,056.60	(332.15)	(423.19)	(65.39)	36.53	-	-	2,261.17
Add: Interest on FD and other income								641.81
Adjustment for Prov, Loss of Assets, write-off								82.09
Total profit before tax								4,496.87

Chief Financial Officer

Company Secretary

Director

Managing Director

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the members of

Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited

I. Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of **Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** ("the Holding Company") which comprises the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023, the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the Consolidated Financial Statement'.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the Act) in the matter so required and give a true and fair view of in conformity with the accounting Standards presented under section 133 of the Act read with other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the holding Company as at March 31st, 2023 and Profit, for the year ended on that date.

I. Basis for Qualification Opinion

Internal Audit is not commensurate with the size and nature of the business of the Company. Moreover we have not received Internal Audit Report for fourth quarter.

A large amount of Rs. 54,61,757/- is appearing in Suspense Account representing amount received from unidentified parties. As a result the Trade Receivables are not reconciled to the extent of Rs. 54,61,757/-

Capital Work-in-Progress valued for Rs. 74,34,855/- is lying since last financial year without any further progress during the year.

Company provided advances to Andaman Public Works Department for some construction jobs. But the company could not recover Rs. 44,00,627/- from Andaman Public Works Department after completion of said jobs resulting in loss of revenue on said recoverable amount.

Company invested Rs. 6.00 lacs towards purchase of 30,000 Numbers of Equity Shares of WEBCON Limited in the year 2012 and Financial statement of the said company was not available during last 3 financial years and no valuation of

said shares were not done by any valuer. So we are unable to comment on the value of investment of those shares.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence, we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standard Financial Statements.

Our further observations are as under:

- (i) As per explanations given to us majority shares of the subsidiary have been acquired by the Holding Company on 22 nd April, 1996 and the balance was acquired as on 19th August, 2004. However, the cost of control for the purposes of acquisition has not been calculated by the Holding Company on that date. Instead, the holding company has calculated by the Holding Company on that date. Instead the Holding Company has calculated the goodwill arising from such acquisition based on date available as on 1st April, 2013. Hence the actual goodwill arising out of such acquisition has not been calculated on the date of transfer. It is not possible to quantify the impact of such time gap in valuation of profitability and state of affairs of the Company. Impairment, if any, of the goodwill has not been measured and any impact on profitability could not be ascertained.
- (ii) The Accounting Policy of Subsidiary Company differs from that of the Holding company in depreciation accounting as WDV method is followed by the Subsidiary company and Straight Line method is followed by the Holding Company. As required by the para 20 and 21 of the Accounting Standard 21, appropriate adjustment in depreciation due to different accounting policies have not been made while preparing the Consolidated Financial Accounts. The net impact is under charging of depreciation of Rs. 1.92 Lacs respectively.
- (iii) Refer Note 11: Long Term Loans & Advances: The Company is having Non - current security Deposit (SD) Receivables for Rs. 24.22 lacs. Such SDs should be considered as Financial Asset which has been defined under Accounting Standard 30(Financial Instruments: Recognition and Measurement) and are required to be measured at cost less impairment loss. The Company has not carried out any impairment test for such financial instruments. In absence of necessary supporting documents, the recoverable value of such financial instruments cannot be ascertained.
- (iv) Refer to Note: 17: Short term loans & advances, Rs. 59.67 lacs appearing in Advance for Civil Works for a long period of time includes balances pending adjustment in capital work in progress or capitalisation as the case may be. Pending adjustments, the consequential impact on the assets and profitability is not ascertainable.
- (v) In credit and finance department, Income Recognition, Asset classification is not maintained borrower wise in the Accounting system. Instead, consolidated journal entries are passed at the yearend based on the register maintained. The standard practice of identifying the existence and the value of security is not periodically reviewed in order to ascertain the required provision to be made as per RBI norms.
- (vi) The existing system of balance confirmation in respect of deposits, advances, trade receivables and trade payables are not available. As such, possible impact, if any, on profitability could not be ascertained.
- (vii) Refer Note No. 4(a): the Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A & N Administration, for providing guarantee against industrial loan in lieu of collateral security. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund. Thus, the interest income to the extent of TDS of Rs. 13801/- has not been credited to the fund and retained by the company. The same practice was followed in earlier year and no record was maintained for the same.
- (viii) Refer Note 4(b): the balance of other Grants-in-aid(s) received from time to time from A & N Administration amounting to Rs. 135.63 Lacs was unadjusted and appearing in Balance Sheet due to pending post facto approval. The same was reported in the last financial year.

- (ix) An amount of Rs. 54,61,757/- is appearing in Suspense Account(Credit) representing amount received from unidentified parties. As a result the Trade Receivables are not reconciled to the extent of Rs. 54,61,757/-
- (x) An amount of Rs. 44,31,203/- and Rs.47,21,333/- towards WDV of cold storage/ice plant at Diglipur and Havlock respectively is appearing in the books of accounts. Both this cold storage has stopped operation long time back and no impairment analysis of these assets has been undertaken. But the company conducted valuation by Engineer of said Cold Storage/ Ice plant at Diglipur and Swaraj Dweep and as per valuation report no impairment loss found in both the plants.
- (xi) Refer No. No. 13(b): the company provided loan to Andaman Fisheries Limited, Subsidiary Company, long back and for which 100% provision has been made as bad and doubtful debt in 2002-03. But the said subsidiary company has charged in their Profit and Loss Account as Interest expenses for Rs. 7.25 crs during the year. However, the company has not booked the Interest accrued as Income due to application of Non Performing Asset.

II. Other Matters

We did not audit the Financial Statements of the Subsidiary Company viz Andaman Fisheries Limited. Total Assets of Rs.25,43,926/- and total loss of Rs. 7,27,38,755/- of Andaman Fisheries Limited as on 31.03.2023 have been considered in Consolidated Financial Statements. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in this respect.

The financial statements of the Company for the year ended 31st march, 2023 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statement on 09.06.2023

III. Management's Responsibility for the consolidate Financial Statements

The company's Board of Director is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act 2013 (the "Ac t") with respect to the preparation of these financial statements that gives a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the company in accordance with the accounting policies generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the act read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting record in accordance with the provision of the act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters to going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operation, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

IV. Auditor's Responsibility for the Audit of the standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of user taken on the basis of these financial statements.

As a part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism thorough out the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material mis-statement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks , and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the over ride of internal control.
- Obtain an understanding of internal control r e l e v a n t to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section-143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the entity has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls refer to our separate Report in “ **Annexure C**”.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting in preparation of financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to event so conditions that may cast significant doubt on the appropriateness of this assumption. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained upto the date of our auditors' report. However, future event so conditions may cause to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial s tatements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities.

We believe that the audit evidence obtained by sufficient and appropriate to provide a basis of our audit opinion on the financial statements. We communicate with those charged with governance of the Company and such other entities included in the financial statement so of which we are the independent auditors regarding, among other matters,the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear our independence, and were applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

V. Emphasis of Matter

We draw attention to the following these matters: -

- Proper estimation of value for civil works allotted to Andaman Public Works Department has not been done before making advance.
- Due to high value of Suspense, actual value of advance from debtors are not reflecting in the financial statements.

VI. Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

As required by Section 143 (3) of the Act, we report th at:

- a. We have sought and, except for the possible effects of Qualified Opinion paragraph above maintained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- b. Except for the possible effects of the matter described in the paragraph above, in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c. Except for the possible effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d. Except for the possible effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standard prescribed under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 .
- e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion and Qualified Opinion Paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company.
- f. Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463 (E) dated 5th June,2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section(2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- g. The adverse remarks relating to the internal financial control over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such control refer to our separate report in **Annexure-'C'**.
- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and A uditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:-

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements –Refer to Note 27(i)(a) &(b) and 27(v) to the financial statements.;
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts;
 - iii. The Company has no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund as per the provision of the Act.
 - iv. The management has disclosed that, to the best of it's knowledge and belief, other than on the notes on accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company or any other person or entity including foreign entities (Intermediaries) with the understanding , whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiary.
- 3.0 With respect to the matters specified in paragraphs 3(xxi) and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (the "Order"/"CARO") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, to be included in the Auditor's report, according to the information and explanations given to us, and based on the CARO reports issued by us for the Company and its subsidiaries included in the consolidated financial statements of the Company, to which reporting under CARO is applicable, we report that there are no other qualifications or adverse remarks in this CARO reports.

**For Roy Ghosh & Associates
(Chartered Accountants)
FRN:320094E**

**Place: Kolkata,
Date: 31/08/2023**

**Sd/-
CA Manojit Ghosh
Partner
M. No. 055022
UDIN: 23055022BGYKJC9716**

Independent Auditor's Report of even date on the Internal Financial Control of Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (Annexure "C")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** as of 31st March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial control based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct in its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial control over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Qualified opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified in the operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements as at March 31, 2023

- (i) *Refer Note 11: Long Term Loans & Advances: The Company is having Non-current security Deposit (SD) Receivables for Rs. 24.22 lacs. Such SDs should be considered as Financial Asset which has been defined under Accounting Standard 30(Financial Instruments: Recognition And Measurement) and are required to be measured at cost less impairment loss. The Company has not carried out any impairment test for such financial instruments. In absence of necessary supporting documents, the recoverable value of such financial instruments cannot be ascertained.*
- (ii) *An amount of Rs. 54,61,757/- is appearing in Suspense Account representing amount received from unidentified parties. As a result the Trade Receivables are not reconciled to the extent of Rs. 54,61,757/-*
- (iii) *Internal Audit is not commensurate with the size and nature of the business of the Company. Moreover we have not received Internal Audit Reports for fourth quarter.*
- (iv) *Company provided advances to Andaman Public Works Department for some construction jobs. But the company could not recover Rs. 44,00,627/- from Andaman Public Works Department after completion of said jobs resulting in loss of revenue on recoverable amount.*
- (v) *Company invested Rs. 6.00 lacs towards purchase of 30,000 Numbers of Equity Shares of WEBCON Limited in the year 2012 and Financial statement of the said company was not available during last 3 financial years and no valuation of said shares were not done by any value. So we are unable to comment on the value of investment of those shares.*

A “material weakness” is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Company’s annual or interim financial statements may not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as of March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

Meaning of Internal Controls over Financial Reporting

Company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the internal limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and may not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended March 31, 2023 and the material weakness has affected our opinion on the standalone financial statements of the Company and we have accordingly issued a modified report on the standalone financial statements.

**For Roy Ghosh & Associates
(Chartered Accountants)
FRN:320094E**

**Place: Kolkata,
Date: 31/08/2023**

**Sd/-
CA Manojit Ghosh
Partner
M. No. 055022
UDIN: 23055022BGYKJC9716**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA,
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013, ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF ANDAMAN & NICOBAR
ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ANIIDCO),
PORT BLAIR, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2023.

The preparation of consolidated financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited, Port Blair for the year ended 31 March, 2023, in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013, is the responsibility of the Management of the company. The Statutory Auditor, appointed by the Comptroller and Auditor General of India, under Section 139(5) read with section 129 (4) of the Act, is responsible for expressing an opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act, based on independent Audit, in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them, vide their Audit Report dated 31 August, 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statement of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited. (ANIIDCO) for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We did not conduct supplementary audit of the financial statements of Andaman Fisheries Limited. (AFL), Port Blair, for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out Independently, without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understand of the financial statements and the related audit report.

A. Comment on Financial Position

A. 1 Reserves & Surplus (Note3) : ₹222.57 crore.

Short Term Provisions (Note8) : ₹137.96 crore.

Short term provisions include a provision of ₹10.46 crore made for proposed dividend declared by the Board of Directors in its 163rd meeting held on 30th August 2023 and consequent adjustment was made from Reserve and Surplus.

The Accounting treatment is not correct in view of Para 14 of Accounting Standard-4 which state that if an enterprises declares dividends to shareholders after the balance sheet date, the enterprse should not recognize those dividends as a liability at the balance sheet date ubless a statute requires otherwise. Such dividends should be disclosed in notes.

Thus, incorrect accounting treatment has resulted in overstatement of provisions and understatement of Reserve and Surplus by ₹10.46 corer Notes on Accounts are also deficient to the extent that no disclosure regarding proposed divided was made as required by AS-4.

B. Comments on Auditor's Report

B. 1 Auditors have not expressed their opinion on Cash How in the Opinion paragraph of Independent Auditor's report on the consolidated financial statements.

B. 2 Under 'Emphasis of matter' paragraph, the statement 'the auditor's opinion is not modified in respect of the matter emphasized' is not mentioned as prescribed by Standard of Auditing 706 (Revised).

B. 3 The qualification given in Para 1.2 and 2(ix) are repetitive.

C. Other Comments :

C. 1 Directors Identification Number (DIN) of signatory directors not mentioned on financial statement although required by Section 158 of the Companies Act 2013.

C. 2 Disclosure regarding expenditure on Corporate Social Responsibility has not been made although required by Schedule III of the Companies Act 2013.

C. 3 Ageing Schedule for Capital Work in Progress and Trade Receivables has not been given although required by Schedule III of the Compaines Act 2013.

C. 4 The 'Basis of Consolidation' has not been disclosed under Significant Accounting Policies forming part of Consolidated Financial Statement.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Sd/-
(Debolina Thakur)
Director General of Audit Central

Place : Kolkata
Date : 05.12.2023

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

(A Government Undertaking)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st March 2023

(₹ In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>			
<u>Shareholders' fund</u>			
Share capital	2	1,097.01	1,097.01
Reserves & surplus	3	22,416.10	19,977.50
<u>Non-current liabilities</u>			
Other long term liabilities	4	177.70	199.70
Long term provisions	5	972.34	1,154.66
<u>Current Liabilities</u>			
Trade payables	6	3,098.23	3,692.20
Other current liabilities	7	2,055.95	1,717.96
Short term provisions	8	13,796.50	12,375.93
TOTAL		43,613.83	40,214.96
<u>ASSETS</u>			
<u>Non-current Assets</u>			
Fixed assets			
- Tangible	9	2,143.00	1,945.47
- Intangible		3.48	5.03
- Capital work-in-progress		76.45	59.65
Non current investments	10	6.00	6.00
Long term loans & advances	11	50.32	140.30
Deferred tax assets (Net)	12	265.36	311.86
<u>Other Non-current Assets</u>			
Term loan by C&F division	13	25.24	38.08
Goodwill (on consolidation)		169.45	169.45
<u>Current Assets</u>			
Inventories	14	8,623.65	8,836.26
Trade receivables	15	959.01	930.97
Cash & cash equivalents	16	16,695.68	14,279.92
Short term loans & advances	17	14,590.15	13,487.49
Other current assets	18	6.04	4.48
TOTAL		43,613.83	40,214.96

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 27

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ₹ in lakhs.

For M/s Roy Ghosh & Associates
Chartered Accountants
FRN - 320094E

Sd/-
(Manojit Ghosh)
Partner
Membership No. 055022
Place: Kolkata
Date: 31.08.2023
UDIN: 23055022BGYKJC9716

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer)

Sd/-
C. Arvind
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Nandini Paliwal
(Managing Director)
DIN : 09779872

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2023
(₹ In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Revenue:			
Revenue from operations	19	46,553.99	34,312.65
Other income	20	1,035.99	1,112.81
Total Revenue		47,589.98	35,425.46
Expenses:			
Cost of materials consumed	21	996.52	884.77
Purchases of Stock-in-Trade	22	37,115.96	28,189.48
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	23	227.74	(1,014.63)
Employee benefit expenses	24	2,279.46	2,296.52
Depreciation and amortization Exp.	9	156.24	204.12
Operation and other expenses	25	2,319.34	1,596.37
Total Expenses		43,095.26	32,156.63
Profit Before exceptional and extraordinary items and tax		4,494.72	3,268.83
Exceptional items - Provision written back		154.38	1.61
Profit Before extraordinary items and tax		4,649.10	3,270.44
<i>Less: Provision for Current Tax</i>		1,117.95	884.06
<i>Less: Provision for Deferred Tax made</i>		46.50	-
<i>Add: Provision for Deferred Tax written back / Made</i>		-	4.55
Balance available for appropriation		3,484.65	2,390.93
Earning per equity share:- Basic & diluted	26	317.65	217.95

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 27

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements. The figures shown in the notes are ₹ in lakhs.

For M/s Roy Ghosh & Associates
Chartered Accountants
FRN - 320094E

Sd/-
(Manojit Ghosh)
Partner
Membership No. 055022
Place: Kolkata
Date: 31.08.2023
UDIN: 23055022BGYKJC9716

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer)

Sd/-
C. Arvind
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Nandini Paliwal
(Managing Director)
DIN : 09779872

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)
CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2023

Particulars	(₹ In Lakhs)	
	For the year ended 31.03.2023 (₹)	For the year ended 31.03.2022 (₹)
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
<i>Net profit before tax and extraordinary items</i>	4,494.72	3,268.83
Adjustments for :		
Depreciation	156.24	204.12
Interest on Fixed Deposit	(619.16)	(511.78)
Provision for Bad & Doubtful Debt etc.	93.93	64.79
Provision written back	154.38	1.61
Lease Rent Income	(334.81)	(412.88)
Operating profit before working capital changes	3,945.30	2,614.70
Adjustment for :		
Decrease /(Increase) in Inventories	212.61	(1,017.50)
Decrease /(Increase) in Trade Receivables	(121.97)	139.42
Decrease /(Increase) in Accrued Interest	14.86	(48.10)
Decrease /(Increase) in Current Loans & Advances	(1,102.66)	(1,272.83)
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	315.98	(25.64)
Increase/(Decrease) in Trade Payables	(593.97)	133.53
Decrease/(Increase) in other Current Assets	(16.42)	97.99
Increase/(Decrease) in Short Term Provisions	302.61	195.15
Decrease/(Increase) in Term Loan from C&F Division	12.84	7.10
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES - (A)	2,969.17	823.81
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Lease Rent Income	334.81	412.88
Increase/(Decrease) in Long Term Provision	(182.32)	109.45
Decrease/(Increase) in Long Term Loans & Advances	89.98	117.17
Addition to Fixed Assets (net)	(354.89)	(292.76)
Change in Capital Work-in-Progress	(16.81)	-
Interest on Fixed Deposit	619.16	511.78
Sale of Fixed Assets after adjustment of Profit / Loss	2.68	2.39
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES - (B)	492.61	860.90
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proposed Dividend	(1,046)	(715.21)
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES - (C)	(1,046)	(715.21)
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	2,415.74	969.50
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	14,279.92	13,309.41
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	16,695.68	14,278.92
	2,415.74	969.50

(₹ In Lakhs)

Notes to the Cash Flow Statements for the period ended 31.03.2023

1. The above Cash Flow statement has been prepared under the indirect method set out in AS-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Figures in brackets indicate cash outgo.
3. Previous period figures have been regrouped and recast wherever necessary to conform to the current period classification.
4. Cash and Cash Equivalents comprises of :-

	Amount (₹)	Amount (₹)
Cash and cash equivalents	2,343.16	2,750.16
Other Bank balances	14,160.04	10,469.66
Balances with Non-Scheduled Banks	136.46	49.46
Cash in hand	56.02	32.16
TOTAL	<u>16,695.68</u>	<u>13,301.44</u>

5. Short Term deposit with Indian Bank, Port Blair Branch include an amount of ₹27.31 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY ₹26.07 Lakhs)

This is the cash flow statement referred in our report of even date.

For M/s Roy Ghosh & Associates
Chartered Accountants
FRN - 320094E

Sd/-
(Manojit Ghosh)
Partner
Membership No. 055022
Place: Kolkata
Date: 31.08.2023
UDIN: 23055022BGYKJC9716

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer)

Sd/-
C. Arvind
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Nandini Paliwal
(Managing Director)
DIN : 09779872

NOTE 1: Summary of significant accounting policies and explanatory information

1. Background and nature of operations:

Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd. ("the Company") is engaged in the business of trading, tourism, industrial financing and production of milk and milk products etc.

2. Basis of Accounting:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India ('Indian GAAP') to comply in all material respects with the mandatory Accounting Standards ("AS") specified under Sec 133 of the Companies Act 2013 ("the Act"), read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (as amended) and the relevant provisions of the Act and pronouncements of the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The financial statements have been prepared on accrual basis. The accounting policies have been consistently applied by the Company and are consistent with those used in the previous year.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III of the Act. Based on the nature of work, the Company has ascertained its operating cycle as up to twelve months for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

3. Use of Estimates:

The preparation of accounts requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and disclosure of contingent liabilities at the date of financial statement, the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current event and actions, actual results could differ from those estimates. Difference between the actual results and estimates are recognized prospectively in the period in which the results are known/ materialized.

4. Fixed Assets:

All fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss if any. The cost of an asset comprises its purchase price plus any directly attributable cost of bringing the asset to the present location and working condition for its intended use. Subsequent expenditures, if any, related to an item of fixed assets are added to its book value only if they increase the future benefits from existing asset beyond its previously assessed standard of performance.

5. Intangible Assets:

Intangible Assets comprises Computer Software which are stated at cost and are amortized over a period of 3 years.

6. Depreciation / Amortization:

In respect of fixed assets (other than freehold land and capital work-in-progress) acquired during the year, depreciation / amortization is charged on straight line basis so as to write off the cost of the assets over the useful life as per schedule II of the Companies Act, 2013. Written down value of the assets acquired prior to April 1, 2014 are being depreciated over their remaining useful life as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013.

In respect of addition to fixed assets, depreciation is provided from the date of addition on pro-rata basis. In respect of fixed assets sold or discarded, depreciation is provided up to the date prior to the date of sale/discard on pro-rata basis. Depreciation on assets whose actual cost doesn't exceeds Rs 5000/- has been provided 100%

7. Impairment of Assets:

In accordance with Accounting Standard 28 the carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal and external factor, an impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price or value in use. In assessing value the estimated future cash flows are discounted to its present value at reasonable discounted rate. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the levels, for identification of cash generating units. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists then the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciated historical cost.

8. Expenditure during Construction:

In the case of new industrial units and substantial expansion of existing units, all pre-operating expenditure incurred up to the date of installation is capitalized and added pro-rata to the cost of fixed assets.

9. Investments :

Long term Investments are stated at cost. Provision for diminution in the value of each long term investment is made to recognize a decline, other than that of temporary nature and shown separately.

10. Inventories :

Inventories are valued at lower of historical cost and estimated net realizable value. Historical cost is arrived at by adding purchase cost and any other cost incurred to bring the inventory to its respective location and condition.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

Cost of inventories is computed on a FIFO basis.

11. Revenue Recognition:

Sale of Goods

Sales are recognized when significant risk and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer which coincides with the delivery. Sales are generally recorded net of trade discounts excepting the sales in Megapode Resort and Milk & Milk products, which are booked in gross value.

Revenue from Services

Revenue from services rendered is recognized as and when the service is performed and it is reasonable to expect ultimate collection.

Interest & Commission income is recognized on accrual basis.

Dividend from investments is recognized when the right to receive the payment is established.

Selling prices are determined as per formula approved by A&N Administration in respect of Steel & IMFL products. The petroleum products are sold at the selling price fixed by IOC Ltd. In case of Milk, other goods and services the selling prices are determined by the company.

12. Foreign Currency Transactions:

i. Initial Recognition

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency prevailing at the date of the transaction or that approximates the actual rate at the date of the transaction.

ii. Conversion

Exchange Differences

Foreign currency assets and liabilities as on the Balance Sheet date are revalued in the accounts on the basis of exchange rates prevailing at the close of the period and exchange loss/gain arising there from, is adjusted to the cost of fixed assets or charged to the Profit & Loss Account, as the case may be.

13. Employee Benefits:

- a) Provident Fund is a defined contribution scheme and contributions during the year are charged to Statement of Profit & Loss.
- b) Deposit Linked Insurance is recognized as contributed to Regional PF Office.
- c) Provision for Leave Encashment is made for value of unutilized leave due to employees at the end of the year on actuarial basis.
- d) Gratuity liability is defined benefit obligations and provided on the basis of actuarial valuation made till Financial year 2015-16 by way of contribution to the Gratuity Fund to a Group Gratuity policy with Life Insurance Corporation of India. From 2016-17, the same has been made on the basis of actual payment made to LIC.
- e) Provision for performance related incentives are made as per the "Performance Related Incentive Scheme" of the Company.
- f) Provision for LTC/AFSP has been provided for all the employees based on their dependent family members, entitlement for their particular grade pay, unutilized LTC benefit due to employees at the end of the year, on actuarial basis.

14. Government Grants and Subsidies:

Grants and subsidies from the government are recognized when there is reasonable assurance that the grant/subsidy will be received and all attaching conditions will be complied with.

When the grant or subsidy relates to an expense item, these are deducted from related expense, which is intended to compensate. Where the grants or subsidy relates to an asset, its value is deducted in arriving at the carrying amount of the related asset.

15. Taxation:

The tax expense comprises of current taxes and deferred taxes. Current tax is the amount of income tax determined to be payable in respect of taxable income for a period as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"). The Company accounts for tax credit in respect of Minimum Alternate Tax ("MAT") in situations where the MAT payable is higher than tax payable under normal provisions of the IT Act. The credit so availed is adjusted in future years when the tax under provisions is higher than MAT payable to the extent of the difference.

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, in respect of deferred tax asset(s) on timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period and is measured using tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax asset(s) are reviewed at each Balance Sheet date to re-assess realization, considering the reasonable virtual certainty of each such realization.

16. Sales Tax:

Sales Tax paid is charged to Statement of Profit and Loss.

17. Prior-period Adjustments:

Any error or omission in disclosing income & expenditure pertaining to prior period are ratified/adjusted in the current year and the net effect has been disclosed separately in the Statement of Profit & Loss.

18. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which reliable estimate can be made. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation but probably will not require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood on outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs. Provision for Bad and doubtful debts have been made in accounts for receivable laying more than three years.

19. Dividend and Tax Thereon:

Annual dividend proposed by directors is provided in accounts, subject to the approval of members at the Annual General Meeting. Provision for Dividend Distribution Tax is made separately.

20. Earnings per Share:

Basic earning per share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

21. Cash Flow Statement:

Cash flows are reported using indirect method, whereby profit before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated. Cash and cash equivalents in the balance sheet comprise cash at bank, cash / cheque(s) in hand and short-term deposit to be matured in less than 12 months period.

22. Segment Reporting Policies as per AS - 17**(i) Identification of Segments:****Primary Segment****Business Segment:**

The company's operating businesses are organized and managed separately according to the nature of products, with each segment representing a strategic business unit that offers different products and services in different markets.

Secondary segment**Geographical segment:**

The company does not have Geographical segment.

(ii) Allocation of common Costs:

Common allocable costs are allocated to each segment according to the relative contribution of each segment to the total sales of the Company.

(iii) Unallocated Items:

The corporate and other segment include general corporate income and expense items, which are not allocated to any business segment.

23. Previous Year Figures:

Figures of the previous year has been re-grouped and re-arranged wherever necessary to make them comparable with current year figures.

24. Rounding Off:

Figures in Rupees given in the financial statements are rounded off to nearest rupees thousand. Quantitative figures are rounded to the nearest unit wherever required.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government Undertaking)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2023

Particulars	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE : 2		
<u>Share Capital</u>		
<u>Authorised</u>		
50,00,000 Equity shares of ₹100/- each	5,000.00	5,000.00
<u>Issued, Subscribed and Paid up</u>		
10,97,006 (Previous year 10,97,006)		
Equity Shares of ₹100 each, (of which		
17,546 shares issued other than cash)	1,097.01	1,097.01
TOTAL	1,097.01	1,097.01

Note 2 (a) Reconciliation of the number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

Balance at the commencement of the year

1,097.01

1,097.01

Shares issued during the year

-

-

Shares brought back during the year

-

-

Balance at the end of the year

1,097.01

1,097.01

Note 2 (b) Details of Shareholders holding shares more than 5% share in the company.

Sl No.	Name of the Shareholder	% of holding	No of equity shares
1	The President of India	85	933,348
2	The Lt. Governor, A&N Islands	15	163,656

Details of Shareholders for previous year remain same.

Note 2(c) Board vide its agenda No.23.09 held on 22.01.1993 issued 17,546 equity shares of ₹100/- each, in favour of Lt. Governor A&N Islands, in lieu of milk powder amounting to ₹17,54,664 received in kind from Animal Husbandry Department of A&N Administration.

NOTE : 3 **Reserves & Surplus**

a) General reserves :

At the commencement of the year

19,977.49

18,301.76

Add: Transfer from surplus

2,438.61

1,675.73

At the end of the year

22,416.10

19,977.49

b) Surplus in statement of profit and loss:

At the commencement of the year

0.00

0.02

Add: Profit for the year

3,484.65

2,390.93

Less: Appropriations:

Proposed Dividend (@ 30% of Distributable profit) ref. to Note 27(iv)

1,046.04

715.21

Transfer to general reserve

2,438.61

1,675.73

At the end of the year

(0.01)

0.01

22,416.10

19,977.50

			As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE : 4 Other long term liabilities				
<u>Credit guarantee fund:</u>	4(a)			
Opening balance		26.07		
Add: Income generated as per last account		-		
Addition during the year		1.24		
Total fund		27.32		
Less: Utilised during the year		-	27.32	26.07
<u>Grant-in-Aid from A & N Admn.</u>	4(b)	173.63		
Add: Received during the year		-		
Less: Utilised during the year		23.24	150.39	173.63
TOTAL			177.70	199.70

Note 4(a): Credit Guarantee Fund: The Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A&N Administration, for providing guarantee against industrial loans in lieu of collateral security, opening balance of which is ₹26.07 lakh. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund and any amount utilised as per the terms of the scheme has been deducted from such fund. The liability guaranteed against such fund as on 31/03/2023 is ₹27.31 lakh.

Note 4(b): The unadjusted balance due to pending of post facto approval of competent authority (₹135.63 Lakhs), the Grant in aid received (₹190 Lakhs) in FY 2016-17 out of which ₹175.24 lakh has been expended till 31.03.2023:-

Year	Particulars	Purpose	Amount (in lakh)
1994-95	Order no 467 dt 21.03.1995 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	₹65.63
1995-96	Order no 837 dt 29.03.1996 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	₹70.00
2016-17	Order No. Nil dated Nil received from Directorate of AH	For expansion of milk collection	₹14.76
Total Grant-in-Aid from A & N Admn.			₹150.39

NOTE : 5 Long term provisions

Provision for leave encashment	832.04	1,012.02
Provision for Gratuity	83.15	83.88
Provision for LTC/AFSP	57.10	58.67
Provision against standard assets	0.05	0.09
TOTAL	972.34	1,154.66

NOTE : 6 Trade payable

Trade payable		
i) Outstanding dues to Micro, Small and Medium enterprises (6a)	-	-
ii) Other trade payables	3,098.23	3,692.20
TOTAL	3,098.23	3,692.20

Note 6(a): The Company identify the Micro, Small and Medium enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. On the basis of information available with the company and confirmation received, as at the year end an amount of ₹ Nil. (previous year : ₹ Nil/-) is due with such enterprises.

(₹ In Lakhs)

		As at 31.03.2022 (₹)	As at 31.03.2021 (₹)
NOTE : 7	<u>Other current liabilities</u>		
Received in advance			
<u>Other payables</u>			
Deposit payable to :			
<u>Others</u>	121.35	121.35	121.35
<u>Advance from customers</u>		11.84	46.20
Liquor license fees payable to DC	19.71		
Outstanding liabilities for expenses	365.50		
EMD/Security deposits from suppliers	74.58		
Interest on buy back of AFL shares	5.39		
Taxes payable	45.30		
Tiny Loan Scheme	0.04		
Others	49.90	560.42	314.69
Deposit payable to Director of Fisheries	7 (a)	10.00	10.00
Advance from sundry debtors		1,352.34	1,225.73
TOTAL		2,055.95	1,717.96

Note 7(a) The Company has received fund from Director of Fisheries during the period 1989-90 to 1996-97 of which ₹10 lakh remain un-utilized. The above amount is presently lying in the current account maintained with SBI- Port Blair.

		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTES : 8	<u>Short term provisions</u>		
Provision for performance related scheme		223.82	222.73
Provision for CSR Expenses		-	32.00
Provision for leave encashment		34.23	30.29
Provision for LTC/AFSP	8(a)	20.09	20.43
<u>Others</u>			
Provision for Income tax :			
- for AY 2008-09	341.61		
- for AY 2009-10	359.40		
- for AY 2010-11	315.95		
- for AY 2011-12	376.38		
- for AY 2013-14	563.59		
- for AY 2014-15	726.28		
- for AY 2015-16	705.60		
- for AY 2016-17	1140.51		
- for AY 2017-18	1477.61		
- for AY 2018-19	921.21		
- for AY 2019-20	1584.30		
- for AY 2020-21	1210.10		
- for AY 2021-22	741.75		
- for AY 2022-23	884.06		
- for AY 2023-24	1117.95	12,466.30	11,348.34
Proposed dividend (30% of distributable profit)	27(iv)	1,046.04	715.21
Provision for Loss of Stock		-	1.20
Provisions in Subsidiary Company		6.02	5.73
TOTAL		13,796.50	12,375.93

Note 8 (a) : LTC/AFSP provision has been made as per actuarial valuation as specified in AS-15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Note 8 (b) : TDS as per books of accounts is considered for calculation of Income Tax Provision i.e. 92.83 lakh.

(₹ in Lakhs)		Net Block	As at
As at	31.03.2022	As at	31.03.2022
9	10	9	10
67.48	69.48	67.48	69.48
1,637.71	1,430.07	1,637.71	1,430.07
0.00	0.00	0.00	0.00
230.89	259.56	230.89	259.56
47.90	51.72	47.90	51.72
92.60	75.60	92.60	75.60
3.59	4.06	3.59	4.06
33.08	33.06	33.08	33.06
29.75	21.92	29.75	21.92
-	-	-	-
0.00	-	0.00	-
2,143.00	1,945.47	2,143.00	1,945.47
-	-	-	-
3.48	5.03	3.48	5.03
-	-	-	-
76.45	59.65	76.45	59.65
2,222.93	2,010.15	2,222.93	2,010.15
2,010.17	1,902.40	2,010.17	1,902.40

unit, at free of cost in the year from Diglipur to Port Blair" via of India.

td. under factoring of capital d under the head "Long Term

de.

(₹ In Lakhs)

		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE 10 : Non current investment			
(valued at cost unless stated otherwise)			
Investments in equity instrument (unquoted) fully paid-up			
(i) In Andaman Fisheries Ltd. (a subsidiary company)			
9,67,000 Equity Shares @ `10 each, valued at cost.	69.65		
(33000 equity shares@ `10/ each pending transfer)			
Less : Provision for loss on investment in AFL	69.65	-	-
(ii) In Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.			
4,00,000 equity shares of `10 each fully paid at cost	40.00		
Less : Provision for loss on Lakshadweep Shilpi			
Aquaculture Ltd.	40.00	-	-
(iii) WEBCON Consulting (India) Ltd.			
30,000 Equity Share @ 10 each along with premium of			
₹10 per share, carried at cost.		6.00	6.00
TOTAL		6.00	6.00
<p>Note 10 (i) : The Company holds 10,00,000 equity shares of M/s Andaman Fisheries Ltd @ ₹10/- each fully paid-up, out of which 33,000 equity shares of ₹10/- each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer. MPEDA has claimed interest @ 15% on pending transfer under Equity Participation Scheme, which is disputed by the company. However the company, in it's 13th Board meeting agreed to pay simple interest applicable for term loan of any financial institution, after deducting any dividend received by MPEDA from such investment. The amount of such interest is ₹5.39 lakh (Gross amount ₹8.69 lakh) as on 10th June'01 for which a provision has been made in the earlier period. Further the M/s Andaman Fisheries Ltd. is a loss making company and has negative Net Worth, hence 100% provision has been made and disclosed in Note 5.</p>			
<p>Note 10(ii) : The Company has invested ₹40 lakh in the Equity Shares (unquoted) of Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. by subscribing to 4,00,000 numbers of fully paid Equity Shares of ₹10/- each during 1992. The said company has not been able to commence its production since it's formation in 1992 and is highly indebted to Financial Institutions, no income has been received so far on such investments.</p>			
NOTE 11: Long term loans & advances			
<u>Secured, considered good</u>			
Computer advance to employees		3.66	6.50
House building advance to employees		0.54	2.57
<u>Unsecured, considered good</u>			
Security deposit		24.22	46.30
Other advance to Govt agency			
Indian Oil Corporation (capital factoring)	11 (a)	21.90	84.93
<u>Unsecured, considered doubtful</u>			
Staff Advance	1.31		
Less: Provision	1.31	-	-
Deposit receivable (Unsecured, considered doubtful)	5.88	0	0
Less: Provision	5.88	0	0
TOTAL		50.32	140.30
Note 11(a) : Refer Note 9(ii) & 17 (i)			
NOTE 12: Deferred tax assets (Net)			
a. Deferred tax liabilities			
Depreciation and amortisation		11.24	10.55
Provision for doubtful debts and advances		451.66	480.48
Total		462.90	491.04
b. Deferred tax assets			
Depreciation and amortisation		146.10	135.06
Provision for doubtful debts and advances		51.44	44.12
Total		197.54	179.18
Net deferred tax liabilities/(Assets)		265.36	311.86

Deferred tax has been calculated as per the Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

NOTE 13: Term loan by C&F division (secured)		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
(a) Term loan (considered good)	18.64	25.24	38.08
Term loan (considered doubtful)	12.75		
Less: Provision for sub standard assets	6.15		
(b) Loan to related party			
Loan to AFL (considered doubtful)	132.00	-	-
Less: Provision made	132.00		
TOTAL		25.24	38.08
<p>Note 13(a) The Companies "Credit & Finance" division has provided Term Loan from Corporations' available surplus fund called "General Scheme" and it has carried forward gross opening balance `175.26 lakh. Total sum of ₹4.60 lakh (Previous year ₹10.72) was sanctioned towards loan under above scheme during the year. However the company recovered ₹20.03 lakh, (Previous year `24.47 lakh) including interest. A provision was written back on standard assets during the year amounting to ₹0.03759 Lakh (Rupees Three thousand seven hundred fifty nine only) (Previous year Provision written back ₹0.00083 Lakh) and provision made on sub-standard assets during the year is ₹96 Lakh, (previous year provision written back was `1.61 Lakh). During the year 2022-23 division stop</p> <p>Note 13(b) : Term loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd, a subsidiary of the Corporation, in the earlier years, amounting to ₹132 Lakh /-, has been shown as loan to "Related Party" in books of account. The company treated the said term loan up to 2002-03, as bad debt and made provision for entire amount. Since then, no interest is being calculated and provided as per RBI circular dated 2 July 2012 since AFL become NPA. However subsidiary company M/s AFL has charges interest of ₹7.25 crore (Previous year ₹7.19 crore) in their books of accounts.</p>			
NOTE 14 : Inventories			
<u>Raw material</u>			
Raw milk	105.81	323.61	303.02
Stock of provisions at hotel	217.80		
<u>Finished goods</u>			
Constituted milk	16.12	22.35	6.30
Paneer	0.03		
Curd	0.51		
Cow milk	5.69		
Stock in trade		8,218.69	8,462.48
Petroleum products	515.46		
Add: Goods-in-transit	4.04		
IMFL products	6,473.32		
Add: Goods-in-transit	1,225.45		
Souvenir, maps & biometric device	0.42	59.00	64.46
Stores & spares - Milk plant			
TOTAL		8,623.65	8,836.26
Note: Inventories valued at lower of historical cost or estimated net realizable value.			
NOTE 15 : Trade receivables (unsecured)			
Considered good		959.01	930.97
(i) Over six months from due date of payment	606.53		
(ii) Below six months from due date of payment	352.48		
Doubtful		-	-
(i) Over six months from due date of payment	241.99		
(ii) Below six months from due date of payment	-		
Less: Provision for Bad and Doubtful debts	241.99		
TOTAL		959.01	930.97

(₹ In Lakhs)

	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE 16 : Cash and cash equivalents		
<u>Balances with scheduled banks</u>		
(a) Current accounts		
Indian Bank, Port Blair	189.06	210.42
Indian Bank, Chennai	4.27	2.14
State Bank of India, Port Blair	235.62	533.32
HDFC Bank Port Blair	95.41	224.09
Canara Bank, Secretariat	63.35	66.58
Canara Bank, Shaheed Dweep POL	77.14	88.74
Canara Bank, Campbell Bay	271.29	33.49
State Bank of India, Hut bay	0.02	40.36
State Bank of India, Rangat	12.83	0.84
State Bank of India, Mayabunder	0.11	0.10
State Bank of India, Diglipur	174.97	120.43
State Bank of India, Swaraj Dweep	101.44	10.95
State Bank of India, RK Pur, L/Andaman	0.05	0.04
State Bank of India, Kamorta	18.19	1.55
State Bank of India (IMFL J/Ghat)	1.28	8.47
State Bank of India, IMFL MOHANPURA	0.99	4.54
State Bank of India, (Haddo)	2.64	16.24
State Bank of India, (Delanipur)	2.18	4.27
State Bank of India, (Baratang)	27.48	
State Bank of India, (Kadamtala)	21.38	
State Bank of India, (IMFL SELF SERVICE)	6.93	50.54
ICICI Bank	32.82	455.81
Axis Bank	996.61	851.11
Indian Bank, Port Blair, AFL	7.10	7.35
	2,343.16	2,731.38
<u>Balances with non-scheduled banks</u>		
Current accounts	136.46	81.94
A&N State Co-Operative Bank Ltd. Andaman	136.46	81.94
<u>Cheque in hand</u>		
<u>Cash in hand</u>		
At Head office	0.29	0.54
Postal stamps in hand	0.01	0.02
Cash at shops	55.72	27.32
	56.02	27.88
	2,535.64	2,842.20

(b) Other Bank balances			
with upto 12 months maturity			
Punjab National Bank		700.00	
Canara Bank		1,500.00	4,206.00
Indian Bank, Port Blair		85.46	419.93
Union Bank of India		816.01	1,304.00
Bank of Baroda		900.00	-
Central Bank of India		1,700.00	-
Indian Overseas Bank		-	3,346.00
State Bank of India, Port Blair		4,081.26	-
UCO Bank		800.00	
Bank of India		417.77	398.00
ICICI Bank		1,832.30	241.95
HDFC Bank		120.25	
Axis Bank		1,000.00	1,300.00
Add: Interest accrue thereon		206.99	221.85
		14,160.04	11,437.72
Total cash and cash equivalents		16,695.68	14,279.92
Note 16(a) Short Term deposit with Indian Bank, Port Blair Branch include an amount of ₹27.31 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY ₹26.07 Lakhs)			
		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
NOTE 17: Short term loans & advances			
House building advance to employees		1.67	1.31
Computer advance to employees		2.65	0.76
Advance for civil work		110.78	380.02
Claim receivable from IOC		37.18	22.61
Other advances to employees		1.96	15.61
Niti Aayog Project		380.24	267.08
Indian Oil Corporation (capital factoring)	17 (i)	82.98	82.98
Pre-paid expenses		0.00	1.00
Input IGST		0.84	57.25
Input CGST/UTGST		46.30	65.63
Advance payment of Income Tax (including TDS)			
- for AY 2008-09	341.61		
- for AY 2009-10	385.73		
- for AY 2010-11	414.26		
- for AY 2011-12	470.82		
- for AY 2012-13	10.03		
- for AY 2013-14	591.39		
- for AY 2014-15	777.53		
- for AY 2015-16	727.38		
- for AY 2016-17	954.72		
- for AY 2017-18	1,506.86		
- for AY 2018-19	1,114.71		
- for AY 2019-20	1,506.58		
- for AY 2020-21	1,289.54		
- for AY 2021-22	747.89		
- for AY 2022-23	984.57		
- for AY 2023-24	1,294.50	13,118.13	11,793.17
Advance payment of dividend tax	83.98		
Add: During the year	0.00	83.98	83.98

(₹ In Lakhs)

Deposit /advances with Govt. and others		0.01	1.65
Advance to suppliers and contractors		723.30	713.38
Other Advances		0.13	2.08
Unsecured, considered doubtful (Unsecured, considered good unless otherwise stated.)			
Cash shortage to be recovered	10.18		
Less: Provision	10.18	0.00	0.00
Other Advances	4.34		
Less: Provision for dad debt	4.34	0.00	0.00
Deposit /advances with Govt. and others	4.19		
Less: Provision	4.19	0.00	0.00
Advance to suppliers and contractors	5.19		
Less: Provision for loss of advances	5.19	0.00	0.00
Lease Rent receivable [note 17a]	107.99	0.00	0.00
Less: Provision for lease rent	107.99	0.00	0.00
Provident fund deposit [note 17b]	43.90		
Less: Provision	43.90	0.00	0.00
Loans and advances of related parties [note 17c]			
Unsecured loan to AFL	33.00		
Add: Interest accrued up to 2002-03	8.23		
Less: Provision	41.23	0.00	0.00
Receivable from AFL	15.74		
Less: Provision	15.74	0.00	0.00
Interest free unsecured loan to AFL	165.00		
Less Recovered during the year	0.00		
Less: Provision	165.00	0.00	0.00
TOTAL		14,590.15	13,487.49

Note 17 (a) : The Company had leased out 03 (three) commercial land for tourism projects. The land at Swaraj Dweep has been leased out to The Indian Hotels Comp Ltd, for 60yrs from 7th Dec'09 at an annual lease rent of ₹2.25 Cr p.a. The other two lands at Long Island and Shaheed Dweep were leased out to M/s. Long Island Nature Hotel & Resort (P) Ltd and M/s. Soma Andaman Resort P Ltd., but were terminated due to default.

Note 17 (b) Under an order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Port Blair, under section 7A of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act, 1952, a sum of ₹21.30 lakh for the period from 2001-2004 was attached and taken away by the said Commissioner. The Company has moved to the Hon'ble High Court, Port Blair for recovery of such amount and Hon'ble High Court in its order dated 4th Feb 2013, has directed EPF authority to re-assess the amount. In another order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Port Blair, under section 7Q & 14B of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act, 1952, a sum of ₹22.60 lakh for the period from 2005-2009 was attached and taken away by the said Commissioner. The company has filed a petition with EPF Appellate tribunal, New Delhi.

Note 17(c): Interest free unsecured loan sanctioned in earlier period to Andaman Fisheries Ltd, which is a 100% subsidiary of the Corporation, opening balance of such loan was ₹165 lakh. 100% provision has been made on such amount.

NOTE 18: Other Current Assets			
(i) Advance to supplier (unsecured, considered good) <i>Unsecured, considered doubtful</i>		6.04	4.48
(i) Due from Income Tax authority AY 07-08	1.54		
Less: Provision	1.54	0.00	0.00
TOTAL		6.04	4.48

Note 19 : Revenue from operations				
Particulars	Gross Sale			
	As at 31.03.2023 (₹)	%	As at 31.03.2022 (₹)	%
<u>Sale of Products (A)</u>				
<u>i) Manufactured goods</u>				
Dairy milk	1,094.33		1,005.32	
Curd	104.36		98.08	
Other milk products	53.06		9.93	
	1,251.75	0.03	1,113.33	0.03
<u>ii) Traded goods</u>				
IMFL	26,732.23		19,146.07	
POL	16,757.11		12,377.77	
Iron and Steel	-		314.31	
	43,489.34	0.93	31,838.16	0.93
Sub-total (A)	44,741.09		32,951.49	
<u>Sale of Services (B)</u>				
Tourism	1,426.96		881.04	
Others				
Commission of air ticketing	-		0.51	
Interest on term loan	3.51		4.64	
Lease rent of Land	334.81		359.96	
Lease rent for Water Sports	-		52.92	
Ice Plant/ Cold storage	17.41		22.68	
Hire charges/car rental	19.45		27.47	
Other Income	10.76		11.94	
Sub-total (B)	1,812.90	0.04	1,361.17	0.03
Grand Total D = (A+B)	46,553.99	1.00	34,312.65	1.00
Note (a) : Details required to be given under broad heads for purchase of traded goods and sales /services should be determined based on the nature of each business and other facts and circumstances. Normally 10% of total value of purchase of traded goods and sales/service are respectively, considered as an acceptable threshold for determination of broad heads. Any other threshold can also be considered taking into account the concept of materiality and presentation of true and fair view of the financial statements.				
Note (b) : The sale of Ice Plant/ Cold storage include sale of Ice block only.				
Note (c) : The corporation discontinue the operation of Iron and steel division during the year 2022-23.				

(₹ In Lakhs)

		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Note 20 : Other income			
<i>i) Interest income:</i>			
Interest on fixed deposits		619.16	511.78
Interest on capital investment (IOC)		17.22	12.07
Interest on loan to employees		0.61	0.62
<i>ii) Lease income:</i>			
Lease rent interest & penalty		-	292.26
<i>iii) Others:</i>			
Administrative Fees	[Note b]	42.15	-
Profit on sales of Assets		2.32	2.09
Discount received		0.26	0.44
Shortage/other recovery :			
IMFL, Iron Steel & POL	308.59		
Liquidity Damage	22.72		
Transportation charges	12.45		
Staff meal	9.12	352.88	290.49
Cancellation charges		1.38	3.05
TOTAL		1,035.99	1,112.81
<p>Note (a) : The corporation has received arbitration award in favour of the corporation in the matter of Ocean Blue Boating (Pvt.) Ltd. On 21 June 2018. As per the award the corporation is yet to receive ₹51.33 lakh towards lease rental including penal interest. But Ocean Blue Boating (Pvt.) Ltd. has gone to appellate authority under arbitration act which is pending till.</p> <p>Note (b) : The corporation charged 20% on the actual cost incurred on major projects as administrative fee uniformly and addition cost incurred by the corporation to be reimbursed at actual.</p>			
Note 21 : Cost of materials consumed			
Raw milk & Whole Milk Powder		938.84	844.06
Groceries for Catering Division		57.67	40.71
TOTAL		996.52	884.77
Note 22 : Purchases of Stock-in-Trade			
IMFL		4,482.95	2,831.96
Add: Goods-in-transit		1,225.45	2,062.68
Petroleum products		16,139.26	11,558.07
Add: Goods-in-transit		4.04	3.55
Carriage inwards		1,093.05	539.75
License fees		312.41	150.79
Duty on import permit fees / excise duty		13,858.81	11,042.68
TOTAL		37,115.96	28,189.48
Note 23: Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade			
<i>Inventories (at close)</i>			
Finished goods	22.35		
Stock in trade	8,218.69	8,241.04	8,468.78
<i>Inventories (at commencement)</i>			
Finished goods	6.30		
Stock in trade	8,462.48	8,468.78	7,454.16
TOTAL		227.74	(1,014.63)

	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Note 24: Employee benefit expenses		
Salary	1,818.33	1,774.29
Contribution to P.F., Pension Fund & Leave Salary	155.94	169.15
Gratuity 24(a)	72.16	35.64
Performance related incentive	204.40	153.00
Training expenditure	0.07	0.03
Staff Welfare	0.89	0.98
Rent of employees accommodation	3.00	2.75
LTC provision 24(b)	24.67	15.01
Provision for leave encashment 24(c)	-	145.67
TOTAL	2,279.46	2,296.52
Note 24(a) : Gratuity		
Actuarial Assumptions		
Particulars	2022-23	2021-22
Mortality Rate	LIC (2006-08) ultimate	LIC (2006-08) ultimate
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age	1% to 3% depending on age
Discount Rate	7.25% p.a.	7.00% p.a.
Salary Escalation	5.75%	6%
Note 24(b) : Leave Travel Concession Liability as per AS-15		
Leave Travel Concession liability		
Particulars	2022-23	2021-22
Number of employees	238	248
Actuarial Assumptions		
Rate of discount	7.20% P.A.	6.70% P.A.
Inflation Rate	6.00% P.A.	6.00% P.A.
Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Actuarial Liability	₹77.19 lakh	₹81.82 lakh
Actuarial valuation of LTC has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was ₹79.10 lakh Against the said provision amount of ₹ 26.58 lakh has been utilised during the year and provision made during the year is an amount of ₹24.67 Lakh and closing figure at the end of the year is ₹77.19 lakh as per valuation report.		
Note 24(c) : Leave encashment benefit		
Leave encashment liability		
Particulars	2022-23	2021-22
Number of employees	235	248
Total monthly salary	₹ 115.81 Lakh	₹110.61 Lakh
Total encashable leave	39704	49669
Normal retirement age	60 years	60 years
Actuarial Assumptions		
Discounting rate	6.9% P.A.	6.7% P.A.
Rate of increase in Salary	10.00% P.A.	10.00% P.A.
Withdrawal rate	2.00% P.A.	2.00% P.A.
Mortality	IALM 2006-08 ultimate	IALM 2006-08 ultimate
Actuarial discounted value of leave encashment	₹866.27 lakhs	₹932.59 lakhs
Actuarial valuation done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was ₹1042.31/- lakhs . Against the said provision amount of ₹18.03 (PY 35.95) has been utilised during the year and provision written back during the year is an amount of ₹158.01/- lakhs and closing figure at the end of the year is ₹866.27/- lakhs as per valuation report.		

(₹ In Lakhs)

	As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Note 25 Operation and other expenses		
Note: 25(A) Operation, selling & distribution expenses		
<u>Consumption of Stores & Spares</u>	303.61	187.29
<u>Power & Fuel</u>		
Electricity	99.32	71.89
Fuel charges	144.32	99.35
<u>Rent</u>		
Office rent	1.60	1.25
Rent	198.15	155.30
<u>Repair & Maintenance</u>		
Repair & maintenance of computer	19.86	16.71
Repairs & maintenance of vehicles	13.14	6.75
Repairs & maintenance of buildings	271.67	145.30
Repairs & maintenance of furniture	0.30	1.56
Repairs & maintenance of machinery	51.67	42.23
Govt. audit expenses	0.75	0.88
Insurance	24.98	10.90
Rates & Taxes	59.63	27.02
Water charges	12.84	15.92
Stores handling expenses	11.80	6.35
Trade discount on room tariff	55.06	20.93
Sanitation	24.78	17.10
Horticulture expenses	9.50	0.09
Wharfage expenses	0.07	0.22
Vehicle hire charges tourism	20.60	32.60
Crockery's hire charges	1.63	0.37
Uniform & liveries	0.02	1.78
Outsourcing manpower	419.68	393.60
Business promotion / hospitality	1.51	0.33
Bank charges	27.48	16.52
Watch and ward	85.58	74.12
CSR expenses	77.74	46.59
Hindi week expenses	0.09	0.06
Registration / Membership fee	0.21	0.26
Miscellaneous	0.31	0.81
GST block credit	207.32	9.51
Refreshment expenditure	3.69	3.54
TOTAL	2,148.92	1,407.14
Note: 25(B) Administrative expenses		
Board meeting expenses	0.16	0.07
Printing & stationery	17.62	19.09
Postage & telegram	1.25	0.70
Telephone/telex/fax	24.67	23.14
Books & periodicals	0.48	2.54
Tenders publishing expenditure	9.21	1.82
Professional charges	6.50	12.75
Travelling expenses	24.61	30.85
	84.51	90.95

Particulars		As at 31.03.2023 (₹)	As at 31.03.2022 (₹)
Note: 25(C) Other expenses			
Provision			
Provision for bad and doubtful debts		92.97	32.79
Provision for CSR Expenses		-	32.00
Contingent provision against standard assets		0.96	-
		93.93	64.79
Auditor's Remuneration (including Service Tax)			
- for Statutory audit	2.30		
- Tax audit	0.50		
- others service	0.30	3.10	2.80
Internal audit expenses	0.73	0.73	1.65
		97.75	69.24
Total of C			
Note: 25(D) Prior period Adjustment			
Vehicle Hire Charges		-	2.12
Grant in Aid		(13.98)	-
Sales		-	0.72
Freehold Land		2.00	-
Rent of Building		0.15	26.20
		(11.84)	29.04
Total			
Total Operation and other expenses (A+B+C+D)			
		2,319.34	1,596.37
Note: 26 Earning per share			
Amount available for equity shareholders (₹)		3,485	2,391
Weighted average number of equity shares		11	11
Earning per share basic and diluted (₹)		318	218
Face value per equity share (₹)		100	100

Note 27(i) Contingent Liabilities:

- a) The following cases pending with the Income Tax Department for which the company has gone for appeal/rectification.

A.Y.	Order date	IT Dept. Amount Claimed	Appeal No / date	Amount agreed and provided	Contingent Liability provided	Forum where dispute is pending
2013-14	13/01/2016	₹5,87,03,998/-	1008 dt 15/05/2018	₹ 5,61,34,246/-	₹20,77,920/-	CIT(A), Kolkata
2013-14	25/09/2021	₹ 62527167/-	128386891 050222 dt 05/02/2022	₹5,61,34,246/-	₹6,25,21,170/-	CIT(A), Kolkata
2014-15	31/12/2019	₹82312147/-	30/01/2020	₹7,21,41,403/-	₹1,02,14,860/-	CIT(A), Kolkata
2017-18	31/03/2023	₹17,08,84,248/-	132796820 020523	₹14,77,61,184/-	₹2,25,80,280/-	CIT(A), Kolkata
2009-10 and 2019-20	TDS/TCS return	₹75540/-	TDS/TCS quarterly return correction	nil	₹75,540/-	DC (IT), Faceless
2020-21	19/09/2022	₹12,29,29,510/-	12851824028 0423	₹12,10,94,196/-	₹18,35,318/-	CIT(A), Kolkata
Total					₹9,93,05,088/-	

b) Details of Court Cases pending as on 31.03.2022

Case No.	Forum where dispute is pending	Plaintiff& Defendant	Financial Implication Assets / (Liability)
Money Suit No. 66/2010	Court of Civil Judge (Senior Division)	ANIIDCO Ltd. –vs- Sanjay Anand, Ex.J.A.	₹9,24,406/-
EPF- 07/2020 (Old Appeal No.15/2015)	Central Govt. Industrial Tribunal, Kolkata from EPF tribunal, New Delhi	Regional Provident Fund Commissioner Vs ANIIDCO	₹22,60,043/-
WP No.059 of 2020	High Court, Port Blair	Shri G.P. Mani & Ors. Vs GM, ANIIDCO	Not ascertainable
2284 of 2019	Supreme Court	LINHRPL V/s ANIIDCO Hon'ble Division Bench dismissed the petition of M/s LINRPL. Now M/s LINRPL filed appeal before the Supreme Court.	₹5,47,46,091/-
WP No.267 of 2019	High Court, Port Blair	GM, ANIIDCO - Vs- Y John	Not ascertainable
FMAT No. 07/2023	High Court, Port Blair	M/s Heaven on Ocean Tourism Pvt. Ltd. & Another Vs ANIIDCO	₹1,32,62,256/-
OS 09 of 2018	District Court, Port Blair	General Manager (Project) V/s M/s Ocean Blue Boating Pvt. Ltd.	₹51,33,379/-
WP No 91 of 2020	High Court, Port Blair	Ms. Sarun Niza – Vs – ANIIDCO	Not ascertainable

c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) originally invested in M/s Andaman Fisheries Limited, 33,000 nos of equity shares of ₹10/- each amounting to ₹3,30,000/-, as assistance to the said company in promoting its business in deep sea fishing, export oriented production of value added marine products and aquaculture products, and in case of failure, the company must take back all the share invested by MPEDA. The company was asked to take back the shares, as promised to MPEDA. The above Authority (MPEDA) also filed a suit against this company demanding total repayment of ₹3.30 lakh with interest therein @ 18% per annum since 15th of May, 1992. The Hon'ble High Court at Eranakulam appointed an Arbitrator to go into details and to make final decision on both the parties. As promoter of M/s Andaman Fisheries Ltd, this Company purchased back the above shares of ₹3.30 lakh on 19/08/2004 pending transfer formalities to be completed and this amount has been shown by this company as further investment in Andaman Fisheries Ltd. The company has make a provision for interest for an amount of ₹5.38 lakh included in current liability.

Note 27(ii) Capital Commitment:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account ₹110.78 lakh (Previous Year ₹380.01 lakh) and amount paid for Capital Expenses shown in CWIP is ₹76.45 lakh /- (Previous Year ₹59,66 lakh)

Note 27(iii) Guarantee issued by Company:

The Company has given credit guarantee amounting to ₹11.47 lakh in respect of loans granted by our Credit & Finance Division which is secured by Credit Guarantee Fund.

Note 27(iv) Dividend:

As per guidelines circulated vide office Memorandum No.5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 from Government of India, Ministry of Finance, The Corporation declare a minimum dividend of @ 30% of the PAT or 5% of net-worth whichever is higher subject to the maximum dividend permitted under the extant legal provision.

Note 27(v) Advance Tax

An unadjusted amount of ₹12466.30 lakh has been shown as "Provision for Income tax" under "Short term provisions" as against "Advance payment of Income Tax" of ₹13118.12 lakh under "Short term loans and advances". The assessment up to AY 2020-21 is over u/s 143, however the Corporation is unable to adjust the same against "Advance Income Tax" as because the corporation has disputed the amount and gone for appeal / rectification.

Note 27(vi) Subsidiary Company:

The Andaman Fisheries Ltd. became a subsidiary company with effect from 19.8.2004 and a statement u/s 129(3) and audited accounts for the year ended 31.3.2023 are enclosed.

A Term Loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd in the earlier years, amounting to `132 lakh- has been shown as "Loan to Related Party" under "Term Loan from C&F Division".

Company treated the said Term Loan including interest upto 2002-03 as bad debt and made provision in full for same. Since then, no interest is being calculated and provided.

Interest Free Loan was sanctioned to Andaman Fisheries Ltd during the year was ₹Nil and the outstanding balance as on 31st March'23 amounting to `1,65.00 lakh, (previous year ₹165.00 lakh). In earlier years the company provided an interest bearing unsecured loan of ₹33.00 lakh on which accrued interest accumulated was ₹8.23 lakh- upto Financial year 2002-03. 100% provision had been made on such loan interest bearing unsecured loan.

Note 27(vii) Applicable Disclosure Requirements for Financial Institutions (Credit & Finance Division):

- a. Net Non-Performing Assets : ₹1,51,30,379 /-(PY ₹ 15378318/-)
- b. Net Loans & Advances : ₹ 1,63,39,232 /-(PY ₹ 17526904/-)
- c. Percentage of net NPA to net Loans & Advances: 92.60% (PY 87.74%)
- d. Amount of net NPA under the prescribed asset classification categories:
 - i. Sub-standard : ₹61,1706. /-(PY ₹902824/-)
 - ii. Doubtful : ₹ 13,18,673 /- (PY ₹ 1275494-)
 - iii. Loss Assets : ₹ 1,32,00,000 /-(PY ₹1,32,00,000)
- e. Amount of Provision made during the year towards NPA : ₹1,71,14,733. /- (PY ₹1,70,18,853/-)

Note 27(viii) Remuneration to Auditors:

Remuneration to Auditors consists of:

(a) as auditor : audit fees	₹2,36,000/-	(PY ₹2,36,000/-)
(b) taxation matters: tax audit fees	₹59,000/-	(PY ₹59,000/-)
(c) company law matters	₹Nil	(PY ₹Nil)
(d) management services	₹Nil	(PY ₹Nil)
(e) cost audit fees	₹Nil	(PY ₹Nil/-)
(f) other Services	₹35,400/-	(PY ₹35400/-)
(g) reimbursement of Expenses	₹Nil/-	(PY ₹Nil/-)
(h) Total	₹3,30,400/-	(PY ₹3,30,400/-)

Note 27(ix) Managerial Remuneration:

- a. Remuneration(sitting fee) to Managing Director, whole-time Directors and /or Manager: ₹Nil
- b. Remuneration (sitting fee) to other directors : `Nil
- c. Travelling expenditure incurred for Managing Director during the year Rs.30338/- (previous year ₹Nil,). Remuneration has been paid to Managing Director for ₹Nil (previous year ₹Nil).

Note 27(x) Related party disclosure as per AS - 18:**A) Related Parties and their relationship:**

- i) Subsidiaries (direct holding): Andaman Fisheries Limited
- ii) Fellow Subsidiaries: NIL
- iii) Associates: NIL
- iv) Key Managerial Personnel: Appointment of KMP has not been formalized as Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is not applicable to the Corporation.

B) Transaction with related parties for the year ended March 31, 2023

	Subsidiaries	Key Management Personnel and their relatives
Brand equity contribution	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil
Loans and advances repaid	Nil	Nil
Revenue Income	Nil	Nil
Revenue expenses	Nil	Nil
Provision/(write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Guarantees given	Nil	Nil
Remuneration	Nil	Nil

C) Related Party Disclosure:

	AFL (Subsidiary Company)	
	2022-23	2021-22
Trade receivables, Unbilled revenue, Loans and advances, Other assets (net)	Nil	Nil
Trade payables, Income received in advance, Advances from customers, Other liabilities	Nil	Nil
Guarantees	Nil	Nil
Investment in debentures/mutual funds/bonds	Nil	Nil

D) Disclosure of material transactions with related parties

Rent income	Nil	Nil
Other income	Nil	Nil
Purchase of goods, services and facilities (including reimbursement)	Nil	Nil
Rent expense	Nil	Nil
Provision / (Write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Bad debts written off	Nil	Nil
Advances written off	Nil	Nil
Dividend paid on equity shares	Nil	Nil
Guarantees given during the year	Nil	Nil
Remuneration to Key Managerial Personnel	Nil	Nil

Additional information- pursuant to Para 2 of general instructions for the preparation of Consolidated Financial Statements for the year 2022-23

Name of the entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	as % of Amount consolidated net assets	Amount (₹in Crore)	as % of Amount consolidated net profit	Amount (₹in Crore)
1	2	3	4	5
Parent	130.84	233.54	126.35	34.86
Subsidiaries				
Indian				
AFL	-30.84	-55.05	-26.35	-7.27
Foreign				
Minority Interest in all Subsidiaries				
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian				
Foreign				
Joint Ventures (As pre proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
Indian				
Foreign				
Total	100.00 %	178.49	100.00 %	27.59